लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation 15-5-92 Fumigated On 29-11-83 Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ६ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शाक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

पृष्ठ

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९
तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१
राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१
आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४
उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४
विधेयक—पुरस्थापित २८३४
(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४
केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८३४—३७
खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८
पारित करने का प्रस्ताव २८३८
बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२
विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२
खण्ड १ से ३ . . २८४२
पारित करने का प्रस्ताव २८४२
भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५
खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८
औषधि (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१
पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७
दैनिक संक्षेपिका . . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८६६--२६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१७, ६२३, ६२४, ६२७, ६३४, ६३६ और ६३८ से ६६३ . . . . . २६०४--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २६२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २६५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २६५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २६५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २६८८--६३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १६६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ से ६७४, ६७६ और ६८२ . . २६६५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६७५, ६७७ से ६८१ और ६८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १६४२ और १६४४ से १६४६ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७६

राज्य सभा से सन्देश ३०७६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७६

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७६--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८६--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११६--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १६६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००६ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ... ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १९५० से १९५६ और १९५८ से २०३९ ... ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य जिलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १९६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३९–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७९

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–९०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९१–९२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना — ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य . . . ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

	पृष्ठ
सभा पटल पर रख गये पत्र	३५२१,३५२२
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	३५२१–२२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में भूकम्प	३५२२–२३
विधेयक—पुरस्थापित	३५२३–२४
१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० .	३५२३–२४
२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . .	३५२४
औषधि (संशोधन) विधेयक . . .	३५२४–३०
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५२४,३५२५–२९
खण्ड २ से ११ तथा १ . . .	३५२९–३०
पारित करने का प्रस्ताव .	३५३०
सभा का कार्य . . .	३५२४
सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक	३५३०–३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३०–३१
खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ .	३५३१
विचार करने का प्रस्ताव	३५३१
बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . .	३५३२–५३
विचार करने का प्रस्ताव	३५३२–४९
खण्ड २ से १० तथा १	३५४९–५२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	३५५२–५३
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक	३५५३–५६
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	३५५३–५६
दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . .	३५५७–६३
तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां . .	३५६३
दैनिक संक्षेपिका	३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३-९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९-३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२-६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४-६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७-७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७-३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२-१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१-२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१-५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४-५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७-९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६-३८९३

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि . ३८९३
स्थगन प्रस्ताव ३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . . ३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन ३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही ३८९५
सभा का कार्य . . ३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—
कार्यवाही सारांश ३८९८
याचिका समिति—
कार्यवाही सारांश . . . ३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—
कार्यवाही-सारांश . . ३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—
नवां प्रतिवेदन ३८९९
याचिका समिति—
दसवां प्रतिवेदन . . . ३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—
दूसरा प्रतिवेदन ३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . ३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी . ३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण ३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . . ३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . . ३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची ३९०१
६. लखनऊ की छतर मंजिल में दरारें . ३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि ३९०२

	पृष्ठ
प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—	
श्री मोरारजी देसाई . .	३९०३
सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—	
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . .	३९०३—०४
रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—	
डा० प० सुब्बरायन	३९०४—०६
प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य	३९०७
विधेयक—पुरस्थापित . . .	३९०७
(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६०	३९०७
(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६०	३९०७
दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . .	३९०८—४५
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३९०८—३६
खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . .	३९३६—४४
पारित करने का प्रस्ताव . . .	३९४५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तरवां प्रतिवेदन	३९४५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . .	३९४६—४७
१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का)	३९४६
२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . .	३९४६
३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . .	३९४६
४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का]	३९४७
बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . .	३९४७—५१
भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—	
विचार करने का प्रस्ताव	३९५१—५३
दैनिक संक्षेपिका	३९५४—६९
ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप	३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, ३१ अगस्त १९६०

९ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत में रेल के डीजल इंजनों का निर्माण

+

†*९१९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री प्र० कं० देव :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **रेलवे** मंत्री १५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में रेलवे डीजल इंजन बनाने के लिए आर्डर देने के सम्बन्ध में इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : उन सार्थों के क्या नाम हैं जिन के साथ बातचीत चल रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1075 (Ai) LSD—1

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इस बारे में सदन में कई बार बताया जा चुका है और सदन को इसका पता है । परन्तु इस समय समूचा प्रश्न ही विचाराधीन है कि यह गैर-सरकारी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या भारत में डीजल इंजनों के निर्माण की लागत के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां, कुछ अनुमान लगाये गये हैं ।

†**श्री दामानी** : जब कि हमें डीजल तेल का आयात करना पड़ता है और डीजल रेलवे इंजन बनाने के लिये विदेशों से बड़ी संख्या में उस के हिस्सों का आयात करना पड़ता है जिस के लिये हमें एक बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अदा करनी पड़ती है, जिसकी कि इस समय कमी है, डीजल के रेलवे इंजनों और इंजनों को चलाने के क्या विशेष कारण हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : इन सब प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया जा चुका है और प्रत्येक को पता है कि अभी कुछ समय तक हमें डीजल का आयात करना होगा । परन्तु इस देश में डीजल के इंजन बनाने की बात यह है कि आगे चल कर हमें डीजल के रेलवे इंजनों का आयात न करना पड़े । अभी हमें इस प्रश्न पर फिर विचार करना है कि हम भाप के इंजन रखें अथवा डीजल के अथवा बिजली के । विशेषज्ञ इस बात की जांच कर रहे हैं और जहां पर आवश्यकता हुई और यह देखा गया कि डीजल के इंजनों से बचत होती है, डीजल के इंजन चलाये जायेंगे ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : इस मामले को अंतिम रूप देने में कितना समय लगेगा क्योंकि यह मामला बहुत समय से लम्बित पड़ा है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं समझता हूं कि अगले महीने में इसको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि किस कारण से सरकार डीजल इंजनों और रेलवे इंजनों के गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने पर विचार कर रही है और सरकार ने उनका सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने के बारे में निर्णय क्यों नहीं किया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही देखें । परन्तु जैसा मैं ने कहा है इस प्रश्न पर अभी विचार हो रहा है कि यह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में ।

†**श्री कुन्हन** : क्या सरकार का इस प्रकार के रेलवे इंजनों का चितरंजन कारखाने में बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी, नहीं ।

†**श्री दामानी** : क्या अपेक्षित डीजल रेलवे इंजनों के संभरण के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र से किसी उपक्रम ने कोई मूल्य कथन दिये हैं और यदि हां, इन मूल्यों की सरकारी क्षेत्र में मूल्यों से क्या तुलना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं सदन में बता चुका हूं, गैर-सरकारी क्षेत्रों को केवल यही आश्वासन दिया जा सकता है कि यदि रेलवे इंजनों का गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाना तै किया जाये तो वे प्रतियोगी मूल्य बतायेंगे और रेलवे के नमूने के अनुसार निर्माण करेंगे।

जमाया हुआ तेल

+

†*११८ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जमाये हुए तेलों के उपभोगताओं पर प्रभाव के संबन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : एक पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से अनुसंधान किये जायेंगे। इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

†श्री करमरकर : मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य का सफलता से क्या तात्पर्य किसी भी प्रयोग का परिणाम प्राप्त हो जाना ही उसकी सफलता है वह भले हो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। जहां तक जमाये हुए तेल का सम्बन्ध है, इस बात का अनुसन्धान किया जा रहा है कि क्या उस में कोलेस्ट्रोल पाया जाता है जिस से आरटीरियो स्क्लेरोसिस (Arteriosclerosis) नामक रोग हो जाता है जिस से मृत्यु हो जाने का डर है ।

जहां तक हम भारतवासियों का सम्बन्ध है , यह देखा गया है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को छोड़ कर, अधिकांश लोगों के सामने समस्या अधिक चर्बी वाले पदार्थों के खाने की नहीं है; वास्तविक समस्या यह है कि उन्हें चर्बी वाले पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। अतः यहां पर जमाये गये तेल की तुलना में ताजा तेल का इस्तेमाल अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री सामान्यतया ताजे तेल की सराहना करते हैं क्या वे जमाये हुए तेल पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रबन्ध करेंगे

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री करमरकर** : मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । जमाये हुए तेल के प्रश्न का देश में तैयार किये जाने वाले अतिरिक्त तेल से प्रश्न से सम्बन्ध है । हम देश में तैयार किये गये सम्पूर्ण तेल का उलटा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिये उसे सुरक्षित रूप से रखने के लिये उसे जमाये हुए तेल के रूप में परिवर्तित कर देना आवश्यक समझा गया है । ताजे तेल की अपेक्षा उस में पोषण पदार्थ कम होते हैं । इसलिये जहां मेरा मत यह है कि फालतू तेल को जमा देना चाहिये, वहां उपभोक्ताओं से मेरा यही कहना होगा कि यदि संभव हो तो वे जमाये हुए तेल की अपेक्षा ताजे तेल का इस्तेमाल किया करें।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि विदेशों में जमाए हुए तेल पर परीक्षण किए गए और उन के पश्चात् यह सिद्ध पाया गया कि जमाया हुआ तेल मानवीय शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ? सरकार विदेशी वैज्ञानिकों के अनुभव से लाभ उठाने का प्रयत्न क्यों नहीं करती है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने ठीक पढ़ा नहीं कि परदेशों में क्या हुआ है । किसी हद तक हाइड्रोजिनेरेटिड आयल भी लिया जा सकता है और हद के बाद, बियांड, अगर उसका उपयोग किया जाये, तो उसका नतीजा ठीक नहीं होता। ज्यादा परिणाम में हाइड्रोजिनेरेटिड आयल का उपयोग करने से वहां बुराई हुई है । जैसा कि मैं ने सेठ गोविन्द दास को भी कहा था, जिस तरह ज्यादा हाइड्रोजिनेरेटिड आयल बुरा हो सकता है, उसी तरह मक्खन भी ज्यादा खाने से बुरा नतीजा हो सकता है । हमारे मुल्क में यह सवाल इतना ज्यादा नहीं है कि जिन को खुराक ज्यादा मिलती है, उन के बारे में क्या किया जाये। जिन को खुराक कम मिलती है, उन का सवाल है । इसलिए मैं ने कहा कि हाइड्रोजिनेटिड आयल से फ्रेश आयल खाना बेहतर है ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि भारत के वैज्ञानिक इतने अधिक प्रयत्न करने के बाद भी ऐसा कोई रंग नहीं ढूंड सके हैं कि जमाये हुए तेल में मिलाया जा सके ताकि उस में व मक्खन में भेद हो सके ?

†**श्री करमरकर** : माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे यह प्रश्न सम्बन्धित मंत्रालय से पूछें क्योंकि यह प्रश्न वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा हल किया जा रहा है । उस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री त्यागी** : क्या माननीय मंत्री को इस परिषद् ने अभी तक कुछ सूचित किया है कि वे किस प्रकार का रंग मिलाना चाहते हैं ?

†**श्री करमरकर** : अभी तक नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सूचित किया होता तो माननीय यह बात सभा को बता देते ।

श्री करमरकर : जी, हां ।

†**श्री हेडा**: माननीय मंत्री ने अभी अभी यह बताया है कि फालतू तेल के परीक्षण के लिये उसे जमा देना पड़ता है । क्योंकि जमाया हुआ तेल केवल मात्र पकाने तथा तलने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

के ही काम आता है । इसलिये जो भी फालतू तेल बाहिर भेजा जाता है वह जमाये हुए तेल के रूप में ही भेजा जाता है । यदि ताजा तेल अधिक लाभकारी है तो सरकार तेल को जमाने की अनुमति क्यों नहीं देती है ?

†**श्री करमरकर** : हमारे देश में फालतू तेल का उत्पादन किया जाता है और उसका निर्यात भी किया जाता है । जहां तक पोषण तत्व का सम्बन्ध है मैं जमाये हुए तेल का पूर्ण रूपेण निराकरण नहीं कर देना चाहता । इस में भी पोषण पदार्थ हैं। परन्तु तुलना की दृष्टि से ताजा तेल इससे अधिक लाभकारी है ।

†**श्री सोनावने** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ताजे तेल का इस्तेमाल अधिक लाभकारी है । सरकार ताजे तेल के सम्बन्ध में प्रचार क्यों नहीं प्रारम्भ करती ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है । आशा है कि माननीय सदस्य भी इस कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या यह बात सही है कि आधुनिक अनुसन्धान से यह प्रमाणित हो गया है कि तीन महीने के पश्चात् इस तेल के जो गुण हैं, उन में ह्रास होने लगता है और यदि यह सही है तो क्या उस में डेट देने की कोशिश की जाएगी कि तीन महीने बाद लोग उसको खायें नहीं ?

†**श्री करमरकर** : इसका यही उपाय है कि उतना ही तेल घर में रखा जाए जितना एक महीने में खर्च होता है । अनुसन्धान में ऐसी कोई चीज नहीं निकाली है जिस से तीन महीने तक रखें तो खराब हो जाएगा। यह चीज तो अनुसन्धान में निकली है कि एक बरस और दो बरस तक तेल को हाइड्रोजिनेटिड कर के रखा जा सकता है ।

श्री सिंहासन सिंह : सरकार को अनुसन्धान करने के बाद भी कोई रंग नहीं मिला है जिस से कि यह तेल रंगा जा सके । क्या सरकार का ध्यान विनोबा भावे जी के उस सुझाव की ओर गया है कि मैनुफैक्चरर्स का छः महीने या एक साल का समय दे दिया जाए ताकि वे खुद ही कोई रंग ढूंढ लें और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को हाइड्रोजिनेटिड आयल्ज़ के प्रोडकशन पर को बैन कर देना चाहिये ?

†**श्री करमरकर** : मुझे विनोभा जी द्वारा दिये गये इस सुझाव के बारे में कुछ भी पता नहीं है । उन के प्रत्येक शब्द का हमें आदर करना चाहिये आशा है कि संबंधित मंत्रालय इस इस सुझाव पर को ध्यान में रखेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों को एक सुझाव देना चाहता हूं। यद्यपि अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है तो भी राष्ट्रपति के सम्बन्ध में यह नियम है कि उन के बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । उसी प्रकार विनोबा जी को भी हम अत्यधिक आदर की दृष्टि से देखते हैं ; इसलिये उनका भी उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य उनकी बताई हुई बातों को अपने शब्दों में पूछ सकते हैं । उनका उल्लेख करने से सरकार की व सदस्यों की स्थिति उलझन मय हो जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीप्रिंटर फैक्टरी

+

†*९१९. श्री अ० मु० तारिक :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आसर :
श्री गोरे :
श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :
श्री प्र० के० देव :

क्या परिवहन तथा सचार मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में टेलीप्रिन्टर फैक्टरी स्थापित करने के लिए परामर्शदाताओं के साथ करार को इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) प्रस्तावित फैक्टरी के लिए कौन सा स्थान चुना गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जी, हां।

(ख) शीघ्र ही सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

(ग) स्थान के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : फैक्ट्री के स्थान के सम्बन्ध में निर्णय करने में मंत्रालय को कितना समय लगेगा ?

†**डा० पी० सुब्बरायन** : स्थान के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये हमें पहले कई स्थानों का निरीक्षण करना पड़ेगा। इसलिये मैं यह नहीं कह सकता कि उस में कितना समय लगेगा ।

†**श्री वामानी** : इस परियोजना पर लगभग कितना धन खर्च आयेगा ? क्या इस में कोई विदेशी सार्थ भी सहयोग देगा या नहीं ; और इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : जैसे कि पहले भी मैंने एक बार बताया था, हमारे पदाधिकारी स्वयं इस बात को देखने के लिए इटली गए हुए थे। इस काम में हमें निश्चित रूप से विदेश सहयोग मिलेगा क्योंकि वही तो लोग हैं जो इस फैक्टरी में हमारी स्थापना करेंगे। जहां तक कुल पूंजी का सम्बन्ध है, आशा है कि लगभग १ करोड़ रुपये लगाए जाएं गे।

†**श्री तिमय्या** : इस फैक्टरी की स्थापना के लिए किन किन स्थानों के विषय में विचार किया जा रहा है ?

क्या बंगलौर के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†डा० प० सुब्बरायन : जी नहीं। बंगलौर के सम्बन्ध में विचार नहीं किया जा रहा है, यहां पर पहले से ही टेलीफोन फेक्टरी विद्यमान है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इस समय देश में टेलीप्रिंटरों की कुल कितनी आवश्यकता है और इस फैक्ट्री के चालू हो जाने पर अधिकतम उत्पादन कितना होगा।

†डा० प० सुब्बरायन : तीसरे वर्ष के अन्त तक आशा है कि १२०० टेलिप्रिंटरों का निर्माण हो जायेगा, परन्तु उस से हमारी सम्पूर्ण मांग पूरी नहीं होगी। हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इसका उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : यह फैक्टरी अनुमानतः कब तक स्थापित हो जायगी।

†डा० प० सुब्बरायन : अनुमानतः १९६१ के अन्त तक

†श्री दामानी : जब हमारे देश में टेलिप्रिन्टरों का निर्माण इतनी अधिक संख्या में हो रहा है, तो क्या टेलीप्रिन्टरों का प्रयोग अब भी केवल एक सीमित क्षेत्र में ही किया जायेगा, अथवा उसका प्रयोग सम्पूर्ण देश तक विस्तृत किया जायेगा ?

†डा० प० सुब्बरायन : जब भी संभव होता है, हम उन्हें संभरित करते हैं । वास्तव में हम स्वयं इस मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं, और इसीलिये हम इस संबंध में देश की कुल आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे ।

†श्री आसर : नागरी टेलीप्रिन्टर की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, क्या उनका उत्पादन भी साथ ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

†डा० प० सुब्बरायन : आशा है कि कुछ एक देवनागरी मशीनों का भी निर्माण किया जायेगा। परन्तु फिर भी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बताया जा सकता है ।

†श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार ने टेलीप्रिटरों के निर्माण में किसी विदेशी फर्म का सहयोग प्राप्त करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो किस फर्म से ?

†डा० प० सुब्बरायन : वह फर्म इटली की ओलिवेटिस फर्म है ।

अमरीकी विकास ऋण निधि से रेलवे के लिये ऋण

+

†*९२०. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सुबिमन घोष :
श्री हाल्दर :
श्री आचार :

क्या रेलवे मंत्री २१ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों के लिए अमरीकी विकास ऋण निधि से ३ करोड़ डालर के ऋण के संबंध में बातचीत इस बीच अंतिम रूप से समाप्त हो गयी है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस रकम का किस प्रकार उपयोग करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) अमरीकी विकास ऋण निधि से ५०० लाख डालरों के ऋण के लिये बात चीत पूरी हो गयी है ।

(ख) इस ऋण को केन्द्रीकृत परिवहन नियंत्रण उपकरण को खरीदने और लगाने पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करने और बिजली तथा डीजल से चलने वाले इंजनों के संभरण के लिये इस्तेमाल करने का विचार है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस में से कुछ राशि नई लाइनों के निर्माण पर भी खर्च की जायेगी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, नहीं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या विकास ऋण निधि से प्राप्त होने वाली राशि से अमरीका से ही वस्तुएं खरीदना अनिवार्य है या कि हम किसी और देश से भी अमरीका से सस्ती चीजें मिलने पर खरीद सकते हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमें अधिकांश वस्तुएं अमरीका से ही खरीदनी पड़ेंगी ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या उस रुपय से इस प्रकार की लाइनों को बनाने में प्राथमिकता दी जायगी, जहां कि अर्थ वर्क पहले हो चुका है लेकिन किसी कारणवश उसे स्थगित कर दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिय कि यह जो बाहर से ऋण मिलता है वह कुछ हमारे रिसोर्सिस बढाने के लिये नहीं है बल्कि योजना में जितना रुपया रेलों को मिला है उसमें जो विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, उस मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही मिलता है । इसलिय नई लाइनें बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

†**श्री आचार** : क्या इस ऋण के लिये प्रयोजन उस विकास ऋण निधि द्वारा स्वयं निर्धारित किया गया है या कि हमने स्वयं निर्धारित किया है ?

†**श्री शाह नवाज खां** : इसका निर्णय हमने ही किया है ।

†**श्री कालिका सिंह** : इस ऋण के लिय कितना ब्याज देना पड़ेगा ?

†**श्री शाह नवाज खां** : ३।। प्रतिशत ।

†**श्री दामानी** : विश्व बैंक से हमने पहले ऋण लिया था । उससे कितनी राशि ली जा चुकी है, उसमें से कितनी राशि रहती है और उसका कैसे उपयोग किया जायगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक अलग प्रश्न है । इसलिये इसके लिय एक अलग पूर्व सूचना की जरूरत है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मत्स्य पालन संस्था

+

†*६२१. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नारायण कुट्टि मेनन :
श्री वें० ईयाचरण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३२१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के इंस्टिट्यूट आफ साइन्स में सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ फिशरीज एज्यूकेशन (मत्स्यपालन संबंधी शिक्षा की केन्द्रीय संस्था) चालू करने की संभावना का पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्था चालू करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) और (ख). फिलहाल इंस्टीट्यूट आफ सांइसिज बम्बई में जिला मत्स्य पालन पदाधिकारियों के लिये एक अन्तरिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने का सुझाव छोड़ दिया गया है। आशा है कि लगभग दो महीने के अन्दर अन्दर संस्था की स्थायी स्थापना के संबंध में निर्णय कर दिया जायेगा ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : और किस किस स्थान के बारे में विचार किया जा रहा है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : केवल दो ही स्थानों के बारे में बम्बई और कोचीन के बारे में विचार किया जा रहा है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : बम्बई को छोड़ देने के क्या कारण है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : बम्बई को अन्तिम रूप से अभी तक नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि बम्बई सरकार इसके लिये जमीन प्रस्तुत न कर सकी, क्योंकि जमीन मिलनी मुशकिल थी । अब उस सरकार का यह कहना कि "आप कोई भी स्थान चुन लीजिये, वह निःशुल्क दी जायगी" वह योजना विचाराधीन है ।

†**श्री वें० ईयाचरण** : क्या केरल सरकार ने कोचीन में कोई स्थान दिया है और क्या कोई कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : कार्य के प्रारम्भ करने में अभी कुछ समय लगेगा । हमें पहले तो स्थान के बारे में फैसला करना होगा । केरल सरकार ने स्थान प्रस्तुत किया है परन्तु अभी तक यह ज्ञात नहीं हो सका कि क्या यह निःशुल्क दिया जा रहा या नहीं ?

†**श्री नारायणस्वामी** : रामेश्वरम के निकट मण्डपम् में एक मीन पालन अनुसंधान स्टेशन है वहां पर किस प्रकार का अनुसंधान कार्य हो रहा है और क्या वहां पर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पं० शा० देशमुख : पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर कई प्रशिक्षण केन्द्र हैं । परन्तु यह एक विशेष संस्था होगी क्योंकि यहां पर हम जिला पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं । वहां उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जायगा ।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या इस संस्था के लिये विदेशों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : जी, हां । संयुक्त राष्ट्र संघ की विशष परियोजना निधि से २८.९५ लाख रुपये दिये जा रहे हैं ।

†श्री राधेलाल व्यास : क्या सरकार मण्डपम् के केन्द्रीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्था की सुविधाओं का उपयोग कर रही है । एक अन्य माननीय सदस्य ने भी यह प्रश्न पूछा था कि प्रस्तुत केन्द्र मण्डपम् में क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है जहां पहले से ही अनुसंधान संबंधी सभी सुविधायें विद्यमान हैं ?

†डा० पं० शा० देशमुख : इस नये केन्द्र की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिये हमने एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की थी और उसने यह सुझाव दिया था कि इसके लिये विशेष प्रकार की संस्था की आवश्यकता है ।......

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि इसे मण्डपम् में क्यों नहीं स्थापित किया जा रहा है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हमने यह काम विशेषज्ञ समिति पर छोड़ दिया था और उसी ने कोचीन के बारे में सुझाव दिया है ।

†श्री वारियर : क्या यह सच है कि कोचीन के वाणिज्य मण्डल ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि वह इसके लिये कोचीन में पर्याप्त स्थान प्रदान करेगा ।

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : वास्तव में इसकी स्थापना के स्थान के संबंध में बड़ा विवाद चल रहा है । कोचीन और बम्बई दोनों ही इसकी स्थापना के पक्ष में हैं । परन्तु समिति की सिफारिश यह थी कि यद्यपि बम्बई इसके लिये उपयुक्त स्थान है, तथापि वहां पर समय पर स्थान उपलब्ध न हो सकेगा । इसीलिये उसने कोचीन के पक्ष में सिफारिश की है । परन्तु इस पर बम्बई सरकार ने यह कहा है कि उनके पास न ही केवल वरसोवा में स्थान है अपितु वह उस स्थान स्थान को निशुल्क भी देने के लिये तैयार है । इसीलिये विवाद उत्पन्न हो गया . इस समय मंत्रालय का विचार यह है कि यदि दोनों स्थानों पर ही स्थापित करना संभव हो सके, तो इस प्रश्न पर आवश्य विचार किया जाये ।

†श्री त्यागी : मितव्ययता की दृष्टि से दोनों में से—अर्थात् बम्बई में नयी संस्था की स्थापना और कोचीन की पहले से ही विद्यमान संस्था से इसे सम्बद्ध करने में कौन सी अधिक लाभकारी सिद्ध होगी ?

†श्री स० का० पाटिल : मण्डपम् कोचीन में है । वह एक अन्य स्थान है । परन्तु कोचीन और बम्बई में से दोनों पर ही एक समान खर्च आयेगा । प्रत्यक पर लगभग १ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे । परन्तु क्योंकि हम अब मत्स्य पालन कार्य का विकास कर रहे हैं इसलिये एक से अधिक संस्था में स्थापित करना अनुचित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : यदि इसे मण्डपम् से ही सम्बद्ध कर दिया जाये तो क्या यह अधिक लाभप्रद सिद्ध न होगी ?

†श्री स० का० पाटिल : समिति ने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

†वासुदेवन नायर : माननीय मंत्री ने बताया है कि इस बारे में विवाद है और वे इस विवाद को समाप्त करने का यत्न करना चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है कि नार्वे को परियोजना के कोचीन के निकट होने के कारण इस संस्था को बड़ी सहायता मिलेगी ?

†श्री स० का० पाटिल : यह कोई आवश्यक नहीं है।

पूर्वी पाकिस्तान से विशेष रेलगाड़ियां

\+

*†१२२. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री नेकराम नेगी :
श्री आसर :
श्री अजीत सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री सूपकार :
श्री कालिका सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री आचर :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, १९६० में पूर्वी पाकिस्तान से कराची जाने वाली १५ डिब्बों की एक विशेष रेलगाड़ी भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरी थी ;

(ख) इस रेलगाड़ी को भारतीय प्रदेश में से होकर गुजरने की अनुमति देते समय शर्तें लगाई गई थी ; और

(ग) क्या भविष्य में भी पाकिस्तान से रेलगाड़ियों को भारतीय प्रदेश में से गुजरने की अनुमति देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) और (ख). पाकिस्तान सरकार ने अनुरोध किया था कि हज यात्रियों को पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान ले जाने के लिये उसे भारतीय रेलवे पर एक स्पेशल गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाय। भारत सरकार ने विशेष मामले के रूप में इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक स्पेशल गाड़ी, जिसमें ८०३ हज यात्री थे, ११–५–६० को सुबह दस बजे पूरब के सरहदी स्टेशन, गीड़ी पहुंची और १४–५–६० को सुबह ८ बज कर ४८ मिनट पर पश्चिम के सरहदी स्टेशन अटारी से करांची के लिये रवाना हो गई।

यह स्पेशल गाड़ी नीचे लिखी शर्तों के अनुसार चलायी गई :—

(१) स्पेशल गाड़ी के सभी डिब्बे (१२ बोगियां) पाकिस्तान रेलवे द्वारा दिये गये थे। भारतीय रेलवे पर इस गाड़ी को चलाने के लिये इंजन की व्यवस्था भारतीय रेलवे ने की थी।

(२) सामान्य नियमों के अनुसार भारतीय प्रदेश से गुज़रने के लिये पाकिस्तानी नागरिकों को अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट या भारत-पाकिस्तान पासपोर्ट लेना होता है। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तानी हाजियों को, विशेष मामले के रूप में, ऐसे तीर्थ-यात्री पास के आधार पर गुज़रने की अनुमति दे दी थी जिन पर उनका फोटो लगा था।

(३) हज यात्रियों का भारी सामान ब्रेकवानों में रख कर ताला लगा दिया गया था और सरहदी स्टेशन पर भारतीय सीमा-शुल्क के अफ़सरों ने उन पर मुहर लगा दी थी। रास्ते में इस सामान की जांच नहीं की गई। डिब्बों में सीमा-शुल्क के सिलसिले में एक साधारण जांच कर ली गई थी और यात्रियों से इस बात की घोषणा करा ली गई थी कि उनके पास कितनी रकम है।

(४) भारतीय प्रदेश में दरशना से बागा तक, पूरे सफ़र में, सुरक्षा के लिये भारतीय पुलिस स्पेशल गाड़ी के साथ रही। सुरक्षा दल के इंचार्ज, डिप्टी सुपरिन्टेण्डेण्ट आफ पुलिस को हज यात्रियों की एक सूची दे दी गई थी।

(५) इस स्पेशल गाड़ी में सफर करने वाले तीर्थ यात्रियों को किराये में कोई रियायत नहीं दी गई।

(ग) पाकिस्तान सरकार ने यह सुझाव रखा था कि पाकिस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिविलियन यातायात को भारतीय प्रदेश से गुज़रने की सुविधा दी जाय। भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस पर विचार कर रही हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इस विवरण के अन्त में यह दिया गया है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि पाकिस्तान के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचने के लिये भारत से हो कर सिविलियन यातायात की सुविधायें दी जाये। इस विवरण में यह भी लिखा है कि भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस पर कब तक अन्तिम फैसला ले लिया जायेगा ?

श्री शाहनवाज खां : अभी तक तो कोई खास तारीख मुकर्रर नहीं हुई है जिस तक कि कोई फैसला होना है। आप को याद होगा कि यहां पर १९ अप्रैल, को एक स्टेटमेंट किया गया था जिसमें जो बात चीत पाकिस्तानी रेलवे डेलिगेशन और इंडियन रेलवेज के साथ हुई थी उसका कुछ

जिक्र किया गया था। उस के बाद कई मजीद मालूमात हासिल करने के लिये दोनों पार्टियां अलाहदा हो गईं। दूसरी मीटिंग की अभी तक कोई तारीख मुकर्रर नहीं हुई है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : विवरण में दी गई अनेक बातों में से एक यह है कि :

> "हज यात्रियों का भारी सामान ब्रेकवानों में रख कर ताला लगा दिया गया था और सरहदी स्टेशन पर भारतीय सीमा शुल्क के अफसरों ने उन पर मुहर लगा दी थी। रास्ते में इस सामान की जांच की गई।"

यदि इस सामान की जांच नहीं की जायेगी तो नोटों का चोरी छिपे ले जाना कब बन्द किया जायेगा ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इसके चोरी छिपे ले जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। वे उस देश से कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। वे अपने देश से ही वस्तुयें अपने देश में ले जाते हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : पाकिस्तानी गाड़ियों की भारतीय क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार करते समय क्या हमने उत्तरी बंगाल और आसाम के क्षेत्रों में पाकिस्तानी क्षेत्रों से भारतीय गाड़ियों को ले जाने के सम्बन्ध में बातचीत प्रारम्भ की है ?

†**श्री शाह नवाज खां** : सम्पूर्ण मामला अभी विचाराधीन है। मुझे आशा है कि जब हम उन्हें अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देंगे, तो उन्हें भी हमें अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने में कोई आपत्ति न होगी।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी** : मैं तो केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान से इस प्रकार का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि वे भारतीय असैनिक यातायात को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देने के लिये तैयार हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : सम्पूर्ण मामला अभी विचाराधीन है।

†**श्री अजीत सिंह सरहदी** : क्या कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : इस सम्बन्ध में अभी बातचीत चल रही है।

†**श्री बसुमतारी** : क्या पूर्वी पाकिस्तान को लाइन खोलने के लिये आसाम सरकार से परामर्श लिया जायेगा ?

†**श्री जगजीवन राम** : जब बड़ा प्रश्न उत्पन्न होगा, उस समय सम्बन्धित राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया जायेगा ?

†**श्री सोनावने** : इस गाड़ी के लिये कौन सा मार्ग अपनाया गया है और क्या इसका सुझाव पाकिस्तान की ओर से दिया गया था।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं मुख्य मुख्य स्टेशनों के नाम बता सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, स्टेशनों के नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या पाकिस्तान का सुझाव यह था कि उनकी अपनी गाड़ियां भारतीय क्षेत्र से गुजरेंगी या कि उनके यात्री भारतीय गाड़ियों में इस क्षेत्र में से गुजरेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** : यह तो व्योरों का सम्बन्धी प्रश्न है। मैंने बताया है कि सम्पूर्ण प्रश्न पर अभी बातचीत की जा रही है और मैंने यह बताया भी था कि बातचीत किस स्थिति में है। जहां तक व्योरों का सम्बन्ध है, मैं उन्हें इस समय प्रकाश में नहीं लाना चाहता।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की गाड़ी को ननकाना साहिब जाने के लिये पाकिस्तान के क्षेत्र से गुजरने के लिये कभी वैसे ही अनुमति दी है जैसे कि हमने हज यात्रियों को अपने क्षेत्र से गुजरने के लिये अनुमति दी है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमारे यात्री प्रति वर्ष ननकाना साहिब जाते हैं और जहां तक मुझे ज्ञात है, उन्हें हर संभव सुविधा दी जाती है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं गाड़ी के बारे में पूछ रहा हूं।

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे नहीं ज्ञात कि हमने अपने गाड़ी के वहां तक ले जाने के लिये कभी कोई प्रार्थना की हो।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्पेशल ट्रेन के लिये डिब्बे पाकिस्तान द्वारा दिये गये थे और इंजन की व्यवस्था हमने की थी, किराये की राशि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे बांटी गई ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उनसे किराया सामान्य दर के हिसाब से लिया गया था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : हज यात्रियों से प्राप्त हुई राशि आपस में कैसे बांटी गई थी ?

†**श्री शाहनवाज खां** : भारतीय क्षेत्र के लिये किराया भारत को प्राप्त हुआ और पाकिस्तानी क्षेत्र के लिये किराया पाकिस्तान को दिया गया।

†**श्री त्यागी** : क्या भारत सरकार ने भी कलकत्ता से ढाका के मार्ग से आसाम, दारजीलिंग त्रिपुरा आदि जाने के लिये यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं के लिये कोई सुझाव दिया है।

†**श्री जगजीवन राम** : इस बारे में उस समय विचार किया जायेगा जब कि बड़े प्रश्न पर पुनः विचार प्रारम्भ किया जायेगा। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सुविधायें दोनों ओर से दी जायेंगी।

†**श्री बसुमतारी** : क्या इस सम्बन्ध में सुझाव भारत की ओर से प्रस्तुत किया गया था या कि पाकिस्तान की ओर से ?

†**श्री शाहनवाज खां** : पाकिस्तान सरकार ने प्रार्थना की है।

सहकारी खेती

+

†९२५. { **श्री पहाड़िया** :
श्री रामी रेड्डी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी खेती को लोकप्रिय बनाने के लिये एक विशेष बोर्ड नियुक्त करने का निश्चय किया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस में केवल सरकारी सदस्य होंगे या गैर-सरकारी सदस्यों को भी सम्मिलित किया जायेगा ; और

(ग) बोर्ड के मुख्य-मुख्य कार्य क्या होंगे ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). यदि विशेष बोर्ड बनाया गया तो उसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य होंगे । यह बोर्ड साधारणतः सहकारी कृषि कार्य-क्रम के नियोजन एवं उन्नति, प्राप्त की गई प्रगति की समीक्षा, अनुभव की गई कठिनाइयों एवं शिक्षा के लिये किये गये प्रबन्धों का पर्यवेक्षण और सहकारी कृषि प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को करेगा ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**श्री पहाड़िया** : क्या बोर्ड अस्थाई है या स्थाई ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : जब बोर्ड स्थापित हो जायेगा उस समय की स्थिति पर यह निर्भर करता है ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : सहकरी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल के प्रतवेदन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस समय न तो सरकारी कर्मचारी और न ही गैर सरकारी और न ही वित्तीय अभिकरण सहकारी खेती के विकास के बारे में पर्याप्त दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिये इस ने उचित शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नया काम देने की मंत्रणा दी है । इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री ब० स० मूर्ति** : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सब बताकर समित ने बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया है ।

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : इस बोर्ड का क्या काम होगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : बोर्ड का काम सहकारी खेती की उन्नति करना होगा ।

†**श्री त्यागी** : समिति न जो यह कहा है कि कर्मचारी दिल चस्पी नहीं ले रहे हैं, यह बात बड़ी भीषण है—मैं जानना चाहता हूं कि यदि वे पदाधिकारी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो उन्हें विभाग में क्यों रखा गया है ।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : बात यह है कि सहकारी खेती पर उतना जोर नहीं दिया गया था जितना दिया जाना चाहिये था । अब जब कि सहकारी खेती आरम्भ हो चुकी है, मुझे विश्वास है कि कर्मचारी पूरा प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री त्यागी** : मेरा प्रश्न निश्चित है । इस प्रश्न की जांच करने वाली समिति का प्रामाणिक प्रतिवेदन है जिस में उन्होंने कहा है कि कर्मचारी सहकारी खेती में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं । मंत्री महोदय कसे उन पदाधिकारियों को बर्दाश्त कर रहे हैं ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : प्रतिवेदन में केवल कर्मचारियों के बारे में ही यह बात नही कही गई परन्तु इसमें यह भी कहा गया है कि लोगों में भी पर्याप्त जागृति नहीं थी, अतः यह जागृति का प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्त :** हमें यह बताया गया था कि राज्यों की वर्तमान सहकारी विधियां सहकारी खेती के मार्ग में रुकावट हैं। क्या इस बोर्ड को यह काम सौंपा जाएगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** जी, नहीं। बोर्ड को सहकारी खेती बढ़ाने का काम सौंपा जाएगा।

†**श्री तिमय्या :** क्या केवल केन्द्रीय स्तर पर एक बोर्ड होगा अथवा राज्यों में बोर्ड होंगे और क्या उन में कुछ किसानों को रखा जाएगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** कार्यकारी दल ने केन्द्र में राष्ट्रीय बोर्ड तथा राज्यों में पृथक बोर्डों की सिफारिश की है। केन्द्रीय मंत्रालय ने केन्द्र में एक बोर्ड बनने का फैसला कर लिया है और राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे इस बात का निश्चय करें कि सहकारी खेती को बढ़ाने के लिये उन्हें कैसा प्रशासनिक ढांचा ठीक रहेगा। इस बोर्ड में किसान भी होंगे।

†**डा० राम सुभग सिंह :** सरकार कब तक सहकारी खेती का यह कार्यक्रम आरंभ करने का विचार रखती है ? क्या यह सच है कि कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व बोर्ड स्थापित हाने की संभावना है ? अथवा क्या यह बाद में किया जायगा ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** माननीय सदस्य संभवतः निजलिंगप्पा समिति के सदस्य थे और उन्हें पता है कि इसे उद्घाटित करने की कोई जरूरत नहीं है। कार्यक्रम पहले ही आरंभ हो चुका है। अब तो केवल इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

†**श्री जांगड़े :** क्या बोर्ड यह भी देखेगा कि चूंकि भूमि की मूरब्बे बन्दी शीघ्र की जाए, और सहकारी खेती से पूर्व ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** यह सहकारी खेती का अंग नहीं है।

†**श्री विभूति मिश्र :** अभी मंत्री जी ने बतलाया कि इस बोर्ड में फार्मर्स भी रहेंगे तो अगर कोआपरेटिव फार्मिंग को चलाना है तो यह जरूरी है कि उसमें ऐसे आदमी रक्खे जांय जो कि खुद अपना काम कोआपरेटिव फार्मिंग से चलाते हों, इस तरह की बोर्ड में मेम्बर बनाने की शर्त हो क्योंकि ऐसे आदमी जो कि कोआपरेटिव फार्मिंग खुद न करते हों ऐसे आदमियों को बोर्ड में रखने के क्या मानी हैं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा बोर्ड में मेम्बर बनाने का क्राइटेरियन है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** माननीय सदस्य को सदस्यता की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कसौटी यह है कि जो व्यक्ति सहकारी खेती के विचार का पक्का समर्थक है वह इस बोर्ड में सम्मिलित होगा।

†**श्री कालिका सिंह :** क्या इस बोर्ड से सम्बन्धित सहकारी खेती में संयुक्त खेती शामिल है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**अध्यक्ष महोदय :** सहकारी खेती सहकारी खेती होती है।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या सरकार ने देश की विभिन्न वर्तमान सहकारी संस्थाओं के कार्य को आंकने के लिये कुछ किया है, और यदि हां, तो क्या कुछ सहकारी खेती संस्थाओं को नमूना संस्था में बदलने की कोई योजना है क्योंकि वह सहकारी खेती को लोकप्रिय बनाने का सर्वोत्तम उपाय है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : जी हां। अगला प्रश्न इसी विषय में है।

†श्री स० मो० बनर्जी : सरकार ने सहकारी खेती के विरुद्ध कुछ निहितस्वार्थ दलों द्वारा किये जाने झूठे और निर्दात्मक प्रचार को दबाने के लिये क्या सक्रिय कदम उठाये हैं ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : निहित-स्वार्थ व्यक्ति ऐसा प्रचार हमेशा करते रहेंगे, परन्तु ऐसे प्रचार का विरोध करना श्री बनर्जी समान सदस्यों का काम है।

सहकारी खेती समितियां

+

†*९२६. श्री आसर :
श्री अब्दुल सलाम :
डा० राम सुभग सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार १९६०–६१ में ४०० अग्रिम सहकारी खेती समितियां स्थापित करने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए प्रारंम्भिक कार्यवाही की जा रही है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अग्रिम आधार पर सहकारी खेती संस्थाएं स्थापिय करने का विचार सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। इस समय संस्थाओं की संख्या तथा उनके क्रमिक विकास का प्रश्न विचाराधीन है। अन्तिम रुप से निर्णय हो जाने के पश्चात् राज्य सरकारों के परामर्श से कार्य आरंभ किया जाएगा ।

†श्री आसर : क्या प्रत्येक राज्य के लिये सहकारी खेती संस्थाओं का कोई अभ्यंश निर्धारित किया जाएगा ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : ३२० अग्रिम परियोजनाओं का विचार है ताकि देश के प्रत्येक जिले में एक अग्रिम परियोजना हो ।

†डा० राम सुभग सिंह : क्या खण्ड विकास समिति में, अगली खेती की फसल आरंभ होने से पूर्व विभिन्न जिलों में ऐसी अग्रिम सहकारी खेती संस्थाएं आरम्भ करने के लिये भूमिका बनाई जा रही है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : मैं इसका हाँ या न उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है।

†श्री पु० र० पटेल : क्या सहकारी खेती सम्बन्धी कार्यकारी दल ने वर्तमान सहकारी खेती संस्थाओं के कार्य संचालन का परीक्षण किया है, यदि हां, तो उसका इस विषय में क्या मत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब० सू० मूर्ति : समिति नियुक्त की जा चुकी है और इसने इन संस्थाओं की वर्तमान स्थिति को देखा है। इस ने कहा है कि इनके प्रतिदिन के प्रबन्ध के लिये एक बोर्ड की आवश्यकता है ।

†श्री पहाड़िया : इन संस्थाओं को चलाने का क्या कोई विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जायेगा या इन का प्रबन्ध दूसरे सहकारी पदाधिकारी ही करेंगे ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : ब्यौरा अभी तैयार करना है ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या इन अग्रिम परियोजनाओं के लिये केन्द्र कोई सहायता देगा, यदि हां, तो कितनी राशि की?

†श्री ब० सू० मूर्ति : विचार यह है कि प्रविधिक क्या वित्तीय दोनों सहायतायें दी जायें, परन्तु कितनी सहायता होगी यह मैं इस समय बताने में असमर्थ हूं ।

†श्री ्घुवीर सहाय : क्या सहकारी खेती को बढ़ाने के लिये कोई विशेष विधि—केन्द्रीय या राज्य, बनाने का विचार है; यदि हां तो कब ?

† ी ब० सू० मूर्ति : इस के लिये कोई विशेष विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होगी जब एक बार राष्ट्र सहकारी खेती करने का फैसला कर लेगा ।

†श्री राधे लाल व्यास : इन अग्रिम सहकारी खेती संस्थाओं का क्षेत्र कितने एकड़ होगा और कितने किसान काम करेंगे अथवा इन संस्थाओं के सदस्य होंगे ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : यह ब्यौरा अभी तैयार करना है ।

†श्री यादव नारायण जाधव : क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्र को ऐसी अग्रिम सहकारी खेती संस्थाएं बनाने के लिये प्रार्थना की है या केन्द्र यह उन पर थोप रहा है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : ये सब काम पारस्परिक समझौते से किये जाते हैं ।

श्री विभूति मिश्र: क्या मंत्री जी को हिन्दुस्तान में किसी कोआपरेटिव फार्मिंग का अन्दाजा है कि उस में पर एकड़ कितनी इनकम रुपये पैसे में है और वहां पर जो किसान है उस की क्या पर एकड़ इनकम है ?

श्री ब० सू० मूर्ति : वह जो रिपोर्ट छपी हुई है उसमें यह सब चीजें दी हुई हैं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिंग पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतना जोर देते हैं तो मंत्री महोदय बतलायें कि एक एकड़ कोआपरेटिव फार्मिंग पर हिन्दुस्तान में कितनी रुपये पैसे में इनकम है और वहां पर जो एक इंडिविजुअल काम करता है उसकी पर एकड़ कितनी इनकम है ?

†श्री ब० सू० मूर्ति : निजलिंगप्पा समिति ने इस प्रश्न पर विचार किया है और अपनी सिफारिशें दी हैं। माननीय सदस्य इसे पढ़ लें। यदि फिर भी कोई बात हो तो उसकी ओर इस मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

†श्री विभूति मिश्र : मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। सहकारी खेती से प्रति एकड़ कितनी आय होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय उपमंत्री बता चुके हैं कि यह निजलिंगप्पा समिति के प्रतिवेदन में दी गई है । मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह अग्रिम परियोजना एक प्रकार की नमूना परियोजना होगी; यदि हां, तो सरकार सहकारी विधियों के बारे में क्या करने का विचार कर रही है ? क्या वह उन्हें ठीक करेगी, ताकि विधियां देश में सहकारी संस्थाओं के विकास में बाधक न हों ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति :** यह भिन्न प्रश्न है । सहकारी विधियां रुकावट न बनें बल्कि सहकारी संस्थाओं के विकास में सहायक हों, इस के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

बिहार के राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

***६२८. श्री विभूति मिश्र :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि चम्पारन जिला (बिहार) में सगौली और रक्सौला के बीच राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण पूरा हो चुका है किन्तु सगौली और रक्सौला के बीच पुल का निर्माण ३१ जुलाई, १९६० तक आरम्भ नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने सड़क का निर्माण पूरा करने के लिये कोई निश्चित तिथि निर्धारित की है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) विस्तृत डिज़ाइन तैयार करने, टेंडर मंगाने व टेंडर भेजने वालों की डिज़ाइन की जांच करने में समय लग गया था ।

(ग) इसके लिए कोई अन्तिम तिथि नहीं निश्चित की गयी है, लेकिन सम्भवतः पुलों सहित सड़क का निर्माण-कार्य लगभग दो वर्षों में पूरा हो जायगा ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो काठमांडू सड़क जायगी तो सुगौली और रक्सौला तक तो आप की सड़क बन गई है जैसा कि आपने रिपोर्ट में बतलाया है तो उस में जो नदियां हैं उन नदियों पर पुल कब तक बनेगा ?

श्री राज बहादुर : जी मैंने अभी निवेदन किया कि दो वर्षों के अन्दर जो बड़े बड़े पुल हैं उनका निर्माण-कार्य पूरा हो जायगा ।

श्री विभूति मिश्र : अभी दो साल से ज्यादा सड़कें बने हो गया । आवागमन में काठमांडू से आने जाने में दिक्कत है और जो नदियां पड़ती हैं एक सिकरहना जिसको कि बूढ़ी गंडक कहते हैं और दूसरी तिलावा यह जो दो नदियां पड़ती हैं तो इन पर पुल न होने से काठमांडू का यातायात बन्द है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार कोई निश्चित धारणा रखती है कि फलानी तिथि तक यह बन कर तैयार हो जायेगा . . . . ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य चाहते हैं कि काम यथाशीघ्र किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राजबहादुर : उन्होंने सरकारी नीति के बारे में पूछा है । हम लोगों ने केन्द्रीय सरकार ने इन दोनों पुलों की मंजूरी सन् १९५७ में दे दी थी लेकिन वहां से टेंडर वगैरह भेजने में लगभग दो साल का समय लगा । स्टेट गवर्नमेंट से वह सन् १९५९ में मिले और उस के बाद जो भी कार्य हो सकता है जल्द से जल्द किया गया ।

रेलों में अपराध

†*९२९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय के सुझाव पर गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को यह लिखे जाने के फल स्वरूप कि रेलों में अपराधों के सम्बन्ध में अधिक सतर्कता की आवश्यकता है, रेलों में अपराधों की संख्या में कोई बहुत कमी हुई है; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने रेलों में अधिक सतर्कता बरती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). गृह-कार्य मंत्रालय ने नवम्बर १९५९ में रेलों में अपराध पर अधिक गिरानी रखने की आवश्यकता पर जोर देने के बारे में राज्य सरकारों को निदेश दिया था और रेलों में अपराधों की मात्रा पर उक्त निदेश के प्रभाव का इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता । तथापि हाल के महीनों में अपराध स्थिति में समूचे रुप से सुधार हुआ है । राज्य सरकारें इस समस्या के प्रति अधिक जागरूक हैं और रेलों में अपराध रोकने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्रालय ने लाइनों पर जाने और अपराधों को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है या कोई विशेष अधिकारी नियुक्त किया है ? क्या कोई सक्रिय कार्यवाही की गई है या कि नहीं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हमारे पास जो सांख्यिकी है, जो अधिक विश्वस्त है, उस से ऐसा ही पता चलता है । प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर रेलवे पदाधिकारी होते हैं ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** :ऐसा होता है कि सामान्यतया कुछ महीनों में, अपराधों की संख्या घट जाती है और कुछ महीनों में बढ़ जाती है । इसलिये जिन महीनों में अपराध कम होते हैं, उन महीनों का अनुमान लगाना पर्याप्त नहीं होता । क्या रेलवे मंत्रालय ने इन बातों का पता लगाने के लिये कोई विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम ने कुछ महीनों का नहीं अपितु पिछले पांच सालों का अनुमान लगाया है, और इस के आधार पर मैं बोल रहा हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पिछले प्रश्न के उत्तर में पिछली बार माननीय मंत्री ने कहा था कि महिलाओं के डिब्बे में बटन दबाओ प्रणाली जारी की जायेगी क्या वह प्रणाली जारी की गई है और यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां, यह कुछ गाड़ियों में जारी कर दी गई है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : किन रेलों पर अपराधों की संख्या सर्वाधिक है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उत्तर रेलवे पर हत्याओं की संख्या सर्वाधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या जारी की गई बटन दबाम्रो प्रणाली ने महिलाओं के डिब्बों में गार्ड को यह बताने में कि वहां कुछ गड़बड़ है, सहायता की है ? क्या इस के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : इतनी शीघ्र यह बताना सम्भव नहीं है । यह हाल में ही तो जारी की गई है । परन्तु हम महिला सदस्य के आभारी हैं, जो सुझाव देने वालों में थीं, और जिनके सुझाव पर यह प्रणाली जारी की गई है ।

†श्री जांगड़े : क्या सरकार रेलवे रक्षण दल और रेलवे पुलिस को अपराधों को रोकने और उनका चालान करने के लिये अधिक शक्तियां देने के बारे में विचार कर रही है ?

†श्री शाहनवाज खां : उनके पास पहले ही बहुत शक्तियां हैं ?

†श्री स० मो० बनर्जी : पहले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि बहुत सी रेलों पर कुत्तों के दस्ते लगाये गये हैं । क्या उस के परिणामस्वरूप अपराधी पकड़े गये थे या क्या यह कुत्तों का दस्ता रेलवे पर भार बन गया है ?

†श्री शाहनवाज खां : दक्षिण रेलवे पर हमारे कुत्ता दस्ते ने बहुत अच्छा और असाधारण काम किया है । वास्तव में, सिविल पुलिस ने अपराधियों को ढूंढने के लिये उन की सेवाएं मांगी थीं । दुर्भाग्यवश, पूर्व रेलवे पर सब कुत्ते मर गये । परन्तु हम प्रत्येक रेलवे में एक विशेष पुलिस कुत्ता दस्ता बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

सियालदह और सिलीगुड़ी के बीच यात्रा-सुविधायें

†*६३०. श्रीमती रेणुका राय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह और सिलीगुड़ी के बीच दूरी कम करने और यात्रा-सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की; और

(ग) क्या इन में खजुरियाघाट और फर्राका के बीच गंगा नदी पर पुल बनाना भी शामिल है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) फर्राका और खजुरिया घाट के रास्ते तिलडंगा से सिलीगुड़ी तक ब्राड गेज रेलवे लाइन बनाने का काम आरम्भ किया जा चुका है ।

(ख) परियोजना में तिलडंगा-फर्राका लाइन, फर्राका और खजुरियाघाट के बीच फैरी, खजुरियाघाट और ओल्ड माल्डा के बीच एक नई बी० जी० लाइन, कटिहार-सिंघबाद और कुमेदपुर मुकुरिया (बारसाई) मीटर गेज से ब्राड गेज और बारसोई तथा सिलीगुड़ी के बीच एक नई ब्राड गेज लाइन का निर्माण सम्मिलित है ।

(ग) जी, नहीं ।

†श्रीमती रेणुका राय : मंत्री जी ने प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में 'न' कहा है, परन्तु खजुरियाघाट और फर्राका के बीच गंगा के ऊपर पुल न होने के कारण, ये दोनों लाइनों से जो बनाई जा रही हैं, उतनी ही तेज़ यात्रा नहीं हो सकेगी । क्या मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा और फर्राका बांध बनाने से पहले यह पुल बनायेगा क्योंकि बांध बनने में विलम्ब होने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवनराम)** : इस बात पर विचार किया जा चुका है और फैसला किया गया है कि पुल न बनाया जाए ।

†**श्री साधन गुप्त** : पुल बनाये बिना नदी के दूसरी ओर ब्राड गेज लाइनों का क्या उपयोग होगा, ताकि गाड़ियां ब्राड गेज लाइन से एक ओर से दूसरी ओर जा सकें ?

†**श्री जगजीवन राम** : उपयोग यह होगा कि वहां फैरी सेवा होगी ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : पुल न बनाने के फैसले का क्या कारण है ? यदि पुल का निर्माण हो गया तो यात्रा सुविधाएं आसान हो जाएंगी ।

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य को कारण विदित है । यह फर्राका बांध है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्योंकि फर्राका बांध में विलम्ब होने की सम्भावना है......

†**श्री जगजीवन राम** : विलम्ब क्यों ?

†**श्रीमती रेणुका राय** : किसी भी हालत में इसके बनने में वर्षों लगेंगे; क्या तुरन्त या बहुत शीघ्र रेलवे पुल बनाना सम्भव नहीं है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी, नहीं, क्योंकि हम १४ करोड़ रुपये का दोहरा व्यय करना नहीं चाहते ।

आहार पुष्टि

†*६३१. **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आहार पुष्टि मन्त्रणा समिति ने कुपोषण की समस्या तथा उसे दूर करने के उपायों के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सिफारिशें की गयी हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). आहार पुष्टि सम्बन्धी विभिन्न मामलों की चर्चा, जून १९६० में नई दिल्ली में राष्ट्रीय आहार पुष्टि मन्त्रणा समिति की पहली बैठक में की गई थी । समिति की सिफारिशों समेत बैठक की कार्यवाही की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३९]**

सरकार ने अभी सिफारिशों पर कोई फैसला नहीं किया ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या इस मामले में राज्यों के संगठनों से परामर्श लिया गया था ?

†**श्री करमरकर** : हम राज्यों के साथ लगातार सलाह कर रहे हैं । ये सिफारिशें भी केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के सामने जायेंगी जिसमें सब राज्यों के मंत्री हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री यादव नारायण जाधव : भारतीय जनता की आहार पुष्टि सम्बन्धी आदतों के बारे में आवश्यक संख्यिाकी एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री करमरकर : हम सामान्य आहार पुष्टि सर्वेक्षण करवा रहे हैं, परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को पता है, वैज्ञानिक ढंग से सांख्यिकी एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा । परन्तु हमें विभिन्न राज्यों के लोगों के आहार स्वरूप का मोटे तौर पर ज्ञान है ।

"प्राच्य देश भ्रमण वर्ष"

†*९३२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को भारत में बुलाने के लिये एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के "प्राच्य देश भ्रमणवर्ष" (विजिट दी ओरियेन्ट ईअर) के प्रस्ताव पर विचार किया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग के इस प्रस्ताव पर कि सदस्य सरकारों को १९६१ वर्ष को "प्राच्य देश भ्रमण वर्ष" के रूप में मनाना चाहिये, भारत सरकार के अन्य विभागों के परामर्श से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । आशा है कि शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लिया जाएगा ।

†श्री रघुनाथ सिंह : भारत में कितने पर्यटक आयेंगे, इसके बारे में क्या आशा हैं ?

†श्री राज बहादुर : हमें आशा है कि इस आन्दोलन से भारत में बहुत से पर्यटक आयेंगे ।

दामोदर घाटी निगम का तिलैया जलाशय

†*९३३. { + श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के तिलैया जलाशय की सिंचाई-क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

तिलैया बांध उस एकीकृत योजना का एक अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियन्त्रण है किन्तु जिससे आनुषंगिक रूप में सिंचाई और बिजली की सुविधाएं प्राप्त होंगी । इसलिये यह बांध की योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी विशेष क्षेत्र में सिंचाई करने के उद्देश्य से नहीं बनायी गयी थी। तिलैया जलाशय में १ लाख १५ हजार एकड़ फीट पानी को संग्रह करने की क्षमता है जिसके द्वारा सिंचाई की जा सकती है। इस पानी को बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों में सिंचाई के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। तिलैया के पानी के इस्तेमाल द्वारा बिहार में सिंचाई करने के लिये निगम द्वारा बनायी गयी कुछ योजनाएं घाटे का सौदा थीं इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया। तथापि तिलैया जलाशय के पानी से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर बांध और सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई की जा रही है।

†**श्री रा० च० माझी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या तिलैया बांध से बिजली उत्पन्न की गयी है ?

†**श्री हाथी** : जी हां।

हृदय-रोग

†*६३५. **श्री कालिका सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लैंड के मार्कोनी इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ने एक ऐसी इलेक्ट्रानिक एक्स-रे मशीन तैयार की है जो एक बड़े पर्दे पर मानव हृदय का चित्र दिखलायेगी जिससे किसी भी हृदय-रोग की स्पष्ट पहचान की जा सके;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत के किसी भी अस्पताल में वह मशीन लगाने का भारत सरकार का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) इस उपकरण में एक फ्लोरोस्कोपिक पिक-अप कैमरा यूनिट (Flcuroscopic Pick up Camera Unit) और एक व्यूइंग मानिटर (Viewing Monitor) होता है। इन दोनों को छत से लटकाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस उपकरण में एक काम्पेक्ट इलैक्ट्रानिक कैबिनट असैम्बली (Compact Electronic Cabinet Assembly) होती है, जिसे आपरेशनल (Operational) क्षेत्र में रखा जा सकता है। इस उपकरण की बनावट ऐसी है कि इसे किसी भी किस्म के स्टैन्डर्ड डायाग्नास्टिक एक्सरे फ्लोरोस्कोपिक एपरेटस (Standard diagnostic X-ray Flouroscopic Apparatus) के साथ फिट किया जा सकता है। गामा (Gamma) के नियन्त्रण, उन्नत लक्षणों और पर्दे पर आने वाली अधिक सफाई के कारण इस उपकरण द्वारा फ्लोरोस्कोपिक जांच का निदानात्मक मूल्य बढ़ गया है।

(ग) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है किन्तु हम यथाशीघ्र ऐसी मशीन लगाना चाहेंगे।

†**श्री कालिका सिंह** : यदि हम इस मशीन को अपने अस्पतालों में लगाना चाहें तो कितनी लागत आयेगी ?

†**श्री करमरकर** : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि पूर्वी जर्मनी के हृदय-रोग विशेषज्ञ डा० लिम्बके को भारत आने का और हमें सलाह देने का आमन्त्रण दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : मुझे इसके लिये पूर्व-सूचना की आवश्यकता है ।

लुधियाना-जालन्धर लाइन

†*९३७. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १४ जुलाई, १९६० को रेलवे लाइन टूट जाने के कारण लुधियाना और जालन्धर के बीच रेल यातायात बन्द हो गया था ;

(ख) रेलवे लाइन की मरम्मत का काम कब तक चलता रहा ; और

(ग) रेलवे लाइन की शीघ्र मरम्मत के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) भारी वर्षा के कारण, चिहेरु रेलवे स्टेशन के निकट अस्थायी शाखा रेलवे लाइन के बैठ जाने से १४ जुलाई, १९६० को सुबह ७·३० से १३·२० बजे तक लुधियाना और जालंधर के बीच रेलवे यातायात बन्द हो गया था । इस अवधि में मरम्मत का काम पूरा हो गया था ।

(ग) मज़दूरों और सामान को प्रत्येक संभव स्थान से इकट्ठा करने के लिये तत्काल कार्यवाही की गई थी और जहां तक सम्भव था, कम से कम समय में मरम्मत का काम समाप्त किया गया ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

रजिस्टर्ड पत्र का वितरण

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब विधान सभा के एक सदस्य द्वारा पंजाब की भ्रष्टाचार विरोधी समिति के प्रधान को भेजा गया एक रजिस्टर्ड पत्र, जिस में पंजाब के मुख्य मंत्री के विरुद्ध शिकायतें थीं, पंजाब के मुख्य मंत्री को दे दिया गया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, हां ।

(ख) १७-८-६० को पंजाब मंडल के पोस्टमास्टर जनरल के अम्बाला स्थित कार्यालय में १६-८-६० को लिखी हुई एक शिकायत इस सम्बन्ध में मिली थी ।

(ग) पत्र को गलत स्थान पर पहुंचाने में जिन लापरवाह व्यक्तियों का उत्तरदायित्व है, उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या यह सच है कि वह पत्र, जिस में पंजाब के मुख्य मंत्री के विरुद्ध मूल दस्तावेजी सबूत हैं, अभी तक पंजाब के मुख्य मंत्री के कब्जे में है और उसे अभी तक उस व्यक्ति के पास नहीं भेजा गया, जिस के नाम यह भेजा गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : मुझे इतने ब्योरे का पता नहीं। जिस व्यक्ति से यह गलती हुई है उस के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या उस पत्र को, जो भूल से मुख्य मंत्री को दिया गया था, मुख्य मंत्री से वापिस ले कर उस व्यक्ति को दे दिया गया है, जिस के नाम यह भेजा गया था ?

†डा० प० सुब्बरायन : इस में कोई सन्देह नहीं कि यह पत्र गलत जगह पर दे दिया गया था, और जिस व्यक्ति से यह भूल हुई थी उसे दंड दिया जा रहा है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना यह है कि उस पत्र के अन्दर मूल दस्तावेज थे और उन्हें गलत स्थान पर पहुंचा दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय इस बात को मानते हैं कि यह पत्र गलती से उस आदमी को दिया गया है जिस के नाम इसे नहीं भेजा गया था। जिस व्यक्ति ने यह भूल की है, उसे दंड देने के अतिरिक्त क्या उस पत्र को वापस लेने और उसे उपयुक्त व्यक्ति के पास भेजने का भी कोई प्रयत्न किया गया है ? प्रश्न यह है।

†डा० प० सुब्बरायन : जी हां, श्रीमान्। हम ऐसा करने का यत्न कर रहे हैं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : गल्ती से दी गई रजिस्टर्ड चिट्ठी को लौटाने से इन्कार करना, भारतीय डाक घर एक्ट की धारा ६० और ६९ के अन्तर्गत एक अपराध है। इस बात को देखते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इन अपराधियों के विरुद्ध, पंजाब के मुख्य मंत्री सहित, कोई कानूनी कार्यवाही की जायेगी ?

†डा० प० सुब्बरायन : हमारा ऐसा कोई कदम उठाने का विचार नहीं।

†श्री त्यागी : बात चाहे मुख्य मंत्री की हो अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण की, किन्तु इस बात का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम भेजा गया पत्र मुख्य मंत्री को देना कैसे संभव हुआ। किस व्यक्ति ने अपने प्रभाव का प्रयोग किया ? क्या मुख्य मंत्री ने अथवा डाकतार अधिकारियों ने ?

†डा० प० सुब्बरायन : मेरा ख्याल है कि यह उस डाकिये की भूल के कारण हुआ जो पत्र बांट रहा था (अन्तर्बाधायें)।

†श्री त्यागी : इसमें भूल कैसे हो सकती है ? एक पत्र, जिसमें मेरे विरुद्ध शिकायत है, डाकिये द्वारा भूल से मुझे ही दे दिया जाता है। यह बड़ी विचित्र बात है।

†डा० प० सुब्बरायन : कई बार ऐसा हो जाया करता है।

†श्री त्यागी : क्या यह पत्र बांटने की सामान्य प्रणाली है ?

†डा० प० सुब्बरायन : यह सामान्य प्रणाली तो नहीं है किन्तु इस संसार में कई बार ऐसी घटनायें हो जाया करती हैं (अन्तर्बाधायें)

†श्री नाथपाई : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को गंभीरतापूर्वक लें।

†श्री त्यागी : यह बहुत गम्भीर बात है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : मुझे इस बात का बड़ा कटु अनुभव है। जेल से मैंने प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री को जो पत्र लिखे थे, वे उन तक नहीं पहुंचाये गये। ऐसी बातें हो रही हैं ; राज्य सरकारें पत्र-व्यवहार में भी हस्तक्षेप करती हैं। यदि यह बात एक संसद्-सदस्य के साथ हो सकती है तो साधारण नागरिकों की हालत क्या होगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : श्री नाथ पाई द्वारा प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री को लिखे गये पत्रों का न पहुंचाया जाना एक बिल्कुल अलग मामला है। इसका विचाराधीन मामले से कोई संबंध नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : यह तो एक सीधा निष्कर्ष है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हों ने यह सुझाव दिया है कि इस संबंध में गंभीर कार्यवाही की जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या पंजाब के मुख्य मंत्री और किसी अन्य व्यक्ति ने रसीद पर हस्ताक्षर कर के वह पत्र लिया अथवा क्या मुख्य मंत्री अथवा उन के किसी एजेंट ने इस पत्र को यह कह कर लौटा दिया है कि यह पत्र उन का नहीं है ? क्या उन्हों ने इस बारे में तहकीकात की है ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : हम इस बात की जांच कर रहे हैं। मुझे अभी तक पूरा ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यह तो एक बड़ा सीधा सा मामला है। अगर एक रजिस्टर्ड पत्र 'क' को भेजा जाता है और 'ख' उसे ले लेता है और इसे खोल लेता है तो इस का पता तो बिना किसी सूक्ष्म जांच के बड़ी जल्दी लग सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं, कि रजिस्टर्ड पत्र प्राय: 'अकनालजमेंट' के साथ भेजे जाते हैं। क्या यह सच है अथवा नहीं कि पत्र को लेने से पहले मुख्य मंत्री अथवा उन के किसी एजेंट ने पत्र-प्राप्ति के हस्ताक्षर किये अथवा नहीं ?

†**डा ०प० सुब्बरायन** : मुझे अभी तक इस बात की सूचना नहीं कि रसीद पर किस ने हस्ताक्षर किये। मुझे यही पता है कि पत्र गल्त स्थान पर दे दिया गया। हम यह जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि पत्र किस ने प्राप्त किया।

†**श्री त्यागी** : स्थानीय पोस्टमास्टर ने क्या सफाई दी है ? मैं जानना चाहता हूं कि पोस्ट-मास्टर ने इस सम्बन्ध में क्या रिपोर्ट दी है ? क्या पत्र को भूल से गलत स्थान पर दिया गया अथवा जान बूझ कर मुख्य मंत्री के पास पहुंचाया गया ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : 'जान बूझ कर' ऐसा किया गया, मैं इसे मानने को तैयार नहीं। मेरा विचार है कि यह बात जान बूझ कर नहीं की गई। हम तो यही जानने का यत्न कर रहे हैं कि यह पत्र गलत व्यक्ति के पास कैसे पहुंचा दिया गया। मुझे अभी पूरी सूचना प्राप्त नहीं। माननीय सदस्य अल्प-सूचना प्रश्न पूछना चाहते थे और मैंने वह सारी जानकारी उन्हें दे दी है, जो मेरे पास थी।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री पंजाब की भ्रष्टाचार विरोधी समिति के सभापति हैं, और यदि हां तो यह क्यों कहा जा रहा है कि यह पत्र गलत स्थान पर दिया गया ? दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य महोदय किसी अन्य समिति की बात कर रहे हैं जिस का नाम सतर्कता समिति है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**डा० प० सुब्बरायन** : मेरा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं कि मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार विरोधी समिति के प्रधान हैं। मेरा सम्बन्ध तो इस बात से है कि एक व्यक्ति के नाम भेजा गया पत्र किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया गया।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पत्र किस के नाम भेजा गया था, किस को दिया गया और रसीद पर हस्ताक्षर किस व्यक्ति ने किये ?

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इतने अधीर क्यों हैं। सभी सदस्य एक साथ प्रश्न नहीं पूछ सकते।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : स्पष्टतः यह एक ऐसा मामला है जिस के बारे में सभा को पूरे तथ्य जानने का अधिकार है। इस बात को देखते हुए, जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस समय मामले की जांच कर रहे हैं, हमें कुछ प्रतीक्षा करनी चाहिये और जांच समाप्त होने पर वह सारे तथ्य पेश कर देंगे।

†**श्री वाजपेयी** : उचित रूप से जांच किये बिना यह कहा जा रहा है कि यह पत्र गलत व्यक्ति को दे दिया गया था। हमारी शिकायत यह है कि ऐसा जानबूझ कर किया गया था। जब तक पूरी जांच न हो, मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम जांच के परिणामों की प्रतीक्षा करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय, जांच समाप्त होने के पश्चात् सारी सम्बन्धित सामग्री सभा को प्रस्तुत करेंगे।

†**श्री त्यागी** : अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना प्राप्त हुए, मंत्री महोदय को एक सप्ताह हो चुका है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार इतनी निकम्मी है कि वह इस अवधि के भीतर पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी।

†**श्री बजराज सिंह** : क्या हमें इस बात का आश्वासन दिया जायेगा कि वर्तमान अधिवेशन समाप्त होने से पहले यह रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय को जांच पूरी कराने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : कम से कम तीन सप्ताह।

†**श्री वाजपेयी** : जांच कौन कर रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अगला अल्प-सूचना प्रश्न लेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। जब किसी अल्प-सूचना प्रश्न की सूचना दी जाती है तो यह मंत्री के ऊपर है कि वह उस को स्वीकार करें या न करें। किन्तु जब वह एक बार उस को स्वीकार कर लेते हैं तो यह आशा की जाती है कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है और वह सभा को पूरी जानकारी दे सकेंगे। जब मंत्री महोदय अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें कम से कम आवश्यक और सम्बन्धित जानकारी तो देनी ही चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : यह जाहिर है कि सदस्य महोदय मंत्री महोदय की अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार करने के लिये आलोचना कर रहे हैं ।

†श्री ब्रजराज सिंह : नहीं, श्रीमान् ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : नहीं श्रीमान् । यह आलोचना तो सभा को पूरी जानकारी न देने पर है ।

†अध्यक्ष महोदय : तब तो भविष्य में कोई भी मंत्री अल्प-सूचना प्रश्न का उत्तर देना स्वीकार नहीं करेंगे । बहुत से सदस्यों द्वारा अपने स्थान से उठने से यह प्रकट होता है कि बहुत से सदस्यों को इस बात में दिलचस्पी है क्योंकि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये थी । और यदि किसी राज्य के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में यह बात हो तो मामला और भी गम्भीर हो जाता है । अतः माननीय सभा को जितनी जल्दी हो सके, पूरी जानकारी देना चाहते हैं । वे इस मामले की उपेक्षा नहीं कर रहे । वे इस की तहकीकात करने और सही बात जानने का तुरन्त यत्न कर रहे हैं । जब उन्हें जानकारी प्राप्त हो जायेगी तो. . . .

†श्री ब्रजराज सिंह : तीन सप्ताहों में ।

†अध्यक्ष महोदय : यह कोई सीमा नहीं है । इस बीच यदि उन्हें पहले जानकारी मिल गयी तो वह सभा में रिपोर्ट पेश कर देंगे ।

†श्री वाजपेयी : जांच कौन कर रहा है ?

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या आप मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि वे अधिवेशन समाप्त होने से पहले ही रिपोर्ट दे देवें ।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

उड़ीसा में बाढ़

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ८—श्री प्र० गं० देव: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अभी हाल ही में आई बाढ़ से टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइनों को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इन सुविधाओं की पुन: व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) बाढ़ के कारण सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) :** (क) जी हां ।

(ख) जिन तार संचार लाइनों को नुकसान पहुंचा था, उनमें से अधिकतर ठीक कर ली गई हैं ?

(ग) अनुमानतः ४०,००० रु० की सम्पत्ति की हानि हुई है ।

†**श्री प्र० गं० देव :** क्या मैं जान सकता हूं कि सम्बलपुर सब-डिवीजन टेलीफोन और टेलीग्राफ-संचार व्यवस्था से कितने दिन कटा रहा और इस आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी और उस पर कितना व्यय हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० प० सुब्बरायन : अधिकतर संचार-लाइनों को पुनः चालू कर दिया गया है। कलकत्ता से कटक तक की लाइन काम कर रही है और बम्बई और कटक के बीच रेडियो-टेलीफोन लाइन भी चालू है ।

†श्री प्र० गं० देव : सम्बल जिले के रायर खोले और देवगढ़ सब-डिवीजन से प्राप्त होने वाले भयंकर समाचारों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि इन इलाकों में राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण, मुरम्मत और उन्हें पुनः चालू करने के सम्बन्ध में क्या विशेष और तात्कालिक कार्यवाही की गयी है ?

†डा० प० सुब्बरायन : जैसा कि मैं बता चुका हूं हम ने इन लाइनों को चालू करने के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की है। जब उड़ीसा के गवर्नर यहां आये थे तो मैंने उनसे इस बारे में बातचीत की थी। और कहा था कि यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो वह मुझे टेलीफोन कर लें। अभी तक मुझे उन का कोई टेलीफोन नहीं मिला। इस का यह अर्थ है टेलीफोन लाइनें ठीक कार्य कर रही हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सड़क परिवहन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण व अनुसंधान संस्था

*९१७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवहन उपक्रमों के प्रतिनिधियों के आठवें वार्षिक सम्मेलन में सड़क परिवहन पदाधिकारियों के लिये एक केन्द्रीय प्रशिक्षण-व-अनुसन्धान संस्था स्थापित करने की जिस योजना के बारे में सिफारिश की गई थी उसे कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : भारत सरकार इस योजना पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

यूगोस्लाविया से जहाज

†*९२३. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूगोस्लाविया से जहाज खरीदने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदे जाने वाले हैं ।

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) इस विषय पर विचार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश के लिये चीनी के अभ्यंश का नियत किया जाना

***६२४. श्री पद्म देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के लिये चीनी का अभ्यंश किस आधार पर नियत किया जाता है ;

(ख) इस में से ग्रामीण और शहरी लोगों में वितरण के लिये अलग अलग कितनी चीनी का अभ्यंश निश्चित किया गया है; और

(ग) ग्रामीण लोगों में चीनी का वितरण किस प्रकार किया जाता है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के परामर्श से प्रारम्भ में हिमाचल प्रदेश के लिये ३५० टन का मासिक कोटा निर्धारित किया गया था । जून, १९६० से यह कोटा ५०० टन प्रति मास कर दिया गया है ।

(ख) शहरी और ग्रामीण लोगों में चीनी बांटने के लिये अलग अलग मात्रायें निर्धारित नहीं की जाती हैं ।

(ग) चीनी सस्ती चीनी की दुकानों द्वारा बांटी जाती है जो कि अधिकांश सहकारी समितियों द्वारा चलायी जाती हैं ।

दिल्ली में घोसियों की बस्ती

***६२७. श्री नवल प्रभाकर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में घोसी (दूध वालों की) बस्ती बसाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह बस्ती कहां बसाई जायेगी ;

(ग) वहां कितने घोसी बसाये जायेंगे ;

(घ) क्या दुधारू पशुओं के लिये भी जगह दी जायेगी ;

(ङ) यदि हां, तो हर पशु के लिये कितनी जगह दी जायेगी ; और

(च) यह बस्ती कब तक बस जायेगी ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (च). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना में ४ या ५ ढोरों की कालोनियों के स्थापना की व्यवस्था है, जो कि शहर के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त स्थानों पर विभिन्न दिशाओं में स्थापित की जायेंगी । अभी तक टाउन प्लानिंग आर्गेनाइज़ेशन तथा नगरपालिका निगम, दिल्ली की सलाह

से केवल एक ढोर कालोनी के स्थान पर निश्चय किया गया है । यह कालोनी बदरपुर गाँव के पास होगी । इस कालोनी में ४००० से ५००० दुधारू पशुओं के रहने के स्थान बनाने का ध्येय होगा । इसमें रहने वाले घोसियों की संख्या लगभग ५०० होने की आशा है । दुधारू पशुओं और उनके रखने वालों को सेनिटेरी कैटल शैड में रखा जायेगा, इस शैड में प्रति दुधारू पशु के लिये लगभग ५० वर्ग फुट स्थान होगा । इस कालोनी की लगभग दो सालों में पूरा होने की आशा है ।

पर्मनेंट वे इन्स्पेक्टर, सूरतगढ़

***९३४. श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में सूरतगढ़ में नियुक्त पर्मनेन्ट वे इन्स्पेक्टर गैंगमैन के जाली हस्ताक्षर करके और अंगूठे लगा कर स्वयं उनका वेतन लेता रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन नामों के व्यक्तियों को जब यह पता लगा कि उपरोक्त पर्मनेन्ट वे इन्स्पेक्टर उनके नामों का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ उठा रहा है तो उन्होंने इस बात की सूचना रेलवे विभाग को दी थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब उक्त अफसर को यह पता लगा कि उसकी शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों से की गई है तो शिकायत करने वाले व्यक्तियों को पीटा गया; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, इस तरह का एक मामला नोटिस में आया है ।

(ख) कर्मचारियों ने एक बाहरी आदमी के ज़रिए इस मामले की सूचना रेल प्रशासन को दी थी ।

(ग) रेल प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है ।

(घ) अनुशासन की कार्रवाई की जा रही है ।

तेल वाहक जहाज

†*९३६. श्री प्र० के० देव : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि केवल सरकारी क्षेत्र में ही तेल वाहक जहाज प्राप्त किये जा सकते हैं ?

(ख) भारत को कुल कितने तेल वाहक जहाजों की आवश्यकता है ;

(ग) क्या उनकी खरीद के लिए व्यवस्था की गयी है ;

(घ) यदि हां, तो कब खरीद की जायेगी ; और

(ङ) क्या देश में जहाज बनाने वाले कारखाने देश के लिए आवश्यक सब तेल वाहक जहाज तैयार कर सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) से (ङ). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां, सिद्धान्त रूप में।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि यदि हम तीसरी योजनायें भारतीय तेल वाहक जहाजों से सारा तेल लाना ले जाना चाहते हैं तो कुल लगभग ६ लाख डी० डबल्यू० टी० के ३० तेल वाहक जहाजों के एक बेड़े की जरूरत होगी ।

(ग) और (घ). जी नहीं । तेल वाहक जहाज उसी हद तक खरीदे जा सकते हैं जहां तक कि विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध साधनों से संभव है । पहली योजना में १३,१२५ डी० डब्ल्यू० टी० का एक तटीय तेल वाहक जहाज प्राप्त किया गया था । दूसरी योजना के अधीन, कुल २,३६६ डी० डब्ल्यू० टी० के दो तटीय तेल वाहक जहाज अब तक प्राप्त किये गये हैं तथा समुद्र में जाने वाले और तेल वाहक जहाज भी प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल लगभग ६०,००० डी० डब्ल्यू० टी० के ४ तेल वाहक जहाज प्राप्त करने का विचार है ।

(ङ) देश में जहाज बनाने के कारखाने अभी तक इस स्थिति में नहीं हैं कि वे तेल वाहक जहाजों का निर्माण हाथ में ले सकें ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये अस्वस्थता सर्वेक्षण

†*६३८. **श्री आसर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अस्वस्थता सर्वेक्षण करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यह सर्वेक्षण कब से किया जाने वाला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां । सरकार ने दिल्ली और नयी दिल्ली में अंशदायी स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने वालों के बारे में अस्वस्थता सर्वेक्षण करने का निश्चय किया है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ग) प्रारंभिक कार्य शुरू हो गया है और आशा है कि वास्तविक सर्वेक्षण का पहला दौर सितम्बर, १९६० के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जायगा ?

विवरण

प्रस्तावित अस्वस्थता सर्वेक्षण के संबंध में जो आंकड़े इकट्ठे किये जाने हैं उनमें निम्नलिखित बातें होंगी :—

(१) कितने व्यक्ति किसी विशिष्ट रोग से पीड़ित हैं, कितनी बार, और कब से ?

†मूल अंग्रेजी में

(२) जो चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य सेवाएं दी गयी हैं उनसे इन रोगों की क्या मांगें हैं ?

(३) स्वस्थता की गति और पूर्ण स्वस्थता की दिशा में प्रस्तुत चिकित्सा कहां तक कारगार है ?

(४) इन रोगों के कारण किस हद तक लोगों को अपने सामान्य कार्य करने में रुकावट होती है ?

(५) किसी विशिष्ट समुदाय में अर्थात् आयु, लिंग,......पेशा या निवास स्थान के अनुसार किस हद तक ये रोग केन्द्रीभूत हुए हैं ?

(६) ये बातें समय समय पर (प्रत्येक मौसम, प्रत्येक वर्ष आदि में) कहां तक बदलती हैं ?

'लक्ज़री' अमरीकी कारों का आयात

†*६३६. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५७ से मार्च, १९६० तक पर्यटकों के लिए कितनी 'लक्ज़री' अमरीकी कारें दिल्ली में विदेश से मंगायी गयीं ;

(ख) वे किन्हें दी गयीं ; और

(ग) ऐसा क्यों किया गया ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) पर्यटन विभाग के कहने पर १९५९ में अलग अलग कल पुर्जों में खुली हुई ६० मोटर गाड़ियां विदेशों से मंगायी गयीं। बम्बई में ये गाड़ियां अभी जोड़ी जा रही है। १९५७ या १९५८ में किसी मोटर गाड़ी का आयात नहीं किया गया।

(ख) इन में से २७ मोटर गाड़ियां राज्य सरकारों के लिए रक्खी गयी हैं और शेष गाड़ियों का वितरण दिल्ली, बंबई और कलकत्ता के मोटर गाड़ी संचालकों में किया जायगा।

(ग) राज्य सरकारों को यह गाड़ियां उन पर्यटन केन्द्रों में, जहां पर्यटक जाना पसन्द करते हैं, किन्तु जहां परिवहन सुविधाएं नहीं हैं, अधिक अच्छी परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए दी गयी हैं। गैर-सरकारी संचालकों को ये गाड़ियां उन वर्तमान बड़ी गाड़ियों की जगह दी जायेंगी जो अब "लक्जरी ट्रैक्सियों" के तौर पर चलाने के योग्य नहीं समझी जातीं।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर पुल

†*६४०. { **श्री भोलानाथ विश्वास :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ (आसाम लिन्क) संख्या ३१ पर महानन्दा नदी पर डीगरा पुल बनाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उस सड़क पर दूसरे पुल जिनके खराब हो जाने का समाचार मिला है, बनाने का काम शुरू किया गया है ; और

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, तो वे संभवतः कब तक पूरे हो जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) पुल बनाने के लिए राज्य सरकार ने नये टेन्डर मंगाये हैं। टेंडरों के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय राजपथ पर जो भी पुल खराब हो गये हैं उनका ब्यौरा बताने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है । यह जानकारी प्राप्त होने पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायगी ।

जलपान-गृह

*६४१. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे जलपान-गृहों और भोजन गाड़ियों (डाइनिंग कार) में मासिक वेतन के बजाय कमीशन के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में मन्त्रालय ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) यह निर्णय किस-किस रेलवे में कार्यान्वित किया गया है या किया जाने वाला है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). १९५४ में पहले पहल जब खान-पान समिति की सिफारिश पर विभागीय खान-पान व्यवस्था का विस्तार किया गया था, तो हिदायत दी गयी थी कि रेलवे द्वारा संचालित भोजनालयों में खाने-पीने की जो चीजें तैयार की जाती हैं, प्लेटफार्म पर उनकी बिक्री का प्रबन्ध, जहां तक हो सके, फेरी वालों से कमीशन के आधार पर कराया जाय । अब हिदायत दी गयी है कि रेलवे द्वारा संचालित भोजनयानों से गाड़ी के डिब्बों में खाने-पीने की चीजें पहुंचाने के लिये भी कमीशन के आधार पर वेटर रखे जायें ।

उपरोक्त हिदायतों पर सभी रेलों ने अमल किया है या कर रही हैं ।

अम्बाला छावनी स्टेशन पर धोखेबाजी

†*६४२. **श्री तंगामणि** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ मई, १९६० को उत्तर रेलवे के अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति जो यह बताता था कि उसे डिविजनल पर्सोनेल आफिसर ने भेजा है, ड्यूटी पर तैनात बुकिंग क्लर्क की जगह बदली पर आ गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि ७४० रुपये और कुछ कागजात ला पता पाये गये ;

(ग) अभियुक्त पर अभियोग चलाने के लिये इस मामले में क्या कायवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि जो तार डिविजनल पर्सोनेल आफिसर द्वारा भेजा गया बताया जाता है वह कहां से भेजा गया था; और

(ङ) भविष्य में ऐसी धोखेबाजी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी हां ।

(ख) लगभग १ हजार रुपये की रकम और अम्बाला छावनी से नई दिल्ली तक का पहले दर्जे का टिकट और विविध रोकड़ बही के पांच पन्ने लापता पाये गये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) अपराधी का पता लगाने के लिये अम्बाला की सरकारी रेलवे पुलिस कोशिश कर रही है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) बदली करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में पहचान-पर्चियां जारी करने का विचार है।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*९४३. { **श्री शंकरैया :**
श्री सुगन्धि : }

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले और दूसरे दौर में नागार्जुन सागर परियोजना से कि.ना क्षेत्र सींचे जाने की योजना है;

(ख) उस क्षेत्र में से कितना कृष्ण बेसिन के अन्दर है और कितना बाहर है ;

(ग) कृष्ण बेसिन से बाहर का क्षेत्र सींचने के लिये कितने पानी की जरूरत होगी ;

(ग) नागार्जुन सागर परियोजना पर मंजूरी देने से पहले क्या कृष्ण बेसिन के अन्तर्गत सभी सम्भव परियोजनाओं के लिये व्यवस्था कर ली गयी है;

(ङ) क्या १९५२ के नियतन के समय नागार्जुन सागर परियोजना के लिये कृष्ण का कोई जल दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो कितना ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (च). आन्ध्र प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी गयी है और वह यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी।

चकरौता के निकट विमान दुर्घटना

***९४४. श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चकरौता के निकट १९ जून, १९६० को हुई "एयरो कमाण्डर" विमान की घातक दुर्घटना की जांच करने वाले पदाधिकारी का नाम क्या है;

(ख) यह जांच कब तक पूरी होने की सम्भावना है; और

(ग) दुर्घटना के परिणामस्वरूप मारे गये और जख्मी हुए लोगों के परिवारों को उक्त विमान के निर्माताओं से क्षतिपूर्ति दिलाने में क्या प्रगति हुई है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). हादसात के इंसपेक्टर श्री ए० एम० एन० शास्त्री ने इस हादसे की जांच की। उनकी रिपोर्ट हुकूमत के पास २४ अगस्त, १९६० को पेश हुई है जिस पर गौर हो रहा है।

(ग) सवाल ज़ेरे गौर है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली के इर्विन अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगी

†*६४५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इर्विन अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या वहां उपलब्ध स्थान से बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो रोगियों की आवश्यकता पूरी करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या दिल्ली के अन्य अस्पतालों की हालत भर्ती होने वाले रोगियों की भीड़ के मामले में इर्विन अस्पताल की हालत से अधिक अच्छी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) इर्विन अस्पताल में १२० बिस्तरों वाला एक और वार्ड तैयार हो चुका है। मौलाना आजाद कालेज के लिये जगह न मिलने के कारण यह कालेज अभी इस वार्ड को काम में ला रहा है। कालेज की इमारत बनायी जा रही है। ज्यों ही कालेज की इमारत तैयार हो जायगी, यह वार्ड खाली कर दिया जायगा और उसी काम में लाया जायगा जिस काम के लिये यह बनाया गया था। यह वार्ड जोड़ दिये जाने से अस्पताल का विस्तार अधिकतम सीमा तक हो जायगा तथा और आगे इसका विस्तार करना आवश्यक नहीं है। फिर भी तीसरी योजना में कुछ वर्तमान अस्पतलों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और दिल्ली के विभिन्न भागों में कुछ नये अस्पताल खोलने का विचार है। जब यह प्रस्ताव कार्यान्वित हो जायगा, तब इर्विन अस्पताल पर बोझ कम हो जायगा।

(ग) जी हां।

दिल्ली में हैजा

†*६४६. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हैजा फैल गया है और भारत के अन्य भागों से भी उसके बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में समाचार प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी या करने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०**]

टेलीफोन एक्सचेंज

†*६४७. **श्री इ० मधुसूदन राव**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में काकिनाड़ा, गुण्टूर, विजयवाड़ा, विशाखपत्तनम्, करनूल और वारंगल में तथा राजस्थान में जयपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब शुरू किया जायगा और कब तक पूरा हो जायेगा;

---

†मूल अंग्रेजीमें

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर विचार करना सम्भव है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) आन्ध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम् में स्वचालित टेलीफोन लगाने के प्रस्ताव हैं। राजस्थान में जयपुर में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज पहले ही बनाया जा चुका है।

(ख) विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम् स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिये साज सामान लगाने का काम सम्भवतः १९६२–६३ में शुरू किया जायगा और वह १९६३–६४ में पूरा हो जायेगा।

(ग) और (घ). तीसरी योजना में गुंटूर में स्वचालित एक्सचेंज कायम करने के प्रश्न पर सक्रिय विचार हो रहा है। काकिनाड़ा, करनूल और वारंगल में टेलीफोनों की मांग और उपलब्ध साधनों से यह न्यायसंगत नहीं है कि इन स्थानों में तीसरी योजना अवधि में स्वचालित एक्सचेंज स्थापित किये जायें।

निजी विमान संचालक

†*९४८. **श्री राम गरीब** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सभी निजी विमान संचालक (इंडेपेन्डन्ट एयर लाइन्स आपरेटर्स) पूरी तौर से भारतीय स्वामित्व और प्रबन्ध के अधीन हैं ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : जी नहीं। जिन सात कम्पनियों के पास गैर-अनुसूचित अनुमति पत्र हैं, उनमें से पांच कम्पनियों के निदेशक भारतीय राष्ट्रजन हैं। दो कम्पनियों में तीन निर्देशक भारतीय नहीं हैं। यह भी बताया गया है कि दो कम्पनियों में कुछ शेयर होल्डर भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं।

दिल्ली दुग्ध संभरण योजना

*९४९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना के प्राधिकारियों पर अभियोग चलाया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

मीट्रिक प्रणाली

*९५०. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीट्रिक प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिये मुख्य पर्यवेक्षक के अधीन नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सभा पर विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख). पत्तन प्रशासन व जहाज़रानी में दशमलव पद्धति को प्रचलित करने के लिये कोई भी औपचारिक समिति नहीं नियुक्त की गई थी । सीमाशुल्क विभाग के साथ साथ अगस्त, १९६० से पत्तन प्रशासन व जहाज़रानी की तोल और पैमानों में दशमलव प्रणाली शुरू करने के लिये बम्बई में २८ दिसम्बर १९५९ को एक मीटिंग बुलाई गई थी । इस की अध्यक्षता भारत सरकार के मुख्य सर्वेक्षक रिअर एडमिरल टी० बी० बोस ने की थी । इस बैठक में परिवहन तथा संचार, रेलवे व वित्त मंत्रालयों के अलावा सम्बद्ध व्यापारिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था ।

समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं : –

(१) सीमाशुल्क व पत्तन अधिकारियों के साथ साथ जहाज़रानी के क्षेत्र को लगभग पहली अगस्त या पहली सितम्बर १९६० तक दशमलव पद्धति के प्रचलन के लिये तैयार रहना चाहिये ।

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से रेलों में भी दशमलव पद्धति के प्रचलन को अगस्त या सितंबर तक स्थगित रखने को कहा जाना चाहिये जिस से पत्तन तथा जहाज़रानी के हितों की रक्षा की जा सके ।

(३) पत्तन प्रशासन से यह प्रार्थना की जानी चाहिये कि वे पत्तन की सारणी अप्रैल या मई १९६० तक तैयार रखें जिस से जनता को यह सारणी दशमलव पद्धति के प्रचलन के बहुत पहले मिल सके ।

(४) सरकार को चाहिये कि वह कम से कम फरवरी १९६० तक दशमलव प्रणाली के प्रचलन के प्रारम्भ होने की घोषणा कर दे जिस से व्यापारियों को आवश्यक बन्दोबस्त करने के लिये ६ महीने का पर्याप्त समय मिल सके ।

(५) दोनों प्रणालियों के एक साथ चालू रखने के लिये संक्रमण काल अनावश्यक समझा गया और यह अधिक उचित समझा गया कि प्रचलन-तिथी से केवल दशमलव प्रणाली ही चालू रहे ।

(६) प्रचलन शुरू होने से पूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की स्थायी दशमलव समित्ति से नीचे लिखी बातों की पुष्टि करने को कहा जाना चाहिये :—

(१) पर्याप्त संख्या में दशमलव की मानक सारणी मिल सकेंगी ।

(२) मौजूदा मशीनों में तोल के पुराने निशानों को हटा कर इन पर नये निशान लगाने के काम को प्राथमिकता दी जायगी ।

(३) तोल व पैमाने की नई मशीनें मिल सकेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन का सर्वेक्षण

†*९५१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २१ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किये गये गंगा-ब्रह्मपुत्र बेसिन के सर्वेक्षण के बारे में कोई अधिकृत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर एक टिप्पण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१**]

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट में दिये गये मुख्य सुझाव लगभग ५० वर्षों में उस क्षेत्र के भूमि तथा जल संबंधी साधनों की पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के संबंध में हैं । पहले खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में इन सुझावों का यह देखने के लिये परीक्षण करना होगा कि क्या वे सुझाव कार्यान्वित किये जाने के लिये उपयुक्त हैं ।

प्रबन्ध में कर्मचारियों का सहयोग

†*९५२. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री पांगरकर : }

क्या **रेलवे** मंत्री ७ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस बात पर विचार किया है कि भारतीय रेलों के कारखानों (वर्कशाप) के प्रबन्ध में कर्मचारियों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) और (ख). भारतीय रेलों के एक या एक से अधिक कारखानों में प्रबंध में कर्मचारियों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाये इस पर अभी विचार हो रहा है ।

जाली मनीआर्डर

†*९५३. **पंडित द्वा० ना० तिवारी:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल कुछ महीनों में बिहार में जाली मनीआर्डरों की संख्या काफी बढ़ गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या डाक तथा तार विभाग पटना ने इस विषय में जनता को सावधान कर दिया है ; और

(ग) क्या जांच करने पर विभाग का कोई कर्मचारी इसमें अन्तर्ग्रस्त पाया गया है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन): (क) १ जनवरी, १९६० से ३० जून, १९६० तक छ: महीने के दौरान में ८ जाली मनीआर्डर पकड़े गये और उन में कुल रकम ३,६०० रुपये थी, जबकि १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में ३० जाली मनीआर्डर पकड़े गये और उन में १२,३०५ रुपये की रकम थी इसलिये जाली मनीआर्डरों का प्रभाव वास्तव में कम हो गया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पुलिस जांच कर रही है और जब तक यह जांच खत्म नहीं हो जाती तब तक निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

दिल्ली में क्षय रोगी

†*९५४. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री भक्त दर्शन : }

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में क्षय रोगियों के लिये स्थान की अत्यन्त कमी है जिस के कारण रोग का प्रसार अधिक बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) यह ठीक है कि दिल्ली में क्षय-रोगियों के लिये बिस्तरों की कमी है । लेकिन छूत के मामलों को, जिन्हें अलग रखना संभव नहीं होता, अस्पतालों में भरती के लिये प्राथमिकता दी जाती है ताकि रोग का और अधिक प्रसार रोका जा सके ।

(ख) निम्नलिखित प्रकार से और अधिक बिस्तर स्थापित करने का बिचार है :—

(१) सिलवर जुबिलि टी० बी० अस्पताल में २५० बिस्तर

(२) शाहदरा, पहाड़गंज में झंडेवालान, निजामुद्दीन, मोतीनगर और रूपनगर या सब्जी मंडी इलाके में पांच टी० बी० चिकित्सालयों में से प्रत्येक में १०० बिस्तर ।

पठानकोट-मुकेरियां-लाइन पर यातायात का ठप्प हो जाना

†*९५५. **श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट-मुकेरियां लाइन पर जुलाई, १९६० में रेल यातायात बन्द हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उक्त लाइन पर यातायात बन्द होने और पठानकोट जाने वाली गाड़ियों को अमृतसर से हो कर भेजने के क्या कारण थे ;

(ग) इस लाइन पर यातायात कब तक बन्द था ; और

(घ) यातायात को सामान्य रूप से चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग). उत्तर रेलवे के पठानकोट-जालंधर शहर सेक्शन में जमीन धंस जाने के कारण जुलाई १९६० में चार बार पठानकोट-मुकेरियां लाइन पर सवारी गाड़ियों या तो रद्द कर दी गई थीं या दूसरी ओर से मोड़ दी गई थीं या उन के गन्तव्य स्थान से पहले ही समाप्त कर दी गई थीं। चार बार जमीन आदि ठीक करने में करीब ५६ घंटे लगे।

(घ) अब यातायात सामान्य तौर से चालू हो गया है।

केन्द्रीय मशीनीकृत फार्म

†*९५६. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली जुलाई में सूरतगढ़ के केन्द्रीय मशीनीकृत फार्म में गेहूं की हजारों बोरियां वर्षा के कारण खराब हो गईं ;

(ख) उपरोक्त फार्म पर कितने गोदाम हैं और उस समय उन में गेहूं की कितनी बोरियां रखी हुई थीं ।

(ग) इस बात के बावजूद भी कि गोदामों में काफी जगह थी, क्या गेहूं की बोरियां वहां न रख कर बाहर रखी गई थीं ; और

(घ) वर्ष के कारण कितनी हानि हुई और कितने मूल्य का गेहूं नष्ट हुआ ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) पिछली जुलाई में कुल १९,७७७ बोरी गेहूं भारी वर्षा के कारण भीग गया। इसमें से १५,१७५ बोरियां राजस्थान सरकार को दी गयी थीं और उस सरकार द्वारा माल उठाये जाने की प्रतीक्षा थी। इनमें से राज्य सरकार की २,६२५ बोरियां और फार्म की ९७ बोरियां बिलकुल ही खराब हो गयीं ।

(ख) अभी अनाज के दो गोदाम हैं जिनमें कुल २२,००० बोरियां रखी जा सकती हैं। उनमें पूरा पूरा माल भरा हुआ था।

(ग) कोई खाली गोदाम उपलब्ध नहीं था।

(घ) अनुमान है कि ३,६०० रुपये के फार्म के गेहूं का नुकसान हुआ। राजस्थान सरकार को कितना नुकसान हुआ यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

नाविकों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

†*९५७. **श्री तंगामणि**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाविकों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड की उपसमिति की विभिन्न सिफारिशों के ब्यौरे की छानबीन करने के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच सिफारिशों का परीक्षण कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) आशा है कि करीब पन्द्रह दिन में समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर लेगी और प्रस्तुत करेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यास नदी पर बांध

†*९५८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेमराज :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यास नदी पर बांध बनाने की योजना का परीक्षण कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) व्यास परियोजना में दो एकक होंगे :—

एकक संख्या (१)—व्यास और सतलज नदियों को मिलाने वाली कड़ी

एकक संख्या (२)—पोंग में व्यास नदी पर बांध

पंजाब सरकार परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रही है।

रेलों के लिये घटिया कोयले का संभरण

†*९५९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिये घटिया किस्म का कोयला दिया जाना रोकने के लिये कोई व्यवस्था की गयी है;

(ख) क्या ऐसा कोयला स्वीकार करना बन्द कर दिया गया है; और

(ग) १९५९-६० में घटिया किस्म के कोयले की खपत से कितनी वित्तीय हानि और समय नष्ट हुआ ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों के बोकारो और करनपुरा क्षेत्रों में स्थित सरकारी कोयला खानों से प्राप्त कोयले के लिए १०-८-६० से रेलवे निरीक्षण चालू किया गया है अन्य कोयला क्षेत्रों में ऐसा रेलवे निरीक्षण चालू करने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, धीरे-धीरे रेलवे द्वारा निरीक्षण चालू कर घटिया किस्म के कोयले की प्राप्ति रोकने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य उपाय भी किये जा रहे हैं जसे रेलवे मंत्रालय द्वारा कोयले की प्राप्ति के लिए सीधे ठेके करना जिसमें अन्य बातों के साथ साथ इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि यदि

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले की किस्म ठेके में निर्धारित किस्म से घटिया होगी तो कोयले के मूल्य में उपयुक्त कमी की जा सकेगी और रेलवे को यह अनुमति होगी कि वह कोयला नियंत्रक द्वारा कोयले की सप्लाई के लिए नियत की गयी कोयला खानों में से किन्हीं से कोयला ले सकती है ।

(ग) इस तथ्य के आधार पर कोई ठीक ठीक वित्तीय अनुमान लगाना कठिन है । जहां तक समय नष्ट होने का सम्बन्ध है, इस अवधि में घटिया किस्म के कोयले के कारण १६६ मेल/एक्सप्रेस, ३५७ यात्रा गाड़ियां, ८९९ सीधी मालगाड़ियों में से प्रत्येक का ३० मिनट समय नष्ट हुआ ।

राजस्थान नहरी क्षेत्र का विकास

†*९६०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहरी क्षेत्र के विकास के लिये वृहद योजना (मास्टर प्लान) के अन्तर्गत भूमि और खेतों का विकास करने के लिये बस्तियां बसाने के लिये सूरतगढ़ फार्म के ढंग पर एक बड़ा राजकीय फार्म बनाने का विचार है; और

(ख) क्या ऐसी बस्ती बसाने में पंजाब में राजस्थान नहर बनाने के कारण विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार पहले ही से इस समस्या के सम्बन्ध में विचार कर रही है और बस्तियों में बसाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के लोगों को प्राथमिकताएं देने का प्रश्न राज्य सरकारों के परामर्श से निबटाया जायगा ।

"रबी उत्पादन आन्दोलन"

†*९६१. **श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०–६१ में "रबी उत्पादन आन्दोलन" चलाने की सरकार की कोई योजनायें हैं;

(ख) क्या यह आन्दोलन अखिल भारतीय आधार पर चलाया जायगा अथवा केवल कुछ राज्यों में ही;

(ग) क्या इस आन्दोलन में किसी गैर-सरकारी अभिकरण का सहयोग भी होगा; और

(घ) राज सहायता से उर्वरक अधिक अच्छे बीज और अधिक अच्छे औजार आदि उपलब्ध करने के रूप में इस आन्दोलन की मुख्य बातें क्या होंगी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पां० शा० देशमुख)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). जी हां, वह अखिल भारतीय आधार पर होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जो गैर-सरकारी संगठन किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनका सहकार्य प्राप्त करना इस आन्दोलन का एक अत्यावश्यक भाग है। अब चूंकि लोगतंत्रीय विकेन्द्रीकरण हो रहा है इसलिए पंचायत और सहकारी समिति जैसी ग्रामीण संस्थाओं का इन उत्पादन आंदोलनों में संभवत: बड़ा महत्वपूर्ण हाथ रहेगा।

(घ) चूंकि ये उत्पादन आन्दोलन १९५८ से जारी हैं राज्य सरकारें पहले के आन्दोलन में प्राप्त अनुभव से लाभ उठाकर प्रत्येक अगले आन्दोलन में संभवत: अधिक ठोस कार्यवाही करेगी। अगले रबी आन्दोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि सात राज्यों के साथ जिलों में सघन कृषि उत्पादन कार्यक्रम चालू होगा। इन जिलों में, भाग लेने वाले किसानों की खेती के सामान तथा ऋण सम्बन्धी सारी आवश्यकताएं थोड़ी ही दूरी पर और जरूरत के समय दूर कर दी जायेंगी। आन्दोलन में भाग लेने वाले किसानों के लिए चालू विभिन्न उत्पादन योजनाओं के अधीन प्राप्त होने वाले सामान्य लाभ के अलावा और कोई राज सहायता नहीं होगी।

चावल लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

*६६२. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री पहाड़िया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने कब से चावल लाने ले जाने पर रोक लगा दी है; और

(ख) क्या यह सच है कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह रोक लगाई है राजस्थान के धौलपुर डिवीजन से बहुत मात्रा में चावल बाहर ले जाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वे० कृष्णप्पा): (क) उत्तर प्रदेश से चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध २९ अगस्त, १९५८ से लगाया गया था।

(ख) जी हां। अगस्त, १९५८ से धौलपुर से पर्याप्त मात्रा में चावल भेजा गया है।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

†*६६३. **श्री तंगामणि :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की बैठक १३ अगस्त, १९६० को हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस में किस प्रकार के निर्णय किये गये;

(ग) क्या यह सच है कि बोर्ड ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में नौवहन के लिये कम राशि के उपबन्ध का विरोध किया; और

(घ) यदि हां, तो बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). बोर्ड ने सर्वसम्मति से एक संकल्प स्वीकृत किया है जिसमें तीसरी पंच-वर्षीय योजना में नौवहन के विकास के लिये वित्तीय सहायता की रकम ५५ करोड़ से बढ़ा कर १०४ करोड़ रुपये कर देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(घ) इस सम्बन्ध में बोर्ड से औपचारिक आदेश अभी हाल में सरकार को मिला है और उस पर विचार हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में लाहौरी गेट पर रेल का ऊपरी पुल

†१७८२. { **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में लाहौरी गेट पर रेल का ऊपरी पुल (ओवर ब्रिज) बनाने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : बेदखली की कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है । इसलिये आगे कोई प्रगति संभव नहीं हुई ।

रेलवे स्लीपर

†१७८३. **श्री प्र० के० देव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेषणा संस्था, देहरादून के डा० एस० कृष्ण ने लकड़ी के स्लीपरों शंकुसूराखों[1] को, जो खराब हो जाते हैं, पुन: ठीक अवस्था में लाने के लिये एक मिश्रण तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे स्लीपरों को पुन: काम लायक बनाने के लिये इस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है; और

(ग) इस का परिणाम कितना सन्तोषजनक रहा है; और

(घ) इस विधि से रेलवे स्लीपरों की आयु कितनी बढ़ जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रयोगात्मक रूप से इस को इस्तेमाल किया गया है ।

(ग) और (घ). अभी परीक्षण समाप्त नहीं हुए ।

तारपीन[1] और राल[2]

†१७८४· **श्री प्र० के० देव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था, देहरादून में पाइन्स लांगीफोलिया (Pines Lcngifolia) से तारपीन और राल निकालने की उपयुक्त विधि का सफलतापूर्वक विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बरेली, मीरन साहब नाहन के तारपीन और राल के कारखानों में इसी तरीके से तारपीन और राल का उत्पादन होता है;

(ग) देश में तारपीन और राल की प्रति वर्ष कुल कितनी जरूरत होती है ; और

(घ) देश में इन चीजों का कितना उत्पादन होता है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पां० शा० देशमुख)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, कुछ थोड़े से रूप भेद के साथ ।

(ग) राल प्रति वर्ष ४५००० से ४७००० टन के बीच ।

तारपीन—प्रतिवर्ष ६ से ६।। लाख गेलन तक ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Spiked hoks.　[2]Turpentine　[3]Resin

(घ) (एक) **बड़े कारखानों में**

प्रतिवर्ष लगभग ११,००० टन राल और ६ लाख गैलन तारपीन

(दो) **छोटे एककों द्वारा**

प्रतिवर्ष ६५०० से ६८०० टन तक राल और लगभग ३१,५००० गैलन तारपीन

वेटिवेरिया जिजाइनायड्स[1]

†१७८५. **श्री प्र० के० देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था ने वेटिवेरिया जिजाइनायड्स का वाणिज्यिक उपयोग के लिये सफलतापूर्वक वितरण किया है;

(ख) क्या वन अनुसन्धान संस्था में किये जा रहे अनुसन्धान के परिणामस्वरूप तेल के उत्पादन में वृद्धि और किस्म से सुधार हुआ है ;

(ग) देश में किन तेल उत्पादकों द्वारा इस विधि का उपयोग किया जाता है ;

(घ) देश में इस की कितनी आवश्यकता पड़ती है और क्या हम इस सम्बन्ध में आत्म-निर्भर हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पां० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) देश में इस का वार्षिक उत्पादन अनुमानतः २५,००० पौंड है और यह देश की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है।

रेलवे के इंजन, डिब्बे आदि

†१७८६. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में रेलवे इंजन, डिब्बे आदि का और छोटी लाइन का कितना सामान आयात किया गया ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि में यह सामान कितना आयात किया गया;

(ग) क्या इस सामान का आयात करने का अथवा निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कितना आयात किया जायेगा और कितना सामान यहीं बनाया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में निम्नलिखित सामान का आयात किया गया :—

	पहली योजना	दूसरी योजना
इंजन		
(भाप के)	८८	२६
(डीजल के)	८	..
बायलर्स	१९	१४

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vetiveria Zizainoides

कोचिंग फ्रेम	१००	१६०
वैगन	४९६	२०
क्रेन	..	४
व्हील सेट	१४७२	२३७४
		(१०३२ का आयात और किया जाना है)

लाइनों के लिये कोई सामान नहीं मंगवाया गया ।

(ग) और (घ). छोटी लाइन के इंजन, डिब्बों आदि के लिये तीसरी योजना में निम्न व्यवस्था की गयी है :—

इंजन	
(स्टीम)	
(डीजल)	६०
वैगन	१७१३
क्रेन	५
कोच	३६०
रेल कारें	१०

इन सभी चीजों को भारतीय स्रोतों से प्राप्त करने का विचार है। डीजल इंजनों, क्रेन और रेलवे कारों के निर्माण के लिये जब तक देश में पूरा प्रबन्ध नहीं हो जाता, इन चीजों के निर्माण के लिये आवश्यक कल पुर्जों को विदेश से मंगवाना पड़ेगा ।

तीसरी योजना में लाइनों के लिये कोई सामान आयात करने का विचार नहीं है ।

दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शन

†१७८७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १ जनवरी, १९६० से ३० जून, १९६० तक कितने लोगों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन किया है; और

(ख) उन में से कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) १४७८ ।

(ख) ७७६ ।

उत्तर प्रदेश में रेलवे आउट एजेंसियां

†१७८८. श्री सरजू पांडेय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी रेलवे आउट ऐजेंसियां खोली गयीं ; और

(ख) १९६०-६१ में ऐसी कितनी ऐजेंसियां खोली जायेंगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ४० ।

(ख) उत्तर प्रदेश में ३५ जगहों पर आउट-एजेंसियां खोलने के प्रस्तावों पर छानबीन की जा रहे है किन्तु अभी यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता कि इन ३५ जगहों में आउट एजेंसियां १९६०-६१ में खोली जायेंगी या कभी भी खोली जायेंगी या नहीं । साथ ही यह भी संभव है कि इस वर्ष अन्य जगहों पर आउट एजेंसियां खोली जायें ।

अन्दमान वन विभाग

†१७८९. श्री वी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० के वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित मदों के लिए अन्दमान वन विभाग को कितनी रकमें नियत की गयी थीं :—

(१) सामान्य प्रशासन

(२) बस्तियां बसाना और पुनर्वास ; और

(ख) कितनी रकमें काम में लायी गयीं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी हुई है :—

	१९५९-६० के बजट अनुमान में की गयी व्यवस्था	१९५९-६० के लिए परिवर्तित अनुदान	वास्तव में काम में लायी गई रकम
	रुपये	रुपये	रुपये
(१) सामान्य प्रशासन .	९,५५,०००	१०,१३,०००	१०,०४,०९२
(२) बस्तियां बसाना .	१०,००,०००	११,८२,०००	११,८७,१८२

राजस्थान नहर

†१७९०. श्री वी० चं० शर्मा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १५ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान नहर की पहले २१ मील की 'लाइनिंग' जिसेमें, पूरा करने में ईंटें पकाने के लिए कोयला देर से पहुंचने के कारण देर हो गयी थी, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : ५० लाख खपरैल और ईंटें इस बीच पकाई जा चुकी हैं और राजस्थान नहर की (जिसे राजस्थान फीडर कहते हैं) पहले २१ मील की 'लाइनिंग' का कार्य करीब पन्द्रह जगहों पर शुरु किया गया है ।

उत्तर रेलवे के लोको वर्कशाप

†१७९१. श्री वी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ के अन्त में उत्तर रेलवे में कुल कितने लोको वर्कशाप थे ;

(ख) प्रत्येक वर्कशाप में कुल कितने मजदूर नियुक्त थे ;

(ग) १९५९ में प्रत्येक वर्कशाप में कुल कितने इंजनों की मरम्मत की गयी ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) रेलवे ने प्रत्येक वर्कशाप में १९५९ में (१) प्राथमिक शिक्षा और (२) माध्यमिक शिक्षा पर कुल कितनी रकम खर्च की ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** (क) से (घ). आवश्यक जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४२**] ।

"टेस्ट ट्यूब बच्चे"

†१७९२. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री स० अ० मेहदी : }

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन भारत में 'टेस्ट ट्यूब बच्चे' प्रस्तुत किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने मामलों में इस प्रथा का प्रयोग किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन "टेस्ट ट्यूब बच्चे" नहीं प्रस्तुत किये हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा संचालित परिवार कल्याण केन्द्र, हैदराबाद में पति के तथा दाता के वीर्य से, और भारत के परिवार नियोजन असोसियेशन द्वारा संचलित परिवार कल्याण विभाग, बंबई में केवल पति के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है ।

(ख) कृत्रिम गर्भाधान पिछले तीन साल में परिवार कल्याण केन्द्र, बंबई में १३ मामलों में किया गया है और तीन मामलों में गर्भ ठहर जाने का समाचार मिला था । बंबई में परिवार कल्याण विभाग के केन्द्र में १३९ मामलों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया है और १३ माताओं को गर्भ ठहर जाने का समाचार मिला है ।

हिमाचल प्रदेश के लिये बिजली

१७९३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में मंडी के गांवों को बिजली देने के प्रस्ताव के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : प्रथम पंचवर्षीय योजना में मंडी जिला के १७ ग्रामों में बिजली लगाई गई थी ; द्वितीय योजना अवधि में बिजली के कार्यक्रम में ११० ग्राम सम्मिलित किये गये थे । इनमें से अभी तक ८५ ग्रामों में बिजली लगाई जा चुकी है ।

लकड़ी के शहतीरों का बह जाना

१७९४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा किये गये आक्रमण के बाद से ३० जून, १९६० तक जम्मू और काश्मीर से लकड़ी के कितने और कितने मूल्य के शहतीर बह कर पाकिस्तान चले गये ;

(ख) क्या इस प्रकार की हानि को रोकने के लिये भारत सरकार ने कोई प्रस्ताव तैयार किये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन शहतीरों को लौटाने अथवा उनका मुआवजा देने के लिये पाकिस्तान सरकार के साथ कोई बातचीत की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख), (ग) तथा (घ). इसको सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी हानियां कम से कम हों, जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं । ऐसे शहतीरों की वापसी हो जाये तथा वे उनके मालिकों को वापिस मिल जाएं, इसके लिये भी उपयुक्त उपाय करने का विचार है ।

जहाज मरम्मत की सुविधायें

†१७६५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज मरम्मत की वर्तमान सुविधाओं के बारे में छानबीन करने के लिए नियुक्त की गयी समिति की रिपोर्ट पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). समिति की विभिन्न सिफारिशों और उन पर अब तक की गयी कार्यवाही दिखाने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३**]

सोनपुर-गंडक पुल पर दुर्घटना

†१७६६. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री ६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोनपुर-गंडक पूल के निर्माण में मजदूरों की मृत्यु के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट की छीनबीन इस बीच करनी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख). इस दुर्घटना की जांच जिस समिति ने की थी उसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के कार्यालय में प्राप्त हुई थीं और वहीं उसका परीक्षण किया गया । इस रिपोर्ट में कुछ कमी पायी जाने के कारण रेलवे बोर्ड ने यह निश्चय किया कि तीन विभागाध्यक्षों की एक उच्चस्तरीय पुनर्विलोकन समिति इस पर विचार करे । पुनर्विलोकन समिति की रिपोर्ट अब मिल चुकी है और उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में फोर्ड फाउन्डेशन दल

†१७९७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १५ फरवरी १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अधिक अन्न पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली केन्द्रीय प्राधिकार जिसे स्पष्ट आदेश दिये गये हों स्थापित करने के बारे में फोर्ड फाउन्डेशन के खाद्य उत्पादन संबंधी दल की सिफारिशों के बारे में इस बीच कोई निर्णय किया है ताकि खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता देने वाले नीति विषयक निर्णय तुरन्त लागू किया जा सके ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गयी है ।

कटक में संयुक्त खाद्य निदेशक का कार्यालय

†१७९८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कटक में संयुक्त खाद्य निदेशक के कार्यालय के वर्ग ३ और ४ के सभी कर्मचारी प्रादेशिक कार्यालयों आदि में रिक्त स्थानों पर रख लिये गये हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनमें से कितनों को अभी तक रोजगार नहीं मिला है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में बहुदा नदी परियोजना

†१७९९. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री संगणा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २३ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में बहुदा नदी परियोजना के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अनुमान उड़ीसा सरकार से अब तक प्राप्त हो चुके हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अधिक अन्न उपजाओ योजना

†१८००. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राज्यों को अधिक अन्न उपजाओ योजना के अधीन १९६०-६१ में थोड़ी अवधि के ऋण देने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्यों की कुल मांग कितनी थी ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) २७ करोड़ रुपये ।

(ख) कुल मांग ३७.७३ करोड़ रुपये की थी ।

भाटपाड़ा स्टेशन पर बिजली लगाना

†१८०१. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाटपाड़ा रेलवे स्टेशन पर बिजली का सामान बहुत लम्बे समय से लगाया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक बिजली कनेक्शन प्राप्त करना सम्भव क्यों नहीं हो सका;

(ग) क्या उस स्टेशन पर रोशनी की कोई अस्थायी व्यवस्था की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (घ). भाटपाड़ा स्टेशन पर रोशनी की कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं की गयी है किन्तु बिजली लगाने के पहले दौर में मालगाड़ी के प्लेटफार्म, स्टेशन मास्टर और सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय, स्विचरूम, पार्सल गोदाम, स्टेशन प्लेटफार्म प्रवेश सड़क, शौचालय, प्रतीक्षालय आदि में रोशनी की व्यवस्था होनी है और प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, सहायक स्टेशन मास्टर का कमरा, तारघर आदि में पंखे लगाये जाने वाले हैं और यह काम पूरा हो चुका है और १६-३-१९६० से स्टेशन पर बिजली आ गयी है । दूसरे दौर का काम चल रहा है जिसमें विद्यमान तथा भविष्य में बनाये जाने वाले प्लेटफार्म, माल आफिस, चाय के स्टाल पर रोशनी तथा पंखों की और सड़क पर रोशनी की भी व्यवस्था शामिल है । आशा है कि यह काम सितम्बर, १९६० के अन्त तक पूरा हो जायगा ।

हस्नाबाद-बारासेट लाइन

†१८०२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हस्नाबाद-बारासेट बड़ी लाइन पर आखिर में बिजली की गाड़ी चलाने की मूल कल्पना अब भी है या वह रद्द कर दी गयी है;

(ख) क्या यह बड़ी लाइन बनाने में यह भावी लक्ष्य ध्यान में रखा गया था या नहीं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). हस्नाबाद-बारासेट सेक्शन में जो बड़ी लाइन बनायी जा रही है वह भाप के इंजन से चलने वाली गाड़ी के लिये बनायी जा रही है । इस पर भविष्य में बिजली से रेल चलाना इस बात पर निर्भर होगा कि इस सेक्शन में यातायात कितना बढ़ता है । बिजली से गाड़ी चलाने के लिए पर्याप्त निकासी की व्यवस्था की जा रही है ।

आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ

†१८०३. श्री पांगरकर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी आगरा-बम्बई राष्ट्रीय राजपथ पर पुल बनाये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे पुल संभवतः कब तैयार हो जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आगरा-बम्बई सड़क पर पर्याप्त पुल हैं लेकिन कुछ पुल कमजोर, तंग या नीची सतह के हैं। उपलब्ध निधि के अनुसार इन पुलों में सुधार किया जा रहा है या उनकी जगह नये बनाये जा रहे हैं। अभी नासिक रास्ते पर गोदावरी नदी पर और ब्यौरा के निकट भानगड़ नाला पर पुल बन रहे हैं।

(ख) वर्ष १९६१ के अन्त तक।

दिल्ली में पौधों का संरक्षण

†१८०४. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन ने पौधों के संरक्षण के लिये १९५९-६० में क्या-क्या पग उठाये; और

(ख) ये प्रयोग कितनी भूमि में किये गये ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) पौधों के संरक्षण के लिये १९५९-६० में दिल्ली प्रशासन ने निम्न कदम उठाये :—

(१) किसानों को राजकीय सहायता के आधार पर रासायनिक कीट नाशक औषधियों के वितरण की बढ़ोतरी।

(२) दोनों ब्लाक और राज्य स्तर पर पौधों के संरक्षण के लिये सामग्री को अधिक बढ़ाना।

(३) किसानों को खेतों पर नयी घासपात नाशियों का प्रदर्शन करना।

(४) चूहों को मारने और पोहली को नष्ट करने के लिये विशेष आन्दोलन का संगठन करना।

(५) साहित्य और प्रदर्शन के द्वारा तकनीकी ज्ञान का प्रचार करना।

(ख) पौधे संरक्षण के उपायों में से एक पर अर्थात् पोहली घासपात को २-४ डी घासपात-नाशी से नष्ट करना—प्रयोग करके देखे गये। ये प्रयोग भूमि के ७० प्लाटों पर किये गये, जोकि पांच ब्लाकों में प्रत्येक एक एकड़ का दसवां भाग था।

दिल्ली में नलकूप

१८०५. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सिंचाई की सुविधायें बढ़ाने के लिये १९५९-६० में कितने नल-कूप लगाये गये;

(ख) कितने मामलों में खुदाई सफल हुई; और

(ग) ये नल-कूप कहां-कहां लगाये गये हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) निजी पार्टियों द्वारा सात नलकूप लगाये गये।

(ख) सात।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) अलीपुर ब्लाक :—

(१) लामपुर . .	१ नलकूप
(२) झराघा . .	१ नलकूप
(३) बुरारी . .	२ नलकूप
(४) शामपुर . .	१ नलकूप
(५) सिंघोला . .	१ नलकूप
(६) खेरा कलां . .	१ नलकूप
कुल	७ नलकूप

नजफगढ़ की झील योजना

१८०६. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में ४.७५ लाख रुपये की नजफगढ़ झील योजना को छोड़ कर उसके स्थान पर एक बड़ी योजना बनाई जा रही है;

(ख) इस बड़ी योजना की विस्तृत रूपरेखा क्या है;

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र की सिंचाई होने की आशा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). इस योजना का क्षेत्र बदल दिया गया है और अब यह प्रस्ताव है कि नजफगढ़ झील से पानी बाहर निकालने के लिये गीला खुर्द गांव के पास बिजली से चलने वाले पम्पों को लगाया जाये । इस पानी को वितरण नालियों के तरीके के द्वारा सिंचाई के वास्ते बांटने का प्रस्ताव है । परिशोधित योजना को अभी पूर्णरूप नहीं दिया गया है ।

(ग) इस योजना की ठीक ठीक कीमत इसके पूरे हो जाने पर मालूम होगी । प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार, इसका मूल्य लगभग ७.०० लाख रुपये होने की आशा है ।

(घ) सिंचाई किये जाने वाला क्षेत्र भी इस योजना के पूरे होने पर ही मालूम होगा । फिर भी ऐसी आशा की जाती है कि इससे लगभग ६,५०० एकड़ भूमि के क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा ।

दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना

१८०७. श्री नवल प्रभाकर : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये दिल्ली के गांवों में बिजली देने का क्या व्यौरा है ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अलीपुर ग्राम को सिंचाई के कार्यों के लिये १० हार्सपावर भार की स्वीकृति दी गई थी और अब यह कार्यान्वित हो रही है । अलीपुर और सामसपुर ग्रामों में सिंचाई के निमित्त बिजली के लिये अभी हाल ही में तीन और आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जो कि चीफ कमिश्नर दिल्ली के विचाराधीन हैं ।

दिल्ली में पशु चिकित्सालय

१८०८. श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कितने पशु चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं; और

(ख) क्या १९५९-६० में उनमें पर्याप्त दवाइयां और कर्मचारी थे ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क)

(१) पशु चिकित्सालय	९
(२) पशु-चिकित्सा दूरस्थ औषधालय . . .	८
(३) चलते फिरते औषधालय	४

(ख) जी हां ।

बाल भवन रेलवे

†१८०९. श्री वी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल भवन रेलवे अच्छा मुनाफा कमा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो संपूर्ण अवधि में प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी रकम उस ने कमाई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). जी नहीं । बाल भवन रेलवे बच्चों के लिये एक सुविधा है और वह व्यापारिक आधार पर नहीं चलाई जाती । १९५८-५९ और १९५९-६० में कुल आय-व्यय इस प्रकार है :—

वर्ष	आय	व्यय
	रुपये	रुपये
१९५८-५९ (१४-११-५८ से ३१-३-५९ तक)	३८२०·५० न० पै०	३७४३·३२ न० पै०
१९५९-६० (३१-३-६० तक) . .	५५७५·९५ न० पै०	९६९१·४३ न० पै०

बन्ध्यीकरण

†१८१०. { श्री विभूति मिश्र :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से १९६० (३१ जुलाई तक) प्रत्येक वर्ष कितने पुरुषों और स्त्रियों ने बन्ध्यीकरण कराया ;

(ख) बन्ध्यीकरण कार्य पर कितना धन सरकार ने खर्च किया ;

(ग) क्या बन्ध्यीकरण पुरुषों में या स्त्रियों में लोकप्रिय है ; और

(घ) बन्ध्यीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिये और क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) राज्यों के अस्पतालों में प्रतिवर्ष जितने पुरुषों और स्त्रियों ने बन्ध्यीकरण कराया उन की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	उन पुरुषों की संख्या जिन्हों ने वन्ध्यीकरण कराया	उन स्त्रियों की संख्या जिन्होंने वन्ध्यीकरण कराया
१९५६	१,८५६	३,८४३
१९५७	२,८६३	७,४७४
१९५८	६,६४१	१३,६०१
१९५९	११,६२२	१८,४८३
१९६० (जून) . . .	२,६५८	३,०६४
कुल . .	२८,६४०	४६,४६५

ये कम अनुमान हैं और इन में पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वे उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) जिला अस्पतालों आदि में बन्ध्यीकरण क्रिया पर किये गये खर्च का अलग हिसाब किताब नहीं रखा गया है ।

(ग) इन आंकड़ों से यह दिखाई देता है कि अब तक यह स्त्रियों में अधिक लोकप्रिय रहा है ।

(घ) बन्ध्यीकरण के लोकप्रिय बनाने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) नई दिल्ली के विलिंगडन और सफदरजंग अस्पतालों में बन्ध्यीकरण क्रिया के लिये और कर्मचारियों की नियुक्ति मंजूर की गई है ।

(२) बन्ध्यीकरग क्रिया के लिये और कर्मचारियों की नियुक्ति के हेतु नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल को ४,७०० रुपये का आवर्तक अनुदान मंजूर किया गया है ।

(३) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे सभी लोगों को निःशुल्क, उन की आय पर विचार न करते हुए, बन्ध्यीकरण क्रिया के लिये सुविधायें उपलब्ध करें ।

(४) निम्न लिखित प्रयोजनों के लिये १०० प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता दी गई है :—

(क) बन्ध्यीकरण क्रिया के संचालन के लिये अध्यापन चिकित्सा संस्थाओं और जिला अस्पतालों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना ।

(ख) राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों के डाक्टरों को स्त्री और पुरुष वन्ध्यीकरण क्रिया की कला का प्रशिक्षण देना ।

(ग) वेसेक्टोमी आपरेशन के लिये चलते फिरते शल्यक्रिया संबंधी एककों की व्यवस्था ।

†मूल अंग्रेजी में

(५) सरकार ने परिवार नियोजन योजना के अधीन बन्ध्यीकरण क्रिया कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक ६ दिन की आकस्मिक छुट्टी देने का निश्चय किया है ।

जल विद्युत शक्ति

†१८११. { श्री सूपकार :
श्री रामी रेड्डी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जल विद्युत् शक्ति का विस्तृत सर्वेक्षण आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) इस सर्वेक्षण में संभवतः कितना समय लगेगा और उस में कितना खर्च होने का अनुमान है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां । ६४ चुनी हुई योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इन योजनाओं के अन्तर्गत ६० प्रतिशत लोड फैक्टर पर कुल लगभग १ करोड़ २० लाख किलोवाट विद्युत् शक्ति होगी ।

(ख) करीब ५ साल में काम पूरा करने का विचार है । अनुमान है कि करीब १३ करोड़ रुपये खर्च होंगे ।

आयुर्वेद विभाग

†१८१३. श्री सूपकार : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद की उन्नति के लिये १२५ करोड़ रुपये की कोई योजना सरकार के पास पेश की गई है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में उस के लिये संभवतः कुल कितनी रकम नियत की जायगी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी हां, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस ने कुल १२५ करोड़ रुपये के खर्च की एक योजना प्रस्तुत की है ।

(ख) देशी चिकित्सा प्रणालियों के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारूप में ८ करोड़ रुपये अस्थायी रूप से नियत किये गये हैं ।

उड़ीसा में बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंड

†१८१४. { श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य के वर्तमान बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंडों को छोटे बनाने के सुझाव पर, ताकि एक खंड के अन्तर्गत बहुत अधिक लोग न हों, विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन खंडों के अन्तर्गत कितनी जनसंख्या और कितना क्षेत्र आता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान परिसीमन सम्बन्धी प्रस्थापनाओं पर विचार कर रही है । अभी इन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया । इसलिये इस समय यह बताना कठिन है कि विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंडों को विभाजित कर के जो छोटे खंड बनाये जायेंगे उनमें से प्रत्येक के अन्तर्गत कितना क्षेत्र अथवा जन संख्या होगी ।

रेलवे आउट-एजेन्सियां

†१८१५. { श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों से दूर के स्थानों के लिये रेलवे प्रशासन की नई नीति के प्रत्युत्तर में पंजाब से नई रेलवे आउट-एजेंसियां खोलने के बारे में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पेहोवो, लडवा और झांसा में आउट-एजेंसियां खोलने के लिये, जिनका काम बरास्ता कुरुक्षेत्र होगा, केवल एक आवेदन-पत्र मिला है ।

पेहोवा और लडवा में आउट-एजेंसियों का काम चलाने के लिये अभी हाल ही में ठेका दिया गया है । इन आउट-एजेंसियों में अभी काम शुरू नहीं हुआ ।

झांसा के बारे में टेंडर मांगे गये थे किन्तु किसी ने भी टेंडर नहीं भेजा ।

रेलवे पर छुरेबाजी

†१८१६. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६० से रेलवे पर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों दोनों के साथ छुरेबाजी की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) १ अप्रैल, १९६० से लेकर आज तक प्रत्येक खंड में ऐसे कितने मामले हुए हैं ; और

(ग) इन घटनाओं की संख्या में वृद्धि का क्या कारण है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४४]

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बड़े बड़े पत्तनों पर लादा और उतारा गया माल

१८१७. **श्री रा० स० तिवारी**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९ में भारत के बड़े बड़े पत्तनों में उतारे गये और लादे गये माल के ले जाने में भारतीय तथा विदेशी जहाज़ों के भार के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५**]। इस विवरण में माल के जो आंकड़े दिये गये हैं उनमें बड़े पत्तनों पर आया ऐसा सभी प्रकार का माल शामिल है जो तटवर्ती क्षेत्रों में लाया ले जाया गया है (कोस्टल कारगो) या जो पड़ौसी व सुदूर के देशों से आया है (एडजसेंट व ओवरसीज कारगो) और जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है (ट्रांसशिपमेंट कारगो) यहां यह उल्लेखनीय है कि विवरण में ऐसे तटवर्ती माल जो एक बड़े पत्तन से दूसरे बड़े पत्तन में ले जाया गया, के आंकड़े दो बार शामिल कर लिये गये हैं।

रेलवे पर संग्रहालय

†१८१८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड का विचार प्रत्येक प्रादेशिक रेलवे पर संग्रहालय खोलने का है;

(ख) उसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) इन संग्रहालयों पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

हिमाचल प्रदेश में फलों की खेती

†१८१९. { **श्री नेकराम नेगी**
श्री बसुमतारी }

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले दिये गये उत्तर में दी गई सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने एकड़ भूमि में फलों की खेती शुरू की जा चुकी है;

(ख) सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है; और

(ग) भविष्य में क्या सहायता देने का विचार है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) १९५६–५७ से १९५९-६० तक फलों की खेती के अन्तर्गत, ३,२०० एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र लाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न सहायता दी जा रही है :—

(१) विभागीय फल-उद्यानों और जखीरों से कम कीमत पर फलों के पौधों को काफी मात्रा में वितरण करना ।

(२) ५०० रुपये प्रति एकड़ की दर से लम्बे अर्से के ऋणों को देना ।

(३) मालियों को छः मास का एक प्रशिक्षण कोर्स देना, जिस में प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को ३० रुपये प्रति मास का एक वजीफा दिया जाता है ।

(४) राज्यकीय सहायता पर पौध संरक्षण सामग्री, कीट नाशी और कवकनाशी औषधियों का सम्भरण करना ।

(५) फलों के उद्यानों को लगाने और स्थापित करने के लिये किसानों को मुफ्त तकनीकी सलाह और सहायता देना ।

(६) गृह उद्योग के आधार पर विभिन्न फल और सब्जियों के पदार्थों को तैयार करने में प्रशिक्षण देने के लिये नियमित रूप से फल और सब्जी परिरक्षण कोर्सों को चलाना ।

(ग) फल उत्पादकों को पहले ही दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त, उत्पादकों के अतिरिक्त माल को डिब्बों में बन्द करने और परिरक्षण करने के लिये सुविधायें देने के वास्ते प्रत्येक जिले में सामुदायिक डिब्बा बन्दी केन्द्रों को भी स्थापित किया जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश में नगरपालिका, छोटा नगर और अधिसूचित क्षेत्र समितियां

१८२०. { **श्री नेकराम नेगी :**
श्री बसुमतारी :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा : }

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल कितनी नगरपालिका समितियां, छोटा नगर समितियां और अधिसूचित क्षेत्र समितियां हैं;

(ख) ये समितियां कितनी जनसंख्या के लिये बनाई गई हैं;

(ग) इन समितियों में से प्रत्येक की वार्षिक आय क्या है; और

(घ) सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ४ नगरपालिका समितियां, ६ छोटा नगर समितियां और २ अधिसूचित क्षेत्र समितियां ।

(ख) १९५१ की जनगणना के अनुसार इन समितियों के अन्तर्गत क्षेत्रों की जनसंख्या ४३,६५९ है ।

(ग) इन समितियों में से प्रत्यक की १९५७–५८ तथा १९५८–५९ की वार्षिक आय इस प्रकार है :—

स्थानीय निकाय का नाम	आय १९५७–५८	आय १९५८–५९
महान	१,७५,०००	१,७०,७९९
मण्डी	१,६९,२४७	१,५३,२५०

स्थानीय निकाय का नाम	आय १९५७-५८	आय १९५८-५९
चम्बा	१,१६,१५०	१,२०,०००
सोलन . . .	२,०६,१३०	३,३८,०५२
बिलासपुर . .	४४,६३३	५५,६००
श्री नैना देवी जी . .	२३,५८६	२४,०१२
सुन्दरनगर	३१,१२६	३६,१२५
थियोग . . .	५८,८६०	५३,४२५
पौण्टा . . .	१६,४८०	१८,६३०
रामपुर	७६,४६५	७९,०२५
नारकण्डा .	१०,२५०	१२,७५०
अर्की	६,१६२	६,३१२

(घ) इन समितियों के लिये सरकार ने निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये हैं:—

वर्ष	राशि
	रुपय
१९५७—५८	३,७०,०००
१९५८—५९ .	२,२७,०००
१९५९—६०	२,६७,०००
योग .	८,६४,०००

हिमाचल प्रदेश में डाकघर

१८२१. { **श्री नेकराम नेगी :**
श्री बसुमतारी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८—५९ और १९५९—६० में हिमाचल प्रदेश के प्रत्यक जिले में कुल कितने डाकघर, शाखा डाकघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये ;

(ख) उन पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(ग) इस समय कितने डाकघर किराये की इमारतों में हैं; और

(घ) १९५८—५९ और १९५९—६० में सरकार ने किराये के रूप में कुल कितनी राशि दी ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोई टेलीफोन केन्द्र नहीं खोला गया। डाकघरों के सम्बन्ध में एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है।

(ख) १९५८–५९ . ६,५६१.६७ पये
१९५९–६० . . ३,८४९.५७ रुपये

(ग) ३९

(घ) १९५८–५९ . . १७,५३८.०० रुपये
१९५९–६० . १७,८३५.०० रुपये

विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	खोले गये डाकघरों की संख्या	
		१९५८–५९	१९५९–६०
१.	बिलासपुर	१	—
२.	महासू . .	१९	३
३.	सिरमूर . .	१	—
४.	मण्डी .	५	२१
५.	चम्बा	२	२

दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के रोगियों पर प्रस्तावित शुल्क

†१८२२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में कुछ अस्पतालों में बाहर के रोगियों[‡] पर किसी प्रकार का शुल्क लगाने की प्रस्थापना पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का व्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** :(क) ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ट्रैक्टरों का निर्माण

†१८२३. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के कृषि इंजीनियरिंग विभाग ने वाकिंग-टाइप (walking type) के छोटे ट्रैक्टरों का डिजाइन तैयार करने और निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई अनुसन्धान परियोजना आरम्भ की है;

†मूल अंग्रेजी में

‡Out door patients.

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या सरकार वाकिंग टाइप के छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली द्वारा, कम अश्व-शक्ति वाले गार्डन/वाकिंग ट्रैक्टरों पर, भारतीय स्थितियों में जिनकी उपयुक्तता की जांच करने के लिये जिनका विदेशों से आयात किया गया है, कुछ परीक्षण किये जा रहे हैं। इन परीक्षणों के परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) वाकिंग-टाइप के छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण की किसी योजना पर आजकल विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय ने अभी हाल ही में बम्बई की दो फर्मों, मैसर्स दी ईस्ट एशियाटिक कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स टेस्टील्स लिमिटेड को बिजली से चलने वाले जमीन खोदने के यन्त्रों के निर्माण के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस दिये हैं।

युवक किसानों को प्रशिक्षण

†१८२४. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार युवक किसानों को प्रशिक्षण देने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रशिक्षण कहां दिया जायेगा;

(ग) प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी; और

(घ) कृषि के उन्नत तरीकों का यह प्रशिक्षण कौन देगा ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (घ). भारतीय शिक्षा परिषद् ने मार्च, १९६० में बम्बई में हुए अपने चौथे अधिवेशन में यह सिफारिश की थी कि युवक किसानों को प्रशिक्षण देने की एक उपयुक्त योजना तैयार की जानी चाहिये जून, १९६० में श्रीनगर में हुए विकास आयुक्तों के सम्मेलन में भी चुन हुए प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने की एक ऐसी ही सिफारिश की गयी थी। इन सिफारिशों के आधार पर, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय और योजना आयोग के सहयोग से किसानों को, जिन में युवक किसान भी शामिल हैं, खेती करने के तरीकों में सुधार करने के लिये प्रशिक्षण देने की एक योजना तैयार की जा रही है। योजना के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया।

अवकाश प्राप्त वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग

†१८२५. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि, पशु-पालन और इनसे सम्बद्ध विज्ञान-क्षेत्रों में अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिकों की सेवाओं को उपयोग करने की योजना के अन्तर्गत अब तक कितने वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(ख) देश की किस अनुसन्धान संस्था में इस योजना के अन्तर्गत अनुसन्धान कार्य हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) अभी तक किसी को भी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

"खरीफ आन्दोलन"

†१८२६. श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 'खरीफ आन्दोलन' में खरीफ की मुख्य फसलों की कोई नई किस्में प्रचलित की गयी थीं;

(ख) इन किस्मों के बीजों की उत्पत्ति और उन की संख्या में वृद्धि किस कृषि अनुसन्धान केन्द्र अथवा संस्था द्वारा की गयी थी;

(ग) 'खरीफ आन्दोलन' में कितना अतिरिक्त व्यय हुआ था; और

(घ) इस 'खरीफ आन्दोलन' के व्यय में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी राज्यों से इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

मध्य रेलवे के पदाधिकारियों के कमरों का वातानुकूलन

†१८२७. डा० सामन्त सिंहार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में मध्य रेलवे के उच्च पदाधिकारियों के कार्यालयों के कमरों को सजाने और उन्हें वातानुकूलित करने पर कुल कितना धन व्यय किया गया ;

(ख) झांसी में रेलवे कर्मचारियों को लू लगने से बचाने के लिये क्या उपाय किये गये;

(ग) इस वर्ष मध्य रेलवे पर झांसी और अन्य स्थानों पर अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण कितने रेलवे कर्मचारी रुग्ण हुए; और

(घ) इस गर्मी से बचने के लिये केन्द्रीय रेलवे पर, बम्बई को छोड़ कर, इस वर्ष कुल कितना व्यय किया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे प्रशासन द्वारा इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये अब तक कुल २.६० लाख रुपये व्यय किये गये हैं।

(ख) कार्यालयों और अस्पतालों में खसखस की टट्टियां लगायी गयीं थीं और उन पर पानी छिड़कने का यथोचित प्रबन्ध किया गया था। इस के अतिरिक्त भीषण गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिये नमक की टिकियों और बर्फ के ठंडे पानी का प्रबन्ध किया गया था।

(ग) लगभग २८० व्यक्ति झांसी में और लगभग २,४०० व्यक्ति अन्य स्थानों पर।

(घ) लगभग ८२,००० रुपये।

यात्री बसों के लिये परमिट

†१८२८. श्री अ० मु० तारिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ मार्च, १९५६ को कुल देश में और प्रत्येक राज्य में यात्री बसों (Stage Carriage) के कुल कितने परमिट चालू थे और उस के पश्चात् प्रत्येक वर्ष क्रमश: १९५७, १९५८, १९५९ और १९६० को ३१ मार्च को इन परमिटों की संख्या कितनी थी और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य में इन परमिटों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या किसी राज्य में ऐसी यात्री बसें भी हैं जो मोटरगाड़ियां अधिनियम के अन्तर्गत परमिट के बिना चलती हैं;

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और वे किन राज्यों में चलती हैं; और

(घ) १६५६, १६५७, १६५८, १६५६ और १६६० की ३१ मार्च को प्रत्येक राज्य में सारे देश में मोटरगाड़ियों की कुल संख्या कितनी थी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मिड पेन्नार रेगुलेटर योजना

†१८२६. श्री रामी रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री १५ मार्च, १६६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिड-पेन्नार रेगुलेटर योजना के निर्माण के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इस के कब पूरा होने की आशा है ?

†सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जैसा कि मार्च, १६६० में बताया गया था मिड-पेन्नार रेगुलेटर के निर्माण के काम में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है।

(ख) १६६३–६४।

हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें

१८३०. { श्री नेकराम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि जिस में निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो;

(क) हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा अब तक प्रत्येक जिले में बनाई गई सड़कों का वर्णन; और

(ख) क्या इन सड़कों पर मोटरें चल सकती हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा को टेबिल पर रख दी जायेगी।

हिमाचल प्रदेश का वन विभाग

१८३१. { श्री नेकराम नेगी :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५८–५६ और १६५६–६० में वनों की बिक्री से हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को कितनी आय हुई;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) कितने व्यापरियों ने गत दो वर्षों की खरीद की राशि का भुगतान अब तक नहीं किया है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली में सरकार ढील क्यों दे रही है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) १९५८–५९ में १,४१,९६,२१८ रुपये और १९५९–६० १,८१,७०,२८३ रुपये।

(ख) बयालीस ।

(ग) बाकी रकम को वसूल करने में कोई ढील नहीं दी जा रही है। इन में से कुछ रकमें ठेकेदारों के साथ हुए करारों के अन्तर्गत किश्तों में वसूल की जा रही हैं। उस समय कभी-कभी वसूली में देर हो जाती है, जब कि ठेकेदारों के प्रार्थनापत्रों पर विचार करना पड़ता है या विवादों को पंच निर्णय के लिये देना पड़ता है ।

देर से किश्तों की अदायगी करने पर करारों की शर्तों के अनुसार ६½ प्रतिशत वार्षिक की दर से जुर्माना लगाया जाता है और उस को वसूल किया जाता है । जबकि अदायगी बिना किसी वजह के या बेकार के बहानों पर रोक ली जाती है तो यह रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाती है ।

विभागीय भोजन-व्यवस्था

†१८३२. श्री सुबिमन घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में भारतीय रेलों पर विभागीय भोजन-व्यवस्था से कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : अभी हमारे पास लेखा-परीक्षित आंकड़े नहीं पहुंचे । किन्तु पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अनुसार १९५९–६० में अनुमानतः १२ लाख रु० हानि होने का अनुमान है ।

दन्त-औषधि 'एम्बेलिक'[1]

†१८३३. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखा गया है कि 'एम्बेलिक' नामक औषधि से दान्तों और गले की सभी व्याधियां दूर हो जाती हैं;

(ख) क्या संसार के विभिन्न भागों के सभी अस्पतालों में, इस औषधि पर और आगे प्रयोग करने के लिये यह औषधि रखी जाती है; और

(ग) क्या हमारे देश में किसी डाक्टर द्वारा इस दवाई पर परीक्षण किये जा रहे हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). सरकार को इस औषधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

छपरा कचहरी स्टेशन पर पानी के पाइप

†१८३४. श्री झूलन सिन्हा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग चार वर्ष पूर्व बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य विभाग ने पूर्वोत्तर रेलवे प्राधिकारियों से छपरा कचहरी स्टेशन के पश्चिम में रेलवे फाटक संख्या ४६ के निकट रेलवे लाइन के साथ साथ पानी के पाइप डालने की अनुमति मांगी थी;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1] 'Embelic'

(ख) क्या यह भी सच है कि पानी की पाइपों को रेलवे लाइन के साथ ले जाने की अभी तक अनुमति नहीं दी गयी जिस के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के निवासियों को पाइपों द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा सकी और यह बात उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और बड़ी असुविधाजनक है ;

(ग) क्या यह सच है कि जब मंत्री महोदय मई, १९६० में छपरा गये थे तो उन्हें इस सारी बात से परिचित कराया गया था किन्तु मामला वहीं का वहीं है ; और

(घ) लोक स्वास्थ्य विभाग की योजना को शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) जी हां । सितम्बर, १९५७ में राज्य सरकार ने इस बारे में अनुरोध किया था ।

(ख) जी नहीं । रेलवे लाइन के नीचे से पाइप लाइन ले जाने की अनुमति १९५९ में दे दी गयी थी किन्तु जुलाई, १९६० के अन्त तक काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार द्वारा दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत योजना में कुछ परिवर्तन किये गये इस कार्य के लिये आवश्यक पाइपों की सप्लाई नहीं की गयी थी ।

(ग) जी हां । इस बारे में अभ्यावेदन किया गया था और यह कार्य १९-८-१९६० को समाप्त हो गया था ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिना टिकट यात्रा

१८३५. श्री प० ला० बारूपाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे मंत्रालय को मालूम है कि उत्तर और पश्चिम रेलवे में पुलिस के सिपाही यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने देते हैं और यात्रियों के गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाने पर रेलवे कर्मचारियों के साथ मिलकर यात्रियों से आधा या तीन-चौथाई किराया ले कर उन्हें बाहर कर देते हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी नहीं । उत्तर रेलवे में सिर्फ कुछ छुट-पुट घटनाएं हुई हैं जिनमें पुलिस वालों का हाथ था । उनमें रेल कर्मचारियों का हाथ नहीं था ।

कटिहार पुल

†१८३६. { श्री विश्वास :
श्री फ० गो० सेन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार पुल की योजना को, राज्य सरकार के परामर्श से, अन्तिम रूप दिया जा चुका है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है?

लवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार व्यौरे तैयार किये गये हैं । विस्तृत प्राक्कलन तैयार करने का काम जारी है। जब राज्य सरकार योजना के व्यौरे को मंजूरी दे देगी और प्राक्कलनों को स्वीकार कर लेगी तो काम शुरू किया जायेगा । अतः इस समय यह कहना सम्भव नहीं कि काम कब समाप्त हो सकेगा ।

गन्ने के रोग

१८३७. श्री जांगड़े : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने में "रैड रौट" रोग की रोक-थाम करने में अब तक कितनी सफलता मिली है ;

(ख) इस रोग के विभिन्न प्रकारों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या गन्ना अनुसंधान केन्द्रों ने गन्ने के एक ऐसे नये बीज की खोज की है जो सूखे खेतों में बिना सिंचाई के उगाया जा सकता है ताकि बगैर सींचे हुये क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जा सके ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) गन्ने में लाली रोग की रोकथाम करने में संतोषजनक सफलता मिली है ।

(ख) लाली रोग एक फफूंद, जिसे कोल्लिटीट्रीचन फेल्काटम वेन्ट (Colletetrichun falcatum Went) कहते हैं, से होता है। ये फफूंद अपने आप ही विभिन्न किस्मों या सन्तति में परिवर्तित हो जाने की क्षमता रखता है । भारत में ऐसी सन्तति के दो मुख्य समूह हैं एक गहरा और एक हल्का । पहले की तुलना में दूसरा बहुत हानिकारक है ।

(ग) जी हां । संकरण के द्वारा गन्ने की कई ऐसी किस्में निकाली गई हैं जो कि बहुत अधिक सूखे की विरोधी होती हैं । ये दूसरों की तुलना में अधिक सूखे का विरोध कर सकती हैं और कुछ चुने हुए उन क्षेत्रों में बिना सिंचाई के भी उगाई जा सकती हैं, जहां पर भूमि में पानी धारण करने की शक्ति है जहां पर प्राकृतिक वर्षा काफी मात्रा में होती है ।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था

१८३८. श्री जांगड़े : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था का एक उपकेन्द्र मध्य प्रदेश में स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) चावल की फसल में से घास और झाड़-झंकाड़ निकाल फेंकने के क्या तरीके निकाले गये हैं और उनका किस हद तक किसानों में प्रचार किया गया है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी नहीं ।†

(ख) चावल के खेतों में घासपातों पर नियन्त्रण करने के लिये संस्था में चुने हुए घासपात नाशकों पर किये गये कार्यं में, एमसीपीए को असर करने वाला पाया गया है । इसको अभी तक कृषकों में लोकप्रिय नहीं बनाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में चावल का खरीदा जाना

१८३९. श्री जांगड़े : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ सरकार ने मध्य प्रदेश के छतीसगढ़ ज़िले में व्यापारियों और चावल मिलों के मालिकों से अब तक कितना चावल खरीदा है और उस की कीमत क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि रायगढ़ के व्यापारियों ने गत वर्ष अच्छी किस्म के चावल में पीला रंग मिला कर पश्चिम बंगाल को अवैध रूप से भेजा था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नैला अथवा अन्य स्थानों में कुछ व्यापारियों ने चावल के बोरों में कंकड़-पत्थर मिला कर सरकार को नमूनों से बिल्कुल भिन्न चावल बेचा था ;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ;

(ङ) क्या सरकार ने इस अनाज को रखने के लिये छतीसगढ़ ज़िले में कोई अन्न भण्डार या गोदाम बनाया है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार निजी व्यापारियों के अनाज के गोदाम लेना चाहती है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) भारत सरकार ने दिसम्बर, १६५८ में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चावल की खरीदारी आरम्भ की थी। १६५८–५६ के खरीदारी मौसम में लगभग ४,०३,००० टन जिसका मूल्य लगभग १६·६ करोड़ रुपये था और १६५६–६० (३१-७-६०) तक के मौसम में लगभग ४,१६,००० टन जिसका मूल्य लगभग १६·८ करोड़ रुपये था खरीदा गया था और इनकी प्राप्ति इसी क्षेत्र में की गयी थी।

(ख) जी नहीं, केवल २ चावल मिलों ने अच्छी किस्म के चावल को बनावटी रूप से पीला करके निर्यात करने का प्रयत्न किया था। नमूने लेते समय इसका पता चल गया था और वास्तव में इसका निर्यात नहीं हो पाया।

(ग) और (घ). एक शिकायत मिली थी कि नैला में भरे गए एक वैगन में चावल के साथ पत्थर आदिमिला हुआ था। वैगन में भरे हुये माल का मिरीक्षण करने से मालूम हुआ कि यद्यपि चावल में पत्थरों की मिलावट नहीं थी फिर भी कुछ बोरों में घटिया किस्म का चावल था। अब मामले की विस्तृत जांच पड़ताल हो रही है।

(ङ) अब तक तो नहीं, किन्तु मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर गोदाम बनवाने का प्रस्ताव है।

(च) जी नहीं, निजी गोदाम लेने का इस समय कोई विचार नहीं है।

पटोहा में नया स्टेशन

†१८४०. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे की कटनी-बीना शाखा के सलैया और रीथी स्टेशनों के बीच पटोहा के आस पास के गांवों के लोग सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि पटोहा में रेलवे स्टेशन बनाया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि पटोहा नामक उक्त स्थान दोनों स्टेशनों से दोनों ओर छः मील है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जिस स्थान पर स्टेशन बनाने के लिये कहा गया है वह रीथी से ८ किलोमीटर (५ मील) और हरदुआ से ९.७ किलोमीटर (६ मील) है ।

(ग) इस प्रस्थापना की जाच की गयी थी किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं था ।

महानदी के जल का उपयोग

†१८४१. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक (उड़ीसा) के जेपुर सब-डिवीजन में महानदी के जल से नहरों के रूप में सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोई योजना उड़ीसा सरकार द्वारा तैयार की गयी है और उसे भारत सरकार की सहमति के लिये भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है और इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार को इस किस्म की कोई योजना प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दक्षिण रेलवे पर नैमित्तिक श्रमिक

†१८४२. { श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री नागी रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर १९५९ में कुल कितने नैमित्तिक श्रमिक थे ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्तियों ने लगातार एक वर्ष से अधिक समय तक काम किया है ; और

(ग) इनमें से कितने व्यक्तियों को १९५९ में नियमित सेवाओं में लगा लिया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४३,७३० ।

(ख) १०,०५७ ।

(ग) १,००८ ।

त्रिपुरा में डाक्टर

†१८४३. { श्री दशरथ देब :
श्री हाल्दर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के प्रेक्टिस कर रहे गैर-पंजीकृत कम्पाउन्डरों का पंजीयन करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक त्रिपुरा के गैर-पंजीकृत कम्पाउन्डरों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) अब तक कितने मामले पंजीकृत किये गये हैं और आवेदन-कर्त्ताओं को कितने प्रमाण-पत्र दिये गये हैं; और

(घ) यदि ऐसा करने में कोई विलम्ब है, तो उसके क्या कारण हैं ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) औषधालय अधिनियम, १९४८ के अधीन त्रिपुरा में औषधि बनाने वालों के पंजीयन के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार और त्रिपुरा प्रशासन के बीच एक करार हुआ है ।

(ख) त्रिपुरा के केवल एक गैर-पंजीकृत कम्पाउन्डर से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है (जो निर्धारित फार्म पर नहीं है) ।

(ग) अभी तक किसी मामले को पंजीकृत नहीं किया गया है ।

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार ने करार की धारा २ के अधीन अभी तक पंजीयन न्यायाधिकरण नहीं बनाया है । न्यायाधिकरण के बनते ही पंजीयन के लिये आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिये पश्चिमी बंगाल औषधालय परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा एक तिथि निश्चित की जावेगी और कलकत्ता और त्रिपुरा के प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित की जावेगी । त्रिपुरा के औषधि बनाने वालों को अपने आवेदन-पत्र पश्चिमी बंगाल औषधालय परिषद् के रजिस्ट्रार को वी०एम० अस्पताल, अगरताला के सुपरिंटेंडेंट के जरिये भेजने होंगे ।

बुदनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र

†१८४४. श्री जोनचन्द्रन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुदनी (मध्य प्रदेश) में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रति वर्ष कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है; और

(ख) प्रशिक्षण की अवधि क्या है, प्रशिक्षण किस प्रकार का दिया जाता है और क्या प्रशिक्षार्थियों को कोई वृत्तियां दी जाती हैं ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) प्रति वर्ष ११२ प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(ख) ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रति वर्ष कृषि मशीनों के चलाने और संधारण सम्बन्धी दो पाठ्यक्रम हैं :

(१) कृषि मशीनों के चलाने और संधारण सम्बन्धी छः महीनों की अवधि के दो अल्पकालीन रिफ्रेशर कोर्स ।

(२) कृषि मशीन उपयोग सम्बन्धी १० महीनों की अवधि का एक दीर्घकालीन पाठ्यक्रम ।

प्रशिक्षार्थियों को ५० रुपये प्रति माह के हिसाब से वृत्तिका दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीनिवासपुरी (दिल्ली) में गाड़ी का हाल्ट

†१८४५. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनिवासपुरी (नई दिल्ली) में गाड़ी के हाल्ट की व्यवस्था करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था

†१८४६. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इज्जतनगर (उत्तर प्रदेश) में भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्था में चूहों के दिमाग़ से एक टीका तैयार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके इस्तेमाल का क्या ब्यौरा है; और

(ग) प्रति वर्ष कितनी मात्रा में टीका बनाया जायेगा ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी, हां ।

(ख) यह टीका दक्षिण अफ्रीका की घोड़ों की बीमारी रोकने के लिये घोड़ों को लगाया जायेगा ।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में यह टीका बनाया जायेगा ।

परिवार नियोजन

†१८४७. श्री भक्त दर्शन: क्या स्वास्थ्य मंत्री १० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति ने जो सिफारिश की हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): परिवार नियोजन तृतीय पंचवर्षीय योजना समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

(१) आयोजना आयोग ने परिवार नियोजन को उच्च प्राथमिकता दी है तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बतलाया है कि "विकास आन्दोलन में जनसंख्या के स्थिरीकरण के उद्देश्य को निश्चय ही एक अनिवार्य अंग मानना पड़ेगा" ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे सभी लोगों को, उनकी आय का विचार न करते हुए, बन्ध्यीकरण की सुविधायें निःशुल्क प्रदान करें। निम्नलिखित बातों के लिये शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया गया है :—

(१) अध्यापन कार्य में लगी मेडिकल संस्थाओं तथा जिला अस्पतालों के स्टाफ को वन्ध्यीकरण शल्यकर्म करने के हेतु बढ़ाने के लिये।

(२) वन्ध्यीकरण शल्यकर्मों के लिये राज्य सरकारों, स्थानिक निकायों एवं स्वयंसेवी संगठनों के मेडिकल अफसरों के प्रशिक्षण के लिये।

(३) रेतोवाहिन्युच्छेदन-शल्यकर्म (वेसेक्टोमी आपरेशन) के लिये चलती फिरती शल्य-एककों की व्यवस्था।

(३) जनता को परिवार नियोजन की निःशुल्क सेवायें प्रदान करने वाले राज्य सरकार तथा स्थानिक निकायों एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रत्येक क्लिनिक, अस्पताल, औषधालय, प्रसूतिगृह, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र को १५०० रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया है। व्यापारिक संगठनों, निर्माताओं, मिलों, फैक्टरियों तथा चाय के उद्योनों के प्रत्येक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्र को १००० रुपये तक के इसी प्रकार के वार्षिक अनुदान दिये जाते हैं। ये अनुदान सम्बन्धित राज्य सरकार के प्रशासकीय मेडिकल अफसर की सिफारिशों पर स्वीकृत होते हैं।

(४) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा निम्न प्रकार से गर्भरोधकों के वितरण के भी आदेश दिये जा चुके हैं:—

३०० रुपये या इससे कम मासिक आय वाले लोगों को मुफ्त, ३०० रुपये से ५०० रु० तक की मासिक आय वालों को आधी कीमत पर तथा ५०० या इससे अधिक मासिक आय वालों को क्रय मूल्य पर। ग्रामीण क्षेत्रों में शीथ, जेली तथा फोम टिकियां, आय का विचार न करते हुए, मुफ्त बांटी जाती हैं।

(५) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अपेक्षित स्वदेशी गर्भरोधकों का उत्पादन बढ़ाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(६) तृतीय पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन क्लीनिकों को दी जाने वाली आवर्ती एवं अनावर्त आर्थिक सहायता के स्वरूप का प्रश्न विचाराधीन है।

(७) समस्त राज्य सरकारों को परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्रों के विकास के लिये आर्थिक सहायता दी गई है।

(८) १. वर्तमान मिश्रित स्वास्थ्य चरों के कोर्स अगले पांच वर्षों तक जारी रखने;

२. मेडिकल कर्मचारियों के लिये दो सप्ताह से दो माह तक के अल्पकालिक प्रशिक्षण कोर्सों; और

३. मेडिकल कालेजों एवं प्रशिक्षण केद्रों के स्त्रीरोग-विज्ञान तथा धातु-विज्ञान विभाग में परिवार नियोजन अनुभाग की स्थापना के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(९) भारतीय चिकिसा अनुसन्धान परिषद् से परिवार नियोजन के चिकित्सीय पहलुओं पर अनुसन्धान योजनायें आमंत्रित की गई हैं। जनांकिकीय अनुसन्धान बढ़ाया जा रहा है संचार एवं अभिरोचन पर अनुसन्धान प्रारम्भ किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(१०) पारिवारिक-जीवन-शिक्षा, जिसमें यौन शिक्षा, वैवाहिक शिक्षा, पितृत्व एवं गृह-व्यवस्था सम्मिलित हैं, की आवश्यकता पर शिक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है।

(११) परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये प्रशासकीय एवं आर्थिक प्रणाली को सरल बनाने की सिफारिश का पुनरावलोकन किया जा रहा है। इस बीच परिवार नियोजन क्लिनिकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के स्वीकृत स्वरूप, जिनके अन्तर्गत अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं बशर्ते व्यय निर्धारित सीमा से अधिक न हो, की आनम्यता के बारे में आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(१२) प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन में सुप्रशिक्षित पूर्णकालिक मेडिकल अफसर की नियुक्ति करके राज्यों के जिला स्वास्थ्य संगठनों को सुदृढ़ करने की सिफारिश विचाराधीन है।

(१३) जहां तक एक स्वायत केन्द्रीय परिवार नियोजन बोर्ड, जिसके पास परिवार नियोजन कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये पर्याप्त आर्थिक साधन तथा शक्तियां हों, की स्थापना की सिफारिश का सम्बन्ध है, भारत सरकार समझती है कि सम्भव है स्वायत्त बोर्ड का बनाया जाना इस कार्यक्रम, जिसकी क्रियान्विति मुख्यतया राज्य सरकारों की मेडिकल एवं स्वास्थ्य सेवाओं में होती हैं, के विस्तार का हल न हो। इच्छित परिणाम प्रशासकीय एवं आर्थिक प्रणालियों को सरल बनाने तथा आर्थिक एवं प्रशासकीय अथारिटी के विकेन्द्रीकरण से प्राप्त हो सकते हैं।

(१४) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये अस्थायी रूप से २५ करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड

†१८४८. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की हाल ही में बम्बई में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की नवीं बैठक ११ और १२ अगस्त, १९६० को बम्बई में हुई थी।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है जिस में बोर्ड की सिफारिशों/सुझावों और उन पर की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा है। [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६]।

भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा

१८४९. श्री रामसेवक यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९५८ में ली गई इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा और केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा की प्रथम श्रेणी पदों पर कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ; और

(ख) इन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) (१) इंडियन रेलवे सर्विस आफ इंजीनियर्स में छः।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सेण्ट्रल इंजीनियरिंग सर्विस (प्रथम श्रेणी) में चार ।

(ख) (१) इंडियन रेलवे सर्विस आफ इंजीनियर्स में चार ।

(२) सेण्ट्रल इंजीनियरिंग सर्विस (प्रथम श्रेणी) में एक ।

श्री जानकी शुगर मिल, डोईवाला

१८५०. श्री वाजपेयी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला देहरादून में डोईवाला में श्री जानकी शुगर मिल के मालिकों के बीच जो झगड़ा चल रहा था और जिस के कारण सरकार ने उस का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था, वह अब खत्म हो गया है और सरकार को उस की सूचना मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस मिल को उस के असली मालिकों को लौटाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि मिल नहीं लौटाई गई है, तो इस के क्या कारण हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) सरकार को इस बात का पता नहीं है कि क्या मालिकों के बीच झगड़ा समाप्त हो गया है, परन्तु मिल को लौटाने के बारे में सब साझीदारों से एक संयुक्त प्रार्थना प्राप्त हुई है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार की सिफारिश पर इस मिल का प्रबन्ध लोक-हित के लिये एक वर्ष तक और अपने हाथ में रखने का फैसला किया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में नई लाइनें

१८५१. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जिन नई रेलवे लाइनों को तृतीय योजना में सम्मिलित करने की सिफारिश की है, उन के क्या नाम हैं ;

(ख) उन में से कितनी मंजूर की गई हैं ; और

(ग) क्या उन में से किसी को अस्वीकार भी किया गया है और अस्वीकृति के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७] ।

(ख) तृतीय योजना में शामिल करने के लिये योजना आयोग द्वारा स्वीकृत नई लाइनों की सूची में किसी भी प्रस्ताव को नहीं रखा जा सका ।

(ग) तृतीय योजना में नई लाइनों के लिये किया गया आवंटन उन परियोजनाओं के लिये ही कठिनाई से पर्याप्त है जिन पर पहले वचन दिया जा चुका है और इसलिये किसी नई लाइन को शामिल करना संभव नहीं है ।

ट्रंक टेलीफोन लाइन

†१८५२. श्री इ० मधुसूदन राव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्नम को बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली और जेपुर (उड़ीसा) से सीधे ट्रंक लाइन से मिलाने का प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो ट्रंक यातायात के लिये उपरोक्त लाइनों को अब चालू किया जायेगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) और (ख). इस समय विशाखापट्नम और बम्बई, दिल्ली और जेपुर (उड़ीसा) के बीच सीधे सर्किटों का देना उचित नहीं है। विशाखापट्नम और हैदराबाद के बीच सीधे सर्किट की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है। यदि उचित हुआ तो संसाधनों की उपलब्धता देखते हुए, सर्किट की व्यवस्था कर दी जावेगी।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी लिमिटेड

†१८५३. श्री राम गरीब : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट फैक्टरी लिमिटेड में गैर-सरकारी संचालकों और उड्डयन क्लबों के असैनिक विमानों का ओवर हालिंग किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये असैनिक उड्डयन महानिदेशक द्वारा कार्य व दरों की कोई अनुसूची तैयार की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रायः उन के प्राथमिक प्राक्कलन अथवा पहले इसी कार्य के लिये गये शुल्क (चार्जेज़) से अधिक शुल्क लगाया जाता है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड विभिन्न संचालकों, जिस में गैर-सरकारी संचालक और उड्डयन क्लब शामिल हैं, के असैनिक विमानों का ओवरहालिंग करता है।

(ख) असैनिक उड्डयन महानिदेशक ने समय समय पर करने के लिये न्यूनतम कार्य अनुसूची निर्धारित की है। शुल्क के बारे में निर्धारित करना उन का काम नहीं है।

(ग) सामान और श्रम की लागत के अनुसार ओवरहालिंग के लिये शुल्क में फेरबदल की जाती रहती है। विमान के इस्तेमाल किये जाने के कारण, प्रत्येक आने वाले ओवरहालिंग के लिये सामान और शुल्क दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। सामान की लागत भी तेजी से बढ़ रही है।

जहां तक मुझे पता है, एक बार ग्राहकों को किसी विशेष कार्य के लिये बताये गये शुल्क में वृद्धि नहीं की जाती है।

अन्दमान को गैर सरकारी विमान सेवा

†१८५४. { श्री राम गरीब :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक गैर-सरकारी संचालक ने बिना किसी राज-सहायता अथवा सरकार से आर्थिक सहायता लिये कलकत्ता से अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को एक विमान सेवा चलाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक गैर-सरकारी संचालक ने एक वर्ष तक पश्चिमी अफ्रीका तक अनुसूचित उड़ानें की हैं और अब सरकार से नियमित आधार पर सेवा चलाने की आज्ञा के लिये सरकार से प्रार्थना की है जिस में मोरिशस तक विमान चलाना भी शामिल है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कथित गैर-सरकारी संचालक ने क्या न्यूनतम सुविधायें मांगी हैं ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) अन्दमान और कार निकोबार द्वीपसमूहों के बारे में संचालक ने ३ से ५ वर्ष तक विमान चलाने का अधिकार, बर्मा के एक मुकाम हो कर सर्विस चलाने और उड़ानों के बारे में विज्ञापन देने का अधिकार मांगा था । पश्चिमी अफ्रीका को उड़ान के बारे में एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन से 'कोई आपत्ति नहीं' का प्रमाण पत्र लिये बिना विमान सेवा चलाने और उड़ान के बारे में विज्ञापन देने के लिये रियायतें मांगी हैं । मोरिशस के लिये उड़ान के बारे में निम्नलिखित रियायतें/सुविधायें मांगी गई हैं :

(१) इसे ५ वर्ष तक के लिये विमान सेवा चलाने की गारंटी ।

(२) अनुसूचित उड़ानों के विज्ञापन की आज्ञा ।

(३) डकोटा से बड़े प्रकार के विमानों को किराये पर लेने अथवा आयात करने की अनुज्ञा ।

चीनी का वितरण के लिये दिया जाना

१८५५. श्री खुशवक्त राय : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९६० से अब तक प्रतिमास, राज्य वार, कितनी चीनी वितरण के लिये दी गई ;

(ख) इस चीनी में से कितनी राज्य सरकारों या उन के नामनिर्दिष्ट व्यापारियों ने उठा ली है और कितनी चीनी मिलों के पास पड़ी है ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न किया जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ४८]

(ग) राज्यों ने शेष मात्रा के लिये कोई मांग नहीं की थी ।

पंजाब के गांवों का विद्युतीकरण

†१८५६. { श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २३ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०-६१ में ग्राम-विद्युतीकरण योजना के लिये पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी गई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : पंजाब सरकार ने वर्ष १९६०-६१ में कार्यान्वित की जाने वाली ग्राम विद्युतीकरण योजना के लिये अभी कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है । सामान्यतः ऐसी वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थनायें वित्तीय वर्ष के अन्त में आती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति

†सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २३३१/६०]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५, दसवां सत्र, १९६० ।

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८, नवां सत्र, १९५९ ।

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १७, सातवां सत्र, १९५९ ।

(४) अनुपूरक विवरण संख्या २१, पांचवां सत्र, १९५८ ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या क्रमश : ४९ से ५२]

दिल्ली विकास प्राधिकार का प्रतिवेदन

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २६ के अन्तर्गत ३० दिसम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये दिल्ली विकास, प्राधिकार के कार्य के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० २३३६ ६०]

मोटर गाड़ी अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें, "होटल्स स्टेन्डर्ड्स और रेटस्ट्रक्चर" कमेटी का प्रतिवेदन तथा उस पर सरकारी संकल्प

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : म निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

मोटर गाड़ी अधिनियम १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में, हिमाचल प्रदेश पर लागू किये गये रूप में, कुछ संशोधन करने वाली हिमाचल प्रदेश प्रशासन के दिनांक ३० जुलाई, १९६० के गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच(टी) १४—७८७/५८ ।

(ख) अन्देमान और निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९६० के अन्देमान और निकोबार गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १२७/६० ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राज बहादुर]

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति भी सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) होटल स्टेण्डर्ड्स और रेट स्ट्रक्चर कमेटी का प्रतिवेदन ।

(ख) दिनांक २७ जुलाई, १९५९ का सरकारी संकल्प संख्या २—टी टी २(१)/५८ जिसमें उक्त समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निर्णय दिये हुए हैं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या क्रमशः २३३७, २३३८ और २३३९/६०] ।

सदस्य की दोष सिद्धि

†अध्यक्ष महोदय : मुझे अलीपुर स्थित तीसरी ट्रिब्यूनल के न्यायाधीश से २९ अगस्त, १९६० का एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचित किया गया है कि लोक-सभा के सदस्य, श्री कन्सारी हाल्दर को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १२०ख/३०२/४३६ के अन्तर्गत दोषी पाया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई है ।

विनियोग (संख्या ४) विधेयक

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २, ३, अनुसूची, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार किया जाय ।"

मुझे इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्रत्येक सत्र में मिला है । ठीक है कि ऐसे मामलों को सभा के समक्ष लाया जाय परन्तु मुझे कभी कभी यह ख्याल आता है कि कहीं इस प्रकार की चर्चा समान्य सी चर्चा होकर न रह जाय जिसमें मैं वहीं बातें कहूं जो पहले कह चुका हूं और माननीय सदस्य भी पहली ही बातों को ही दुहरायें । कुछ हद तक ऐसा करना अनिवार्य सा ही है किन्तु फिर भी यह कुछ अजीब सा मालूम होता है क्योंकि आज का युग बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है । इस बीच संसार में जो कुछ महान् परिवर्तन हुए हैं उनके सम्बन्ध में मैं संक्षेप से कुछ कह कर अपने मित्रों की राय जानना चाहूंगा ।

आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को व्यापक दृष्टि से देखते हुए, मैं यह समझता हूं कि संसार में आज काफी खिचाव है और दिन प्रतिदिन वह बढ़ता ही जा रहा है । खिंचाव तो विश्व में रहा है परन्तु पिछले तीन चार मास में यह काफी बढ़ा है । इसको कैसे कम किया जाये और क्या इसके लिये कार्यवाही हो ? निशस्त्रीकरण का प्रश्न भी हल नहीं हो पाया है और वास्तव में इसी हल से पारस्परिक खिंचाव में कमी होने की सम्भावना भी है । इस विषय में हम भारतीय ज्यादा कुछ नहीं कर सकते । मेरा अभिप्राय यह है कि हमारे यहां ज्यादा शस्त्र नहीं हैं । इस समस्या का हल वही राष्ट्र कर सकते हैं जिनके पास शस्त्र अधिक हैं और वह देश दो या तीन हैं या अधिक से अधिक चार पांच होंगे परन्तु निशस्त्रीकरण के मामले में सभी देशों को और भारत को विशेषकर काफी दिलचस्पी है क्योंकि यदि यह समस्या हल न हुई तो इसके परिणाम भयंकर होंगे ।

हम आज हज़ारों चीजों की चर्चा कर सकते हैं । परन्तु हमारी सारी योजनायें, सभी महत्वपूर्ण अथवा अमहत्वपूर्ण स्कीमें कुछ भी नहीं लगती जब हम दुनिया के बढ़ते हुए खिंचाव को इनके सामने रखते हैं । आज सारी दुनिया एक ऐसी चट्टान की नोक पर बैठी है जिसमें तनिक सी ठेस लगने से ही सर्वनाश हो सकता है । अतः आज निशस्त्रीकरण का प्रश्न सब से महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

किन्तु दुर्भाग्य से जैसा कि हर बात में, होता है, यहां भी नेमी कार्यवाही में फंसने की प्रवृत्ति रहती है । जिन समितियों या आयोगों ने इस सम्बन्ध में काम किया है, उन्होंने भी कुछ नेमी रीति ही से काम करने की कोशिश की है और इसलिये इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है । किन्तु आणविक शस्त्रों के बारे में काफी प्रगति हुई थी ? हमें आशा थी कि शीघ्र ही बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचेगी । किन्तु तीन चार मास पहले वह भी रुक गयी ।

अब इस विषय पर विचार होने के बारे में फिर कुछ चर्चा सुनाई दे रही है, और शायद संयुक्त राष्ट्र संघ के आगामी अधिवेशन में इस विषय पर विचार होगा । इस बात के कारण हम सभा के अगले अधिवेशन को काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं । कहा जाता है और माननीय सदस्यों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि सभा के अगले सत्र में कुछ महत्वपूर्ण देशों के प्रधान या प्रधान मन्त्री भी उस अधिवेशन में जायं । इस मामले पर विचार करने में जो भी चीज़ सहायक हो या जो भी चीज हमें आगे ले जाय, निस्सन्देह हम उसका स्वागत करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

संयुक्त राष्ट्र का यह अधिवेशन इस कारण भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस बार अफ्रीका के कई नये राष्ट्रों का उसमें प्रतिनिधित्व होगा। अफरीका का प्रतिनिधित्व काफ़ी बढ़ा है और अगले वर्ष तक और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसका सारी दुनिया की स्थिति पर और संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी असर पड़ेगा। अतः आज निशस्त्रीकरण की समस्या के बाद, अफ्रीका में होने वाली हलचल विश्व की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अफ्रीका के देशों की स्वतन्त्रता से हमें काफी प्रसन्नता हुई है किन्तु हाल ही में वहां जो घटनायें हुई हैं और विशेष रूप से जो संघर्ष कांगों में चला है उससे हमें चिन्ता हुई है।

कांगो के स्वतन्त्रता होते ही हमने इस राज्य को मान्यता दी और राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये हमने यथा सामान्य व्यवस्था की और कर रहे हैं। हमने कांगो को एक देश माना; हमारा यही दृष्टिकोण है कि कांगोकी अखण्डता तथा प्रभुत्व सम्पन्नता बनी रहनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं कांगो के आन्तरिक झगड़ों में न पड़ कर यही कहना चाहता हूं कि हम अभी भी कांगो की अखण्डता का दृष्टिकोण अपनाये हुए हैं।

जब कांगो में संघर्ष शुरू हुआ तो उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ से अभ्यर्थना की गयी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस बात पर शीघ्र ही ध्यान दिया। वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दुनिया में अन्य स्थानों पर भी कार्य किया है परन्तु कांगो में जो काम हुआ है वह अद्वितीय है और इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधि को नयी दिशा मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों में यह एक नया दौर है। और मैं समझता हूं यह एक अच्छा दौर है। जिस तरह से वहां पर काम हुआ है वह सरहनीय है। यदि वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग न हों तो न जाने वहां क्या हो जाय। आंतरिक संघर्ष के अलावा वहां पर अन्य छोटे बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप की भी सम्भावना है। यदि वैसी बात होती है तो कांगो की न केवल स्वतन्त्रता ही जाती रहेगी, बल्कि वहां की जनता पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिये संयुक्त राष्ट्र संघ का वहां होना अच्छा ही है। हो सकता है कि कभी कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि गलतियां भी करें परन्तु दुनिया भर के राष्ट्रों की राय का दबाव वहां होता है जिससे कि गलतियों को जल्दी ही ठीक किया जा सकता है। इसलिये राष्ट्र संघ ने वहां पर जो कार्यवाही की है, मैं उसकी भारत सरकार की ओर से सराहना करता हूं।

कुछ देशों को संघ के तत्वावधान में अपनी सेनाएं भेजने के लिए कहा गया है; हमें उस तरीके से सेनायें भेजने के लिए नहीं कहा गया। किन्तु हम ने उनकी और तरीके से बहुत अच्छी सेवा की है। हम यहां से कोई दो या ढाई सौ आदमी वहां भेज चुके हैं। उनमें अफसर हैं और चिकित्सा दल आदि हैं। हमने लड़ने के लिए किसी को नहीं भेजा है बल्कि सहायतार्थ भेजा है। हमारे अफसरों में से एक तो श्री हैमरशोल्ड के सैनिक सलाहकार हैं और दूसरे शीघ्र ही उनके निजी प्रतिनिधि होने वाले हैं। दोनों ही बड़ी जिम्मेदारी के पद हैं। हालांकि उन्हें वहां काम करते हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है तब भी वहां की जनता ने इनकी काफी सराहना की है।

हाल ही में हमारे पास वहां से एक दूसरी मांग आयी है, वहां पर शीघ्र ही ४०० रोगियों को दाखिल करने की क्षमता का एक अस्पताल खोलने के बारे में हम ने यह मांग पूरी करने के लिये सहमति दे दी है। हम सारी चीजें, दवाइयां और कर्मचारियों को शीघ्र ही वहां भेज रहे हैं ताकि दो सप्ताह के भीतर ही हस्पताल तैयार हो जाय। यह काम हमने इस शर्त पर किया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भारत में इन की जगह पूरी करेगा। सहायता देने का हमारा सामान्य तरीका यह है कि हम वहां जाने वालों को उनके सामान्य वेतन देते रहते हैं। इससे अतिरिक्त व्यय संयुक्त राष्ट्र की निधियों में से प्राप्त होता है। हमारे कर्मचारियों को वेतन हम ही देते हैं

परन्तु भत्ते आदि का अन्य व्यय संघ की ओर से होता है। इस हस्पताल के बारे में भी सामान्य तरीका यही होगा। वास्तव में महत्व तो इस बात का था कि हस्पताल वहां पर शीघ्र ही स्थापित हो जाना चाहिए। हम से सेवा करने की प्रार्थना एक तो इस कारण की गई थी कि कांगो में कुछ देशों द्वारा इस तरह का काम करने का सवाल पैदा नहीं होता; वहां वही देश काम कर सकते हैं जिन्हें वे लोग मानते हों और जिनके खिलाफ़ उन्हें शिकायत न हो; ऐसे बहुत कम देशों में भारत भी आता है। परन्तु इसके साथ ही यह बात भी देखी जाती है कि देश काम को ठीक ढंग से कर सकने के योग्य भी हो। तो हम से सहायता देने के लिए आग्रहपूर्वक कहा गया। हम ने कहा कि हम सेवा कर सकते हैं। आशा है कि पहला दल शीघ्र ही चला जायगा और उसके बाद दूसरा भी जायगा।

इस प्रकार अफ्रीका में, पुर्तगाली क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य सभी क्षेत्र स्वाधीन हो चुके हैं या शीघ्र ही होने वाले हैं। हां, अल्जीरिया ज़रूर है, जहां पर धन जन की काफी हानि हुई है। हम सब अल्जीरिया की स्वतंत्रता के दृढ़ पक्षपाती हैं। उस महाद्वीप में अन्य फ्रांसीसी इलाकों को स्वतंत्रता मिल चुकी है किन्तु दुर्भाग्य से अल्जीरिया अभी तक गुलामी के पंजों में फंसा हुआ है। आशा है कि शीघ्र ही उस समस्या का भी हल मिल जायगा और अल्जीरिया स्वतंत्र कर दिया जायगा।

इस महाद्वीप का सब से अंधकारपूर्ण भाग शायद वे बस्तियां हैं जिन पर पुर्तगाल का अधिकार है। वहां से किसी बात की सूचना तक भी नहीं आती। अब कुछ बातों का ज्ञान होने लगा है परन्तु वे भी नगण्य हैं। किन्तु जो कुछ है उसी से पता चलता है कि अब इन पुर्तगाली इलाकों में भी उथल पुथल सी होने लगी है। इसके अलावा दूसरी बात यह भी तो है कि जब अफ्रीका भर में आग लग रही हो तो यह संभव नहीं हो सकता कि पुर्तगाली इलाके अलग अलग रह जायें। गोआ के प्रश्न में हमारी प्रत्यक्ष रुचि होने के अलावा भी उसका उस पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है ही।

अब मैं भारत के बारे में कुछ बातें कहूंगा। पहले पाकिस्तान का मामला है। सभा को इस बात का ज्ञान है ही कि बड़ी कठिनाइयों तथा बातचीत के बाद, जो वाशिंगटन और न्यूयार्क तक में होती रही हैं, नहरी पानी की समस्या धीरे धीरे ख़त्म होने जा रही है। अब इसे हल हुआ कहा जा सकता है। किन्तु जब तक यह काम वस्तुतः सम्पन्न ही नहीं हो जाता तब तक मैं आपको कोई पक्का आश्वासन नहीं देता। किन्तु फिर भी विश्वास के साथ ऐसा कहा जा सकता है कि यह शीघ्र ही सम्पन्न हो जायगा। वस्तुतः विवाद की वास्तविक बातों पर पहले ही समझौता हो चुका था परन्तु दस वर्ष की अन्तरिम अवधि के बारे में कुछ देर तक बातचीत चलती रही। हमें इस अर्से के लिए पाकिस्तान को कुछ भुगतान करने हैं। नहरों आदि के निर्माण के लिए भी पाकिस्तान को अनेक उपाय करने हैं। उन्हें दूसरे देशों से भी काफी रुपया मिलने वाला है। ख़ैर, उस से हमारा सम्बन्ध नहीं है। वह मामला उन्हीं का है। चूंकि हम हर बात को शांतिपूर्वक हल करने के इच्छुक हैं इसलिए हम ने इस बड़ी रकम की अदायगी करने के लिए किस्तों में रुपया देना मंजूर कर लिया है।

इस के बाद अंतरिम अवधि में उन्हें पानी का हिस्सा देने का प्रश्न भी उठा है अर्थात् उस समय तक के लिए जब तक कि वह नहरें बनायें। इस में कुछ समय लगा किन्तु अब यह तय हो गया है और अब नहरी पानी के समझौते को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस समझौते के सम्पन्न होने की आशा से ही मैं ने पाकिस्तान सरकार का कराची जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है; उन्होंने मुझे इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये १९ सितम्बर को वहां आने का निमंत्रण दिया है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या जिसका हमारे साथ सम्बन्ध है, वह चीन या तिब्बत के साथ हमारे सीमांत की है। कुछ दिन पूर्व मैं ने शायद एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि नैफ़ा में नया आक्रमण हुआ है, जहां, जैसा कि पता चला था, चीनी सैनिक सीमा में चार पांच मील तक घुस आये थे। मैं ने यह भी बताया था कि हम ने चीन सरकार से इस बात पर विरोध किया है। उन्होंने उत्तर में कहा है कि उनके ९ कर्मचारी जंगल में बांस काटने गये थे। घने नीचे बादलों तथा भारी धुंध के कारण वे मार्ग भूल गये और गलती से सीमा पार कर गये। ज्योंही उन्हें गलती का पता चला वे तुरंत वापस लौट गये। मैं यह उत्तर सभा के सामने रख रहा हूं। हम इस मामले की और जांच कर रहे हैं।

एक और छोटी सी बात है। एक माननीय सदस्य ने उस पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी प्रयत्न किया था जिसे आपने स्वीकार नहीं किया। यह बात तिब्बत के एक दर्रे शिपकी ला के बारे में है। एक और माननीय सदस्य ने, जो उसी क्षेत्र के निवासी हैं, कहा है कि शिप की ला का गांव जो भारतीयों ने बसाया था अब चीनियों या तिब्बत वालों के कब्जे में है। मैं यहां पर एक गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूं। हमारे अनुसार वहां पर हमारी सीमा वह दर्रा है, शिपकी दर्रा। हम ने यही बात चीन वालों से कही थी। जो पत्र हमारे और उनके बीच आये गये हैं उस में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। शिपकी गांव दर्रे के दूसरी ओर है। हमारे अनुसार भी वह गांव हमारे इलाके में नहीं; यह अलग बात है कि भारतीय वहां पशुओं को चराने वगैरा के लिये जाते रहे होंगे। हम ने इसका कभी दावा नहीं किया। इसलिए हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शिपकी दर्रे से सीमा निर्धारित होती है और वह गांव दूसरी ओर है।

इस के बाद मैं दुनिया की कुछ व्यापक बातों का उल्लेख करना चाहता हूं; क्योंकि अगर हम इन बातों को सामने नहीं रखेंगे तो हम से हर चीज़ को समझने में गलती होगी। हम सब जानते हैं कि आणविक शस्त्रास्त्रों के कारण निशस्त्रीकरण की समस्या बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। वैसे तो पहले भी यह चीज महत्वपूर्ण थी परन्तु अब तो इसका महत्व कहीं ज्यादा बढ़ गया है। आणविक अस्त्र आधुनिक टेक्नोलॉजिकल और वैज्ञानिक विकास की चीजें हैं। आप कह सकते हैं कि यह गलत तरीके का विकास है। वस्तुतः यह युग असाधारण रूप से बदलता जा रहा है। लोग अंतरिक्ष यात्रा तथा चंद्रमा तक पहुंचने की बातें सोच रहे हैं। संभवतया यहां बैठे बहुत से लोग अपने जीवन काल में इन चीजों को स्वयं देख लेंगे या सुन लेंगे। टेक्नोलोजी के क्षेत्र में यह महान क्रान्ति जो हो रही है उसका असर मानव जीवन पर पड़ रहा है और पड़ेगा। निस्सन्देह इस से हमारी विचारधारा तथा हमारे सामाजिक ढांचे पर भी प्रभाव पड़ेगा; हर चीज़ पर असर पड़ेगा। जो विचारधारा हमारी है या दूसरों की है उस पर भी इसका प्रभाव निस्संदेह पड़ेगा। यह बात मुझे साफ दिखायी देती है। जहां रेल गाड़ी चल जाय वहां लोगों के जीवन पर भी तो प्रभाव पड़ता है। उनका जीवन, उस काल के लोगों के जीवन से अलग हो जाता है जब कि बैलगाड़ियां चलती थीं। यदि हम वायुयानों, तारों आदि के युग में रहते हैं तो हमारे जीवन पर भी उसी तरह का काफी प्रभाव पड़ता है। उत्पादन तथा वितरण के तरीकों के अलावा भी सब चीज़ों पर इन का असर होता है।

यह परिवर्तन बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। हम तुलनात्मक दृष्टि से इस में पिछड़े हुए हैं और दुनिया काफी आगे बढ़ती चली जा रही है। एशिया के अन्य देशों की अपेक्षा हम कम पीछे हैं परन्तु तब भी तुलनात्मक दृष्टि से हम काफी पीछे हैं।

मैं इस समय टैक्नालोजी पर चर्चा नहीं कर रहा परन्तु यह बता रहा हूं कि इस से आजकल अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है। युद्ध का जहां तक प्रश्न है निस्सन्देह युद्ध टैक्नोलोजी पर आधारित है। विचारधाराओं के रूप में भी बड़े बड़े देशों पर इस का असर है। सभा को यह चीज स्मरण रखनी चाहिये क्योंकि स्वाभाविक रूप से अन्य देशों के समान हम भी अपने छोटे से सीमित क्षेत्र में रह कर काम करते हैं क्योंकि हमारे सामने हमारी दैनिक समस्यायें हैं और इस चक्र में हम उन महत्वपूर्ण और विचित्र बातों को समझ ही नहीं पाते जो धीरे धीरे हम सब पर अपना असर डाले जा रही हैं।

मेरा विचार इस समय विचारधाराओं के वाद-विवाद में पड़ने का नहीं है किन्तु यह बात तो स्पष्ट है कि हम में से जो लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें अन्तिम प्रकाश दिखाई दे चुका है और हरेक क्षेत्र में उन का मार्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उन पर भी इन चीजों का प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी विचारधारा या कोई भी ढंग पूर्ण नहीं होता क्योंकि संसार में हर समय नये तरीके और नई चीजें आती रहती हैं जिन का हम पर असर पड़ता है। हमें यह प्रभाव साम्यवाद पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे बड़ी पक्की और अनम्य विचारधारा कहा जाता है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि इस का असर दुनिया पर काफी पड़ा है क्योंकि यह चीज़ नये सामाजिक तथा आर्थिक विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। किन्तु उस के साथ ही यह प्रवृत्ति पुरातन धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक प्रवृत्तियों की भांति कठोर भी होती जा रही है।

आजकल जैसे एक मशीन आज ही बन कर तनिक पुरानी हो जाती है क्योंकि इस बीच कोई नई मशीन बन जाती है, वैसे ही विचारधारा में भी परिवर्तन होते जाते हैं। आखिर साम्यवादी विचारधारा का अभ्युदय भी तो औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुआ। यह कठोरता धीरे धीरे मिटती जा रही है। चाहे विचारधारा की ऊपरी बातों को वैसा ही पुराने तरीक़े का रखा जाय किन्तु इस का तत्व बदल जाता है। यदि तत्व न बदले तो फिर वह समय से पीछे रह जाती है।

अब आप इस बात पर सोचें। अन्य देशों में लोग इस बात पर काफी चर्चा करते हैं। आखिर यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व है क्या ? पंचशील क्या है ? तटस्थता की नीति क्या है ?

तटस्थता के बारे में मैं ने काफी कुछ कहा है किन्तु उस पर भी कुछ लोगों के दिमाग़ इतने बन्द पड़े हैं कि वे उस चीज़ को भी समझ नहीं पाते जिसे बड़ी आसानी से समझ लिया जाना चाहिये था। वे समझते हैं कि तटस्थता बाजीगरों का एक खेल सा है अर्थात् दो पक्षों के बीच किसी चीज पर संतुलन रखना और इस तरह से रखना कि चाहे जब चाहे जिस पक्ष की ओर चले जाओ तटस्थता है। यह गलत बात है। यह इतनी सी बात नहीं है। यह सवाल तो उस काम को करने का है जिसे आप ठीक समझते हैं। मैं सभा से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर मनन करे क्योंकि तटस्थता का अभिप्राय दो पक्षों में दो विचारधाराओं में, दो नीतियों में संतुलन रखने से ही नहीं लिया जा सकता। हम वही काम करने का प्रयत्न करते हैं जो हमें न्यायोचित प्रतीत होता है। हम चाहे किसी देश से विपरीत राय भी रखें पर हम उसे मैत्रीपूर्ण शब्दों में व्यक्त करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य जो विश्व में मैत्री पैदा करने का है। स्वाभाविक रूप से हम किसी देश की निन्दा नहीं करते क्योंकि निन्दा करने से हालत सुधरती नहीं बल्कि वह लोग जिन की निन्दा की जाय नाराज होते हैं। दुनिया में क्रोध तथा हिंसादि के तत्व पहले से ही ज्यादा हैं हम इस की वृद्धि नहीं कर सकते।

इसलिये यह याद रखना चाहिये कि किसी गुट में शामिल न होना एक निश्चित नीति है। यह अलग बात है कि कभी कभी यह नीति गलत हो सकती है; परन्तु हम इसे ठीक कर सकते हैं। कोई आदमी यह कहे कि तुम इस तरफ जाओ या उस तरफ—यह उस की राय हो सकती है—परन्तु यह बात स्वतंत्र नीति के अनुसरण के विपरीत है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मेरे यह बात समझ में नहीं आती कि किसी देश से क्यों यह कहा जाय कि वह इस तरफ हो या उस तरफ, जब हम युद्ध चाहते ही नहीं, जब हम इस तरह के दृष्टिकोण से सहमत ही नहीं। हमारा देश काफी बड़ा देश है ; हम से ऐसी बात कही ही क्यों जाय ?

आप शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात को लीजिये। अखबारों आदि में यह तर्क वितर्क बराबर चलता रहता है कि युद्ध अनिवार्य है या नहीं—ऐसी बातें सैद्धान्ति के आधार पर चलती रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति या दल यह सोचता है कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर उस की दृष्टि से निःशस्त्रीकरण की बात ही व्यर्थ है। क्योंकि जब युद्ध अनिवार्य है तो निशस्त्रीकरण का कोई मतलब ही नहीं। जब तैयारी युद्ध की हो रही हो तो शांति कैसे होगी।

इस बात से मुझे बड़ा अफसोस होता है ; ऐसे तर्क भारत में नहीं चल रहे बल्कि विदेशों में चल रहे हैं। परन्तु युद्ध की अनिवार्यता के विचार को एक नहीं, अनेक राष्ट्र अस्वीकार कर चुके हैं। मैं यह बात इस कारण से नहीं कह रहा कि यह केवल सैद्धान्तिक सी बात है वरन् इसलिये कह रहा हूं कि इस विचार से ही कार्यक्रम बनता है. . . .विशेष कर उन देशों का जो युद्ध को अनिवार्य समझते हैं।

†श्री स० का० आचार्य (पश्चिम दीनाजपुर) : जो देश यह विचार रखता है कि युद्ध अनिवार्य है उस ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का समर्थन किया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यही तो मैं बता रहा हूं कि ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं। यदि सैद्धान्तिक रूप से आप यह मानें कि युद्ध अनिवार्य है और विभिन्न समाजों का संघर्ष भी आवश्यक है तो आप शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात में कदापि विश्वास नहीं रख सकते। सह-अस्तित्व की बात आप तभी मान सकते हैं जब युद्ध आप को अनिवार्य प्रतीत न हो। मेरा मतलब यह है कि यदि युद्ध किसी दुर्घटनावश शुरू हो जाय तो अलग बात है किन्तु यह कहना कि युद्ध अटल है, यही प्रकट करता है कि उस की रोकथाम के प्रति आप सज नहीं हैं। अतः यह चीज सह-अस्तित्व की भावना के विरुद्ध है। यह चीज स्पष्ट है परन्तु मैं ने इसे सभा के सामने इस कारण रखा है कि किसी को कोई अस्पष्टता न झलके। इसी बात को दूसरी तरह देखिये ; जब लोग यह कहते हैं कि अमुक सैनिक गुट में मिल जाना चाहिये तो भी यह जाहिर होता है कि लोगों के विचारों में बहुत अस्पष्टता है। संयुक्त प्रतिरक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो या अनावश्यकक परन्तु इस तरह की बातें भारत की बुनियादी नीति के एकदम विपरीत हैं। अगर आप इन के बारे में सोचते हैं, तो इस का मतलब है कि आप अपनी उस नीति का परित्याग कर रहे हैं जिस का आप ने गत दस बारह वर्ष से अनुसरण किया है। आप यह चर्चा कर सकते हैं कि इनमें से क्या अच्छा है और क्या बुरा है, परन्तु उस का अभिप्राय यही होगा कि आप कुछ सहायता के लिये अपनी स्वतंत्र नीति को छोड़ रहे हैं। सहायता अनेक प्रकार की होती है परन्तु सब से अच्छी सहायता एक देश के साथ मित्रता करना है। यदि हम यह सोचें कि हमें धन या सामग्री की सहायता चाहिये, ऋण चाहिय, तो वह अलग बात है। किन्तु जब आप एक बार शस्त्रों आदि की सहायता प्राप्त करते हैं, तो आप निस्सन्देह सैनिक चक्कर में फंस जाते हैं और आप की स्वतंत्र नीति का परित्याग आवश्यक हो जाता है—परिणामस्वरूप आप की बुनियादी स्थिति बिगड़ जाती है और दूसरे पक्ष से शत्रुता मोल लेनी पड़ती है। आप न चाहते हुए भी शीत युद्ध के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

अतः इस विषय पर हमें तनिक स्पष्ट रूप से ही सोचना चाहिये । यदि हम शीत युद्ध में शामिल होना ही चाहते हैं तो अलग बात है, किन्तु परिणाम सोचे बिना हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिये । व्यक्तिगत रूप से मैं तो यह कहूंगा कि भारत ने जो रवैया अख्तियार किया है, किसी गुट में शामिल न होने की हमारी जो नीति है उससे दुनियां के सभी छोटे बड़े देशों पर काफी असर पड़ा है । उन्होंने इस बात की सराहना की है और उन का अनुभव है कि इस नीति से उन्हें काफ़ी सहायता मिली है । कांगो के बारे में ही हम से सहायता की मांग की जा रही है क्योंकि जिन थोड़े से देशों पर अन्य देशों को विश्वास है, उन में से हम भी एक हैं । मान लीजिये इस तरह के देश दुनियां में न रहें, तब क्या परिणाम निकलेगा ? एक दूसरे से डर, संघर्ष, ईर्ष्या, और तरह तरह के झगड़े ।

अतः मैं समझता हूं कि अनेक कमज़ोरियों के बावजूद भी हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति से न केवल हमें ही लाभ पहुंचा है बल्कि विश्व में शान्ति बनाये रखने में भी इस से सहायता मिली है ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । माननीय सदस्य अपने स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†श्री जगन्नाथ राव (कोरापट) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के बाद उक्त नीति का अनुमोदन करती है ।"

†श्री विद्या चरण शुक्ल (बलोदा बाजार) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री अ० मु० तारिक (जम्बु तथा काश्मीर): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री बा० चं० काम्बले (कोपरगांव) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री नलदुर्गकर (उस्मानाबाद) : मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ और ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री जयपाल सिंह (रांचि--पश्चिम--रक्षित अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–पूर्व) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं ।

†श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या १० प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव और ये स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : प्रधान मन्त्री ने बहुत उपयोगी भाषण दिया है । उन्होंने अपने भाषण में कई विषयों का समावेश किया है । इसका यह कारण है कि विश्व में इस समय कई महत्वपूर्ण घटनायें घट रही हैं । एक ओर शिखर सम्मेलन के असफल होने से निराशा फैली हुई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी

दूसरी ओर अफ्रीका महाद्वीप में राजनैतिक जागरण हो रहा है। विश्व के कई देश अपने पैरों में खड़े होने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः भारत को इस समय इन देशों को स्वाधीनता संग्राम में सहयोग देने का महत्वपूर्ण कार्य करना है।

शिखर सम्मेलन यू–२ की कुख्यात घटना से असफल हो गया है। कई लोगों ने इसका दोष श्री ख्रुश्चेव के मत्थे मढ़ा है, निस्सन्देह शिखर सम्मेलन में ख्रुश्चेव का दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक था, यदि दोष दिया जा सकाता है तो उनके रवैये को, इस क्रोध का कारण भी बिल्कुल न्यायोचित था, क्योंकि उन्हें कूटनीतिक चालबाजी बिल्कुल पसन्द नहीं है।

अभी हाल संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होने वाली है। उसमें रूस का यह प्रस्ताव रखा जायेगा कि राष्ट्रों के निःस्त्रीकरण करने के लिये, आणविक शस्त्रों और विदेशी हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया जाय। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने एक वक्तव्य में इन प्रस्तावों का स्वागत किया है। मैं आशा करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव का समर्थन किया जायेगा।

विश्व का राजनैतिक नक्शा कितनी तेजी से बदल रहा है यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि १९५० से अफ्रीका के २४ राष्ट्र स्वाधीन हो गये हैं। इस वर्ष चार अन्य राज्य भी स्वाधीन हो जायेंगे। तथापि कुछ उपनिवेशवादी अपने हितों को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं हैं इसी से वे कांगों के कटांगा राज्य को, जो यूरेनियम और हीरे की खानों के कारण कांगों का सबसे धनी राज्य है, उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं।

यह प्रसन्नता का विषय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिये गये पदभार को सम्भालने श्री राजेश्वर दयाल कांगो जा रहे हैं। हम उनकी सफलता की कामना करते हैं। तथापि कांगों की स्थिति से यह स्पष्ट है कि कुछ पूंजीवादी तत्व कांगों में संयुक्त राष्ट्र सेनाओं को अपने हितों के लिये प्रयोग करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सेनाओं का काम वहां से बैल्जियम की सेनाओं का निष्कासन करना था, जो अब लगभग समाप्त हो गया है, अतः अब उनका कार्य कांगों की प्रशासनिक स्थिति को मजबूत बनाना होना चाहिये। अफ्रीका तथा एशिया के राष्ट्रों का, जो कांगों के मित्र हैं, यह कर्त्तव्य है कि वे कांगों में एकता बनाये रखने का प्रयत्न करें।

प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बहुत प्रशंसा की तथापि यह स्वीकार करना होगा कि उन्होंने कटांगा के बल प्रयोग करने की धमकी के आगे घूटने टेक दिये, कांगों के प्रधान मन्त्री श्री लुमुम्बा ने इस सम्बन्ध में यह कहा कि उनकी यह कार्यवाही एकपक्षीय और कांगो तथा कटांगा के बीच संघर्ष में एक पक्ष का साथ देने के बराबर है। कांगों में संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन के बारे में जो शिकायतें आई हैं उनसे चिन्तित होना स्वाभाविक है। वस्तुतः कांगो में जो कुछ भी किया जाय वह कांगो को स्वतन्त्र और सर्व प्रभुत्व सम्पन्न राष्ट्र मान कर करना चाहिये। हमें कांगों की जनता के कामों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और उन्हें एक सहयोगी राष्ट्र समझ कर निरपेक्ष भाव से सहायता देनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री अब अफ्रीका तथा एशिया के स्वाधीन राष्ट्रों का पक्ष उतने उत्साह से नहीं ले रहे हैं, जितना कि वह पहिले लिया करते थे, अब वह थके और निरुत्साही से ज्ञात होते हैं, मैं चाहता हूं कि वे अफ्रीका व एशिया के राष्ट्रों के स्वतन्त्रता संग्राम में पुरजोर मदद करें, जिससे हमारे सम्बन्ध एशिया और अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ और घनिष्ट हो सकें।

मेरा यह भी सुझाव है कि नव स्वाधीन हुए अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ तत्काल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये जायं।

अब मैं पूर्वी एशियाई देशों के सम्बन्ध में चर्चा करूंगा। वियतनाम गणराज्य को स्वतन्त्र हुए आज १५ वर्ष हो गये हैं, वहां अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के बावजूद भी, जिसके सम्बन्ध में भारत की विशेष जिम्मेदारी है, अमेरिका के सैनिक परामर्श दाता सक्रियता से कार्यरत हैं, तथा दक्षिण वियतनाम में सेनाओं के जमा होने की खबरें मिली हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि लाओस में कुमार सुवन्ना फोम की अध्यक्षता में एक प्रगतिशील सरकार की स्थापना हो चुकी है, सरकार को चाहिये कि वह तत्काल इस सकार को मान्यता प्रदान करें। इस सम्बन्ध में मैं इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहता हूं कि हम पश्चिम जर्मनी के भय से जर्मन गणराज्य से अभी तक पूरे कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाये हैं।

जहां तक भारत के निकटवर्ती देशों का सम्बन्ध है, मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री पाकिस्तान जा रहे हैं। वस्तुतः हम दोनों राष्ट्रों को अच्छे पड़ौसियों की तरह रहना चाहिये। पुर्तगाली बस्तियां भारत में अभी तक नहो मिलाई गई हैं, यहां तक कि दादरा और नगर हवेली बस्तियां, जिनको वहां के नागरिकों ने स्वतन्त्र कर लिया था अभी तक भारत में एकीकृत नहीं हो पायी हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस ओर क्या कार्यवाही कर रही है, पांडिचेरी अभी तक उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आया है, यह आश्चर्य का विषय है, इस सम्बन्ध में कुछ विशेष नियम पारित कर तत्काल कार्यवाही की जाय। संसद् में भी पांडिचेरी का कोई प्रतिनिधि होना चाहिये।

बर्मा में भारतीयों को नागरिकता देने और विस्थापित व्यक्तियों को सहायता देने के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया था, बर्मा से हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बावजूद भी हम बर्मा में भारतीयों की समस्याओं को हल करने में सफल नहीं रहे हैं। लंका में नई सरकार की स्थापना हुई है, मैं आशा करता हूं कि यह सरकार भारतीयों की समस्या हल करने में अधिक सहायक सिद्ध होगी।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। हमें यह आशा करनी चाहिये कि इन दोनों महान् और मैत्रीपूर्ण देशों के बीच विवाद का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हो जायगा।

अब मैं राज्य सभा में प्रधान मन्त्री द्वारा किये गये आरोपों को लेता हूं प्रधान मन्त्री ने अखिल भारतीय शान्ति परिषद् पर दोषारोपण किया, इस परिषद् में बहुत से विख्यात कांग्रेसी भी हैं, अतः प्रधान मन्त्री को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता है, उन्होंने साम्यवादियों को गद्दार और देश भक्ति की भावना से रहित कहा है, उन्होंने कहा है कि साम्यवादी सीमान्त क्षेत्रों में भारत विरोधी प्रचार

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

कर रहे हैं। मैं प्रधान मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह अपने आरोपों को सिद्ध करें इस प्रकार की बातें भ्रामक और झूठ से भरी हुई हैं।

†श्री जवाहरलाल नहरू : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिये कि मैंने इस सम्बन्ध में विशेषतः न्यू एज का जिक्र किया था, क्या यह उनके दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यदि वे नाम चाहते हैं, तो मैं उन सदस्यों के नाम दे सकता हूं जो कि सीमान्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ह्री० ना० मुकर्जी : इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री बी० सी० राय और उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी लगाये गये हैं। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा गया और वहां हुई चर्चा से यह सिद्ध हुआ कि यह सब मिथ्या है। प्रधान मन्त्री चाहे कितने ही महान् व्यक्ति हों उन्हें इस प्रकार का आरोप लगाना शोभा नहीं देता, विशेषतः इस कारण भी कि हम उनसे कई बातों में सहमत हैं, अतः या तो उन्हें ये आरोप सिद्ध करने चाहियें या उन्हें इन झूठे आरोपों को वापस लेना चाहिये।

प्रधान मन्त्री ने यह कहा है कि साम्यवाद एक लोहचीन सिद्धान्त है, यह बात सही नहीं है, उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि साम्यवाद हमारे लिये एक रूढ़ि नहीं है अपितु एक पथ प्रदर्शक सिद्धान्त है जिसमें समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस विषय में चर्चा हो रही है कि किस प्रकार हम शान्तिपूर्ण तरीके से सह-अस्तित्व का सिद्धान्त अपना सकते हैं। अन्त में मेरा सुझाव है कि अफ्रीकी राष्ट्रों के स्वतन्त्रता आन्दोलनों की यथाशक्ति सहायता की जाय, तथा सरकार उन विषयों पर तत्काल सक्रिय कार्यवाही करे जो मैंने इस चर्चा के दौरान उठाये हैं।

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : प्रधान मन्त्री ने अपने भाषण में विविध समस्याओं पर व्यापक प्रकाश डाला है, यह उचित है क्योंकि हमें उन समस्याओं के मामले में उनके पथ प्रदर्शन की आवश्यकता है। तथापि चर्चा के दौरान अमेरिका व रूस के सम्बन्ध में असंतुलित रूप से प्रकाश डाला गया है, इसके फलस्वरूप हमारे देश की समस्यायें पीछे रह गयी हैं। मैं उन्हीं समस्याओं पर जो हमारे देश के लिये महत्वपूर्ण हैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं।

निसन्देह शिखर सम्मेलन के असफल होने से विश्व की आशाओं पर कुठाराघात हुआ है, तथापि यदि हम शान्ति के समर्थक हैं तो हमें इस असफलता का आरोप एक दूसरे के सर पर नहीं मढ़ना चाहिये; अपितु ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि पुनः मतैक्य की सम्भावना हो सके। यद्यपि विश्व के दोनों गुटों में मतैक्य बढ़ा है तथापि युद्ध की सम्भावना नहीं बढ़ी है इसके वैज्ञानिक कारण हैं, अमेरिका अपने राकेट का कैपस्यूल पुनः प्राप्त करने में सफल हो गया है, और रूस के कुत्ते अन्तरिक्ष की यात्रा से पुनः वापस आ सके हैं। विज्ञान की इस प्रगति से युद्ध और विनाश का खतरा भी दूर हो गया है, दोनों गुटों की इस सम्बन्ध में लगभग समान प्रगति से शक्ति में एक प्रकार का संतुलन हो गया है, जिससे युद्ध की सम्भावनायें दूर हो गई हैं। तथापि हमें मानवीय दुर्बलताओं के प्रति सतर्क रहना चाहिये, और इसलिये शान्ति की खोज जारी रखनी चाहिये।

प्रधान मन्त्री का यह दावा है कि उनकी विदेश नीति को देश का व्यापक समर्थन प्राप्त है। उनकी तटस्थता की नीति के दो लाभ अवश्य हैं, एक तो यह कि उनकी इस नीति से विश्व शान्ति को पर्याप्त बल प्राप्त हुआ है, दूसरे यह कि विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इसी नीति का ही यह परिणाम है कि जब हमारे राष्ट्रपति रूस गये तो वहां उनका शानदार स्वागत किया गया और वहां से हमें अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिये ऋणों और सहायताओं का आश्वासन दिया गया। यह भी हमारा विदेश नीति का ही परिणाम है कि अमेरिका ने हमें बहुत अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ देने का समझौता किया है। इससे हम तीसरी योजना की अवधि के दौरान भुखमरी की चिन्ता से मुक्त हो सकेंगे।

पाकिस्तान के साथ नहरी पानी विवाद के निपटारे से भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद की एक दीवार ढह गई है। इस सम्बन्ध में मैं श्री इलिफ का उल्लेख करना चाहता हूं, जो विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हैं। वे तथा उनके अधिकारी निसन्देह बधाई के पात्र हैं; जिन्होंने कई कठिनाइयों और

†मूल अंग्रेजी में

बाधाओं के विपरीत भी अपने प्रयत्न जारी रखे और अन्त में सफलता प्राप्त की । इसी प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्व और पश्चिम में सीमांकन का काम भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है । इसके लिये सरदार स्वर्ण सिंह और पाकिस्तान का तत्सम्बन्धी प्रतिनिधि मण्डल बधाई के पात्र हैं । इन सफलताओं के पश्चात् प्रधान मंत्री का वहां जाना बिल्कुल उचित है । अतः प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह पाकिस्तान के साथ 'युद्ध निषेध' तथा अन्य इस प्रकार के समझौते करें जिससे कि भारत और पाकिस्तान के बीच के सम्बन्ध अधिक मैत्रीपूर्ण और घनिष्ट बन सकें । उन्हें इन दोनों देशों के बीच वीसा और सीमा शुल्क सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये । हम उनकी सफलता की शुभ कामना करते हैं ।

हमारे पड़ौसी लंका में भी इस बीच महत्वपूर्ण राजनैतिक उथल-पुथल हुई है । तथापि उससे एशिया में लोकतन्त्र की विजय को बल मिला है । लंका की प्रधान मंत्री भारत आ रही हैं । हम आशा करते हैं कि उनकी इस यात्रा के दौरान लंका में भारतीयों की समस्या के हल होने में सहायता मिलेगी ।

तिब्बत में जो कुछ हो रहा है उसे केवल दुखपूर्ण कहना गलत है । वस्तुतः गरीबी और सामन्तशाही को निर्मूल करने के बहाने वहां की सभ्यता और संस्कृति को जड़ से उखाड़ा जा रहा है । जब यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया तो भारत ने तिब्बत का पक्ष नहीं लिया, इस सम्बन्ध में उसने यह दलील दी कि ऐसा करना चीन के घरेलू मामलों में दखल देने के बराबर होगा और हमारे तिब्बत के पक्ष में मतदान देने से कोई लाभ नहीं होता । यह दोनों दलीलें थोथी हैं और भारत का यह रवैया तिब्बत को धोखा देने के बराबर है । भारत ने सदैव यह नीति बरती है कि वह अन्याय और आक्रमण के खिलाफ आवाज उठायेगा, तिब्बत में अन्याय के विरुद्ध चुप रह कर भारत ने अपनी दुर्बलता का परिचय दिया है । अब आगामी बैठक में तिब्बत में मानवीय अधिकारों का प्रश्न मलाया और थाईलैण्ड द्वारा पुनः उठाया जाने वाला है भारत का यह कर्त्तव्य है कि वह उनका समर्थन करे ।

अब मैं भारत की चीन सम्बन्धी नीति को लेता हूं, चीन ने तिब्बत के साथ जो रवैया अपनाया उससे भारत ने कोई सबक नहीं सीखा, जब १९५४ में चीन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया तब भी हमने केवल एक विरोध पत्र भेजा । पिछले पांच वर्षों में चीन के साथ हमने जो नीति अपनाई है वह बिल्कुल अवास्तविक है । उसका ही यह परिणाम हुआ कि हमारे पड़ौसी देशों ने हमारा साथ देने के स्थान में चीन से पृथक् समझौते कर लिये । नेपाल, अफगानिस्तान और बर्मा ने चीन के साथ पृथक् समझौते कर लिये हैं । प्रधान मंत्री का कथन है कि इस विवाद का निपटारा बातचीत करके किया जाय, यह ठीक है, तथापि पहिले चीन से उस भाग को लौटाने की मांग करनी चाहिये जिसे उसने हड़पा है । तथापि आज चीन इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि हम उसके आक्रमण को भूल कर इस प्रश्न को केवल सीमा विवाद का विषय बना लेवें । क्या यह बात सच नहीं है कि भारत का एक बड़ा भाग चीन के अधिकार में चला गया है और हमारी सरकार उसे वापस लेने में असमर्थ रही है । यदि ऐसा है तो हमें अपनी विदेश नीति की हार स्वीकार करनी होगी ।

इस सम्बन्ध में हमें यह याद रखना चाहिये कि चीन और तिब्बत का झगड़ा स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में नहीं था इसका मूल कारण सीमा विवाद ही था । चीन ने इस विवाद का निपटारा इस प्रकार किया कि तिब्बत का अस्तित्व ही खत्म कर दिया । अपने इतिहास में चीन ने पिछले १०० वर्षों में ७२० लाख व्यक्तियों का खून केवल पारस्परिक युद्धों, विद्रोहों और गृह युद्धों में बहाया है । इस सत्य को सरकार को नहीं भूलाना चाहिये । अतः चीन से हमारे विवाद तभी हल हो सकते हैं जबकि हम अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनायें ।

आज अफ्रीका में कई राष्ट्रों का प्रादुर्भाव हो रहा है । अतः भारत को चाहिये कि उपनिवेशवाद की अन्तिम निशानी पुर्तगाली बस्तियों को भी स्वतन्त्र कर दिया जाय, इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है वह निराशाजनक तो है ही, लज्जाजनक भी है ।

[श्री नाथ पाई]

प्रधान मंत्री अपनी विदेश नीति के आलोचकों को अक्सर कड़े शब्दों में उत्तर देते हैं। यह गलत है क्योंकि यदि उनकी विदेशी नीति की जड़ें भारत के अतीत और उसकी संस्कृति में हैं तो यह संस्कृति किसी एक व्यक्ति या दल की नहीं अपितु सब की है, अतः अपने आलोचकों के लिये ऐसे व्यंगात्मक और क्रोधपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना जिसके कि वे आदी हो गये हैं अनुचित है।

†श्री कासलीवाल (कोटा) : यह बड़ा विचित्र तर्क है कि जो भी हमारा पड़ौसी देश चीन से मित्रता करेगा वह हमारा शत्रु हो जायेगा। यदि अफगानिस्तान अथवा नेपाल ने चीन से मित्रता की सन्धि की है तो इस कारण से हमारे और उनके सम्बन्धों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। संसद् के दोनों सदनों ने सरकार की चीन के प्रति अपनाये जाने वाली नीति का समर्थन किया है। अतः कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना है कि हमारी चीन सम्बन्धी नीति संकोच पूर्ण है ठीक नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसी बात है तो उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए कि सरकार को बातचीत का रास्ता छोड़कर सैनिक कार्यवाही करनी चाहिए। परन्तु मुझे पता है कि उन्हें ऐसा कहने का साहस नहीं है।

अब मैं निःशस्त्रीकरण तथा अणु प्रयोगों को बन्द करने के विषयों पर आता हूं। शिखर सम्मेलन के असफल हो जाने के पश्चात् यह विचार था कि निःशस्त्रीकरण सम्बन्धी १० राष्ट्रों की समिति जिसकी बैठकें जिनेवा में होती रही थीं, काम करती रहेंगी। परन्तु एक मास बाद ही रूस ने इस समिति से हटने की घोषणा की और बातचीत टूट गयी। १९५० से आरम्भ होने के बाद यह वार्ता कई बार असफल हो चुकी है। इस दिशा में यह १० वर्षों की कहानी बड़ी ही शोचनीय है। हर्ष की बात है कि अभी हाल ही में भारत तथा कुछ अन्य राष्ट्रों ने मिल कर जो संकल्प प्रस्तुत किया था, उसे एक मत से स्वीकार कर लिया गया है। इसमें सभी पक्षों पर जोर दिया गया है कि वे निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहें। इसके लिए भारत सरकार को मुबारकबाद दी जानी चाहिए। आशा करनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र महा सभा के आगामी अधिवेशन में इस समस्या को हल किया जायेगा।

अणु प्रयोगों के सम्बन्ध में भी बड़े राष्ट्रों में वार्ता चल रही है। इस मामले में जिनेवा की वार्ता का कोई परिणाम नहीं निकला। पहले कहा गया था कि समझौते के २२ खंडों में से १७ पर सहमति हो गयी है। परन्तु बाद में समझौते के ५ मुख्य खंडों पर समझौता नहीं हो सका। इसके बाद इन प्रयोगों के सम्बन्ध में रूस और अमरीका में खिंचाव पैदा हो गया। जब तक यह जिनेवा वार्ता असफल न हो जाय, तब तक किसी भी देश द्वारा परीक्षण पुनः आरम्भ करना अवैध तथा अनैतिक होगा। वैसे भी जनमत इसके इतना विरुद्ध है कि इसे आरम्भ करने का किसी को साहस भी नहीं हो रहा। साथ ही अब फ्रांस भी अणु शक्ति वाला देश हो गया है, अतः उसे भी इस वार्ता में सम्मिलित कर लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार की विदेशी नीति की सराहना करता हूं।

†डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : यह अच्छी बात है कि भारत सरकार निःशस्त्रीकरण की नीति अपना रही है तथा उसे सर्वोच्च प्राथमिकता भी दे रही है। तो लेकिन हमारे सामने उत्तरी सीमान्त का प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निःशस्त्रीकरण की नीति तो उन्हीं राष्ट्रों के लिये ठीक हैं जिनके पास बहुत से हथियार हैं। हमें उनके हथियारों को कम करने के लिये साथ देना चाहिये। लेकिन यह कहना कि भारत के लिये यही महत्वपूर्ण प्रश्न है गलत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बत के मामले में हमने देखा है कि १६५० तक चीन तिब्बत की सीमा में न घुस सका। लेकिन १६४७ के बाद से घटनाओं में परिवर्तन हो रहा है। आज तिब्बत मानचित्र से उड़ गया है। वे चीनी न केवल हमें सीमा सम्बन्धी मामलों में ही चुनौती दे रहे हैं बल्कि हमारे घरेलू मामलों में भी चुनौती दे रहे हैं। हमारी शक्ति आज भी उतनी ही होती जितनी कि पहले थी तो बर्मा, नेपाल, तथा अफगानिस्तान ने चीन से करार करने से पहले कम से कम हमसे पूछ तो लिया होता। ये देश हमारे दोस्त हैं और हम चाहते हैं कि इनकी दोस्ती हमसे और भी दृढ़ हो। चीन और नेपाल का समझौता होने के बावजूद भी चीन ने नेपाल पर आक्रमण किया।

प्रधान मंत्री ने बताया है कि चीन ने हमारे विरोधपत्र का उत्तर दिया है और कहा है कि नौ चीनी बांस काटने के लिये आये थे और कुहरे के कारण रास्ता भूल गये। लेकिन दूसरी ओर अगर भारतीय वहां जाते तो कभी भी उनको तिब्बत की सीमा में घुसने की अनुमति नहीं दी जाती। तक्षमान मठ कोई मामूली मन्दिर नहीं है। यह बुद्धों का बहुत पवित्र मन्दिर है। बहुत बहुत दूर से यात्री वहां पूजा करने के लिये जाते हैं। अतः ऐसे स्थानों की पर्याप्त सुरक्षा की जानी चाहिये। हमारे सैनिकों को चाहिये कि वे उन चीनियों को सीमा तक खदेड़ दें तथा उस सीमा की उचित सुरक्षा की जानी चाहिये। यह अच्छी बात है कि शिपकी ला के बारे में हमारे प्रधान मंत्री ने कह दिया है कि वह हमारा नहीं है। लेकिन हुपसांग खंड तो भारतीय था उसे प्राप्त करने में हम असफल क्यों रहे?

सन् १६४७ के बाद से जब कि चीन में साम्यवादी राज्य की स्थापना हुई, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि चीनी और भारतीयों का आमना सामना हुआ। लद्दाख में हमारे आदमियों को चुनौती दी गई। १२,००० वर्ग मील सीमा पर चीनियों ने अधिकार कर लिया। इसलिये छोटे छोटे राज्य जैसे नेपाल, भूटान और सिक्कम को खतरा उत्पन्न हो गया। और वे सोचने लगे कि हमारा क्या होगा? चीन के साथ उनका कभी भी कोई सम्बन्ध नहीं था यहां तक की चीनियों और भारतीयों तथा नेपाली, भूटानी और सिक्किम वालों की विचार धारा में भी अन्तर है। चीन अब एशिया के सभी देशों में घुसने के लिए तैयार रहेगा। चीन सड़कें बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है। यदि इसी प्रकार इसकी प्रगति रही तो एशिया के ये देश आर्थिक दृष्टि से भी चीन पर निर्भर करने लगेंगे।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दो बातें हमारे सामने आई हैं। एक तो पाकिस्तान काश्मीर का अतिक्रमण है। कुछ लोगों का कहना है कि वहां से फौजें हटाकर सीमा पर लगानी चाहिये लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। प्रधान मंत्री का कहना है कि हमें संयुक्त प्रतिरक्षा करनी चाहिए इस बात से मैं सहमत हूं। हमारी शक्ति इस प्रकार बढ़नी चाहिये कि कोई भी शक्ति हमें चुनौती न दे सके। हम चाहते हैं तथा आवश्यकता भी इस बात की है कि देश की सभी ओर से रक्षा की जानी चाहिये। आज समस्त भारत इस बात के लिये तैयार है कि आवश्यकता पड़ी तो वह सम्पूर्ण सरकार का साथ देगा। और चीन ने हमारे जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है हम उन्हें स्वतंत्र करा लेंगे।

आवश्यकता इस बात की है कि हम आज उत्तरी सीमा की स्थिति का अध्ययन करें। वहां की सांस्कृतिक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के इन १२ वर्षों में हम बहुत से लोगों को प्रशिक्षित कर सकते थे, बहुत से राजनयिकों को तैयार कर सकते थे। ताकि वे लोग वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करते। हमें संसद् सदस्यों पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये। देश में ४० करोड़ व्यक्ति हैं हमें उन्हें प्रशिक्षित एवं तैयार करना चाहिये और सीमान्त की रक्षा के लिये उन्हें भेजना चाहिये।

[डा० राम सुभग सिंह]

यह कहना कि ये क्षेत्र बड़े कष्टकारी हैं, काफ़ी नहीं है । सामान्य लोग वहां गये हैं । लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे राजनयिकों ने इन क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन नहीं किया है । वे वहां जाना नहीं चाहते । केवल फोटो लेने या एक घंटे जाकर देख आने भर से काम नहीं चलेगा ।

हम निःशस्त्रीकरण की बात करते हैं । आज देश में दो शक्तिशाली राष्ट्र हैं । लेकिन यह चीन की नीति पर भी निर्भर करता है । हम चाहते हैं कि चीन के साथ हमारा भाईचारे का सम्बन्ध रहे । लेकिन चीन की नीति कुछ दूसरी ही है । अगर हम चाहते हैं कि हम चीन का मुकाबला करें तो हमें भी उसकी भांति शक्तिशाली और अनुशासित होना पड़ेगा । आशा है कि भारतीय सेना तथा भारतीय किसी भी चुनौती का अच्छी तरह से सामना करेंगे ।

चीन आज देशों को हड़पने की नीति अपना रहा है । वह अपने चारों ओर के देशों की ओर बढ़ना चाहता है । वह पहले तिब्बत की ओर बढ़ा और अब भारत की ओर बढ़ रहा है । इसलिये हमें भी अब अपनी नीति बदलनी चाहिये । यदि हम अपनी सीमा की सुरक्षा न कर सकें तो यह हमारा नैतिक पतन होगा । इसलिये हमें लद्दाख से लेकर नेफा तक अपने सारे क्षेत्र का संस्कृति एवं आर्थिक दृष्टि से विकास करना चाहिये ।

भूटान से हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं । वहां के लोग तथा प्रशासन बहुत अच्छा है । हमें वहां के प्राकृतिक संसाधनों एवं नदियों से लाभ उठाना चाहिये । आशा है कि भूटान भी इस मामले में हमारा साथ देगा ।

स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुए हमें १३ वर्ष हो गये हैं लेकिन गोआ के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है वहां के लाखों व्यक्ति बम्बई तथा भारत के अन्य भागों में रह रहे हैं । हमें उन्हें भारतीय नागरिक घोषित कर देना चाहिये । यह सुझाव दिया गया था कि पांडचेरी, नगरहवेली तथा दादर के लोगों को भी यहां सदन में प्रतिनिधत्व मिलना चाहिये । अब हमें गोआ को स्वतंत्रता दिलानी चाहिये और उनकी अपनी सरकार बनाने का प्रबन्ध करना चाहिये ।

†श्री याज्ञिक (अहमदाबाद) : मैं गुटबन्दी से अलग रहने की नीति का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । शांति, गुटबन्दी से अलग रहने और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति सब प्रकार से सफल रही है । संसार की अधिक से अधिक सरकारें इस नीति को अपना रही हैं ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

सभी प्रकार के उकसाने के बावजूद भी हमारी सरकार शांति और गुटबन्दी से अलग रहने की नीति में विश्वास रखती रही है और यही कारण है कि शान्ति और गुटबन्दी से अलग रहने की नीति आज पूर्व-पश्चिम के देशों में अपनाई जा रही है । अतः इस नीति को छोड़ा नहीं जाना चाहिए चाहे हमें कितना ही उकसाया क्यों न जाय । हमारी उत्तरी-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा पर गम्भीर खतरा है । पाकिस्तान ने हमें उकसाने का प्रत्येक प्रयत्न किया है । उसने हमारा काश्मीर का काफी भाग अपने कब्जे में कर रखा है । अमरीका से सैनिक समझौता करके भी भारत को भयभीत करने का प्रयत्न किया है, परन्तु इस पर भी हमारा व्यवहार उसके साथ शांतिपूर्वक ही रहा है । इस सब का ही परिणाम है कि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों का एक नया युग आरम्भ होने जा रहा है । नहरी-पानी सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करने हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं । परन्तु यह भी चर्चा है कि इस समझौते में, जो कि विश्व बैंक के प्रभाव से हो रहा है भारत काफी घाटे में रहेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

वह पाकिस्तान को करोड़ों रुपये दे रहा है और उसकी काश्मीर की धरती भी वापिस नहीं की जा रही । पाकिस्तान ने काश्मीर का काफी बड़ा क्षेत्र अपने कब्जे में कर रखा है । कहा जा रहा है कि काश्मीर का प्रश्न भी परस्पर बातचीत से हल होना चाहिए । हो सकता है कि अपनी होने वाली भेंट में भारत और पाकिस्तान के दो नेताओं में अनौपचारिक रूप से इस समस्या पर भी चर्चा हो । मेरा निवेदन है कि एक बार हम पाकिस्तान से युद्ध न कर के काश्मीर के मामले में समझौता करने का प्रस्ताव रखें । और इसीलिये युद्ध न करने की घोषणा करने के बारे में कहा जा रहा है । हमारे प्रधान मंत्री, पाकिस्तान के प्रति, भारत की शुभ कामनाओं को लेकर जा रहे हैं । हो सकता है हमारे परस्पर सम्बन्धों का एक नया युग आरम्भ हो जाय । एक बात स्पष्ट हो गयी है कि पाकिस्तान के मामले में जो हमारी नीति खरी उतरी है और उसका अच्छा परिणाम निकला है, वह नीति चीन के सम्बन्ध में भी काफी प्रभावशाली रहेगी । पाकिस्तान और चीन के प्रति हमारी नीति एक जैसी रहनी चाहिए ।

हम सिक्किम और भूटान के साथ अपने सम्बन्ध बढ़ा रहे हैं । नेपाल से भी हमारे सम्बन्ध पहले की अपेक्षा अधिक अच्छे हो रहे हैं । अतः हमें अपनी सभी प्रकार की शक्ति बढ़ानी चाहिये । लेकिन कहा गया है कि सिक्किम और भूटान के लोग चीन की ओर झुक रहे हैं । मैं इस बात को नहीं मानता । भारत सरकार उनके लिए सब कुछ कर रही है । उनके संचार साधनों, वाणिज्य तथा व्यापार को विकसित करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । भारत सरकार, सहायता और कर्जों के रूप में उसे काफी धन दे रही है । चीन ने बर्मा, इन्डोनेशिया तथा नेपाल के साथ समझौता किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल के साथ चीन का समझौता उसके साथ हमारी दोस्ती के कारण ही हुआ है । अतः आशा करनी चाहिए कि चीन से भी हमारा शांतिपूर्ण ढंग से समझौता हो जायेगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस समय संसार की सब से बड़ी समस्या निःशस्त्रीकरण की है । अणुयुक्त-युद्ध को रोकने का यही एक उपाय है । इस बात का मुझे खेद है कि शिखिर सम्मेलन समाप्त हो गया । इससे लाखों लोगों की आशायें निराशा में परिवर्तित हो गयीं ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

यह प्रथम और द्वितीय महायुद्ध से भी भंयंकर बात थी । इस समय इस बात की बहुत से बड़ी आवश्यकता यह है कि शिखिर सम्मेलन तुरन्त बुलाया जाय । संयुक्त राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण आयोग के प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाना चाहिए । इस समस्या को हमें शनैः शनैः हल करना चाहिए । शांति और सन्तोष के साथ इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए । मैं मानता हूं कि निःशस्त्रीकरण की समस्या उस समय तक हल नहीं हो सकती है जब तक कि कुछ उन देशों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता जिनका प्रतिनिधित्व मिलना कि स्वीकार किया जा चुका है । आशा करनी चाहिए कि हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक हो रही है उन में इन दो महत्वपूर्ण बातों अर्थात् निःशस्त्रीकरण तथा शिखिर सम्मेलन पर विचार किया जायेगा, और हमारे प्रधान मंत्री की बात सुनी जायेगी । वह हमेशा ही शांति के पक्षपाती रहे हैं । और यह प्रसन्नता की बात है कि भारत ने अन्य देशों के साथ निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में जो संकल्प रखा था, उसे अन्ततः संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

अब मैं पाकिस्तान की ओर आता हूं । हमारे प्रधान मंत्री पांच दिन के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं । वहां के राष्ट्रपति ने हम पर उत्तरदायी न होने का आरोप लगाया है । जो तथ्यहीन है । अब हमारे प्रधान मंत्री नहरी पानी सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे । इस सम्बन्ध में मेरा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

निवेदन है कि यदि हमारे धैर्य से नहरी पानी विवाद का हल हो सकता है, तो कोई कारण नहीं कि काश्मीर की समस्या को भी इसी प्रकार हल न किया जा सके । यदि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध न करने की घोषणा कर देता है, तो यह समस्या हल हो जायेगी । पाकिस्तान के राष्ट्रपति को इस बात पर विचार करना चाहिए और हमारे प्रधान मंत्री को युद्ध न करने की घोषणा कर देने के बाद ही वापस भेजना चाहिए । भारत और पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्रियों को भी शीघ्र से शीघ्र मिल कर बाकी रहने वाली समस्याओं को हल कर लेना चाहिए ।

भारत लंका सम्बन्धों के बारे में मेरा निवेदन है कि लंका की प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायके ने इस दिशा में काफी अच्छा रवैया अपनाया है । इसलिए आशा करनी चाहिए कि श्रीलंका में जो भारतीय हैं उनकी नागरिकता का मामला शीघ्र ही तय हो जायेगा । उन्होंने तामिल भाषी दो व्यक्तियों को अपनी संसद् में मनोनीत भी किया है । इससे आशा है कि वह भारतीयों की समस्या भी हल करेंगी ।

अफ्रीका की जनता भी प्रगति कर रही है । कोई समय था कि इसे अन्धेरा द्वीप कहा जाता था । परन्तु अब तो यह भी कहा जा रहा है कि संसार का भविष्य अफ्रीका के हाथ में रहेगा । अफ्रीका के बहुत से देश स्वतन्त्र हो चुके हैं । आठ के लगभग देश इस वर्ष में ही स्वतन्त्र हो जायेंगे । बड़ी बड़ी शक्तियों का उपनिवेशवाद वहां अन्तिम सांस ले रहा है और लगभग समाप्त होने को है । मेरा मत है कि हमें अफ्रीका की जनता के प्रति विशेष उत्तरदायित्व तथा मैत्रीपूर्ण भावना रखनी चाहिए । आशा है कि हमारे प्रधान मंत्री वहां भारतीय दूतावास की स्थापना करेंगे ताकि हमारे सम्बन्ध और भी अच्छे बन सकें । मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री को कांगो जाने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है और उसे स्वीकार भी कर लिया गया है तथा हमारी सेना वहां शांति स्थापना के लिए अच्छा कार्य कर रही है । चिकित्सक भी हम ने वहां भेजे हैं ।

हमारी वैदेशिक नीति दो देशों के बीच के अन्तर को दूर करने वाली, लोगों को मिलाने वाली तथा दृढ़ एवं पक्की और दूसरे लोगों से मित्रता बढ़ाने वाली है ।

श्री रंगा (तेनालि) : आखिर अफ्रीका भी स्वतंत्र हो गया है अतः वह बधाई का पात्र है । दूसरे महायुद्ध के बाद तथा भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद भी वह कई वर्षों तक अधीन बना रहा । इस दौरान में भारत की वैदेशिक नीति ऐसी रही कि अफ्रीका को स्वतन्त्र होने के लिये बराबर प्रोत्साहन मिलता रहे । अन्ततोगत्वा अब वह स्वतन्त्र हो गया है और हमें इसकी बड़ी प्रसन्नता है ।

कांगो के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो कार्य किया है उससे भी हमें प्रसन्नता ही हुई है । कांगो के इतने जल्दी स्वतन्त्र हो जाने की हमें आशा नहीं थी । लेकिन वहां के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ से जो झगड़ा मोल ले लिया है तथा हमारे भारतीयों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उसकी हमें आशा नहीं थी लेकिन फिर भी उम्मीद है कि यह मामला भी शीघ्र ही निपट जायेगा ।

पिछले दस वर्षों में अफ्रीका का दो तिहाई भाग स्वतन्त्र हो गया है । एक ओर जहां अफ्रीका में साम्राज्यवाद समाप्त हो रहा है वहां दूसरी ओर पूर्व में एक दूसरा साम्राज्यवाद पनप रहा है । चीन भारत तथा अन्य देशों को हड़पने के लिये आगे बढ़ रहा है । १९५० से चीन तिब्बत पर अधिक से अधिक अपना नियंत्रण बनाने की फिकर में है । तिब्बत शताब्दियों से स्वतंत्र चला आ रहा है । शिमला में सन् १९१४ में जो त्रि-सम्मेलन हुआ था उसमें तिब्बत ने एक स्वतन्त्र देश के नाते समझौते

---

†मूल अंग्रेजी में

पर हस्ताक्षर किये थे अतः यह नहीं कहा जा सकता कि चीन का तिब्बत पर कोई नियंत्रण था अथवा वह उसका एक अंग था। भारत को चाहिये था कि वह तिब्बत पर चीन का नियंत्रण इस प्रकार न होने देता कि एक दिन चीन स्वयं भारत के लिये खतरनाक बन जाये। उस समय हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। चीन के रवैये से परेशान होकर तिब्बत के दलाई लामा को भाग कर भारत आना पड़ा। ऐसी स्थिति में भारत का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह तिब्बत के प्रश्न को राष्ट्र संघ में उठाये और विशेषतया जब वहां की जनता पर जो अत्याचार हुए हैं उनकी सारी जानकारी उपलब्ध है। पिछली बार जब राष्ट्र संघ में यह प्रश्न उठाया गया था तो मालूम नहीं क्यों हमारा प्रतिनिधिमंडल चुप रहा। अब लेकिन समय आ गया है जब कि हमें इस मामले में चुप नहीं रहना चाहिये इसे चीन और तिब्बत का आन्तरिक मामला कह कर नहीं छोड़ देना चाहिए। जब अलजीरिया और अफ्रीका की जनता के सम्बन्ध में हम ने एक निश्चित रुख अपना लिया है तो तिब्बत के सम्बन्ध में भी हमें ढुलमुल नीति नहीं अपनानी चाहिये। यह ठीक है कि चीन ने वहां स्कूल खोले हैं, अन्य सुविधाएं दी हैं लेकिन ऐसा तो सभी साम्राज्यवादी किया करते हैं ताकि लोग उनकी ओर प्रभावित एवं आकर्षित हो जायें। अन्तर्राष्ट्रीय विधिशास्त्रियों के प्रतिवेदन में, जिन्होंने इस समस्या का अध्ययन किया है, कहा गया है कि वहां पर नर-संहार हुआ है; धर्म को नष्ट किया जा रहा है और जनता पर अत्याचार हो रहे हैं भारत को तिब्बत के संकटकाल में उसकी सहायता करनी चाहिए।

देश की प्रादेशिक रक्षा करने की हमारी घोषित नीति असफल हो गई है।

यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ हमारे नहरी पानी विवाद समाप्त होने जा रहे हैं और हमारे प्रधान मंत्री उस समझौते पर हस्ताक्षर करने भी जा रहे हैं। एक जामाना था जबकि इसी बात को लेकर दोनों देशों में काफ़ी तनाव आ गया था और वर्षों तक यह मामला लटका रहा लेकिन अब विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के प्रयत्नस्वरूप यह मामला निपट रहा है। निश्चय ही वे इस के लिये बधाई के पात्र हैं। आशा है कि इन दोनों देशों के बीच अन्य मामले भी इसी प्रकार बातचीत के आधार पर सुलझाने का प्रयत्न किया जायेगा। पाकिस्तान समय समय पर विभिन्न प्रकार के नुक्ते छोड़ता रहता है हमें उन्हें कम करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। और इस प्रकार प्रतिरक्षा सेनाओं पर होने वाले खर्च की एक बड़ी राशि को बचाना चाहिये।

हमारे मित्र युद्ध से अलग रहने की नीति को आगामी १५ वर्ष तक और अपनाना चाहते हैं। मेरे विचार से अब ऐसा करना और संभव नहीं है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब हमें सारे विश्व को यह बता देना चाहिये कि अब हमारी नीति ढुलमुल नहीं है। किसी गुट की नीति में शामिल न होने का मतलब यह नहीं है कि शीतयुद्ध का पक्ष लिया जाय। भारत को दक्षिणी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के राष्ट्रों के साथ अधिक निकट सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये और इस प्रकार शक्ति संचित करनी चाहिये ताकि वह एक ओर पश्चिमी राष्ट्रों तथा दूसरी ओर पूर्वी राष्ट्रों का सामना कर सकें।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिये। और अपनी सेना तथा अपने देश की शक्ति को बढ़ाना चाहिये।

†श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर): जनाब चेयरमैन साहब, आज इस एवान में हम वज़ीर आजम की तहरीक पर बहस कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० मु० तारिक]

मैं इस सिलसिले में हिन्दुस्तान के वज़ीर आजम को मुबारकबाद देता हूं उस पालिसी पर जिस पर हम कारबन्द हैं, उस वक्त से जब से हम ने आजादी हासिल की है। यकीनन यह जो हमारी पालिसी है, गैरजानिबदाराना, इस ने तकबियत पहुंचाई है हमारी उस तहरीक को जो बहुत सालों से इस मुल्क में थी। हमारी यह कोशिश रही कि हम किसी गिरोह में शामिल न हों। हमारी हमेशा से यह कोशिश रही, और इस कोशिश में हम कामयाब रहे कि हम अपनी जात को, अपनी हुकूमत को किसी गिरोह या जमाअत के साथ वाबस्ता न करें।

जनाबवाला पिछले साल से जिस तरह अफ्रीका के मुल्क आजाद हो रहे हैं, और उन के साथ जो हम ने राब्ता बढ़ाया है, और उन की तहरीक के साथ जिस तरह हम ने हमदर्दी का इजहार किया है, यकीनन वहां की अवाम हमसे एक गहरा ताल्लुक पैदा कर चुके है, हम चाहते हैं कि अफ्रीका के इन मुल्कों के साथ जिन में अभी अभी आजादी आई है, हम अपने ताल्लुकात इस्तवार करें। हम चाहते हैं कि हुकूमत के अलावा भी जो अवामी ताल्लुकात हैं वे वहां पैदा किये जायें, और वह ऐसे लोगों के जरिये पैदा किये जायें जिन का माज़ी या जिन का हाल सियासी रह चुका हो, ऐसे लोगों के जरिये करें, जो वाके इस मुल्क की आजादी में कोई अहम रोल अदा कर चुके हों। हमारी हुकूमत को यह जेबा नहीं देता कि हम आजाद मुल्कों के साथ ऐसे लोगों के बलबूते पर जो इस मुल्क में, इस मुल्क की तहरीक में, किसी गैर मुल्की ताकत के हमेशा परवरदा रहे हैं और उस को मजबूत करने के लिये इस मुल्क में रहे हैं, उन से ताल्लुकात पैदा करें। जनाबवाला, मैं एक काश्मीरी की हैसियत से नहीं बल्कि एक पूरे हिन्दुस्तानी की हैसियत से अपनी वज़ीर आजम को मुबारकबाद देता हूं उस सिलसिले में जिस में कि वे पाकिस्तान जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे वजीर आजम के पाकिस्तान जाने से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। वह वहां पर नहरी पानी झगड़े को खत्म करने के लिये एक मुआहिदे पर दस्तखत करने के लिये जा रहे हैं। मुआहिदे पर दस्तखत होने से यकीनन हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से बहतर हो जायेंगे। मैं उन लोगों में से हूं जोकि यह चाहते हैं कि और जिन की कि हमेशा यह ख्वाहिश रहती है कि तमाम सहमसाया मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों और पाकिस्तान से तो और भी ज्यादा अच्छे होने चाहियें क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक हिस्सा है और हम में से ही अलग हुआ है। हमारे वहां बहुत जानने वाले हैं, अपने दोस्त हैं और बहुत से सियासी लोग भी हैं। लेकिन इस के यह मानी तो नहीं है कि हम पाकिस्तान को खुश करने के लिये या दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े सरबराहों को खुश करने के लिये या हिन्दुस्तान को चन्द सियासी जमातों को खुश करने के लिये हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा उठा कर पाकिस्तान को भेंट कर दें। नारा लगाया जाता है और इस नारे की हिमायत की जाती है कि कौमन डिफेंस हो। कौमन डिफेंस के माने क्या हैं यह मैं इस एवान में खुद जनरल अय्यूब की जबानी बयान करना चाहता हूं। कैनाल वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में जनरल अय्यूब ने यह कहा था :—

> "मैं काश्मीर और नहरी पानी विवाद को हल करने का निश्चय कर चुका हूं—आज भारत ने काश्मीर पर ८०,००० सैनिकों और बहुत सी पुलिस के बल पर कब्जा कर रखा है। यदि विश्व में न्याय के प्रति कुछ सम्मान है तो यह कब्जा ज्यादा समय तक नहीं चल सकता।"

यह हालत है उस शख्स की जो हम से मुआहिदा करना चाहता है, जो हम से दोस्ती करना चाहता है। मैं अपने दोस्तों को जोकि उस कौमन डिफेंस के नारे की हिमायत करते हैं बतलाना चाहता हूं कि कौमन डिफेंस के साथ पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर ने एक शर्त रक्खी है कि काश्मीर उस के हवाले कर दिया जाय। पाकिस्तान का फौजी डिक्टेटर चाहता है कि बगैर उसके किसी हक के काश्मीर उसको

इनाम के तौर पर दे दिया जाय। जब काश्मीर किसी एक आदमी की जागीर नहीं है, न मसानी साहब की है, न टंगा साहब की है, न नाथपाई साहब की है और न पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। काश्मीर हर हिन्दुस्तानी का है उसी तरह जिस तरह कि हिन्दुस्तान पर हर काश्मीरी का हक है। यह हमारा मुल्क है। यह हमारी सरजमीन है। यह चन्द लोगों को खुश करने के लिये किसी को भेंट नहीं की जा सकती।

मैं चाहता हूं कि बिलकुल इस तरह जिस तरह से एक आजाद कौम दूसरी आजाद कौम से दोस्ती करती है, दूसरी आजाद कौम से ताल्लुकात बढ़ा रही है, हम भी अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें। हम भी आजाद हैं और यकीनन आयन्दा भी आजाद रहेंगे। पाकिस्तान के साथ आजादाना ताल्लुकात रक्खेंगे। आजादाना खयालात का इजहार करेंगे लेकिन किसी कीमत पर नहीं करेंगे। यह हकीकत है, यह तवारीखी हकीकत है, यह फौजी हकीकत नहीं है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है और वह हमेशा से हिन्दुस्तान का एक हिस्सा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि कुछ लोग जोकि इस नारे को तकवियत दे रहे हैं वह एक गलत बात की हिमायत कर रहे हैं।

मैं मुबारकबाद देता हूं अपने वजीर आजम को। मैं तारीफ करता हूं उन के सब्र और दानिशमंदी की। अगर देखा जाय उस १४ अगस्त के बयान को जोकि पाकिस्तान के सदर ने दिया है, यकीनन उस जज्बे के साथ, उस मुहब्बत के साथ और उस अकीदत के साथ जिस के कि साथ हमारे वजीर आजम वहां जा रहे हैं, तो उन को नहीं जाना चाहिये। लेकिन यह हमारी दयानतदाराना पालिसी है, यह हमारे रहनुमा की दयानतदाराना खारिजा पालिसी है कि हम उन की चीजों को खातिर में नहीं लाते। हम जाती ईश्यूज पर एतमाद नहीं करते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहतर हों।

जनाबवाला, चीन का यहां जिक्र किया गया है। इस में कोई शक नहीं है कि चीन के साथ, चीनियों को कुछ गलती से हमारे ताल्लुकात उन से कशीदा हो गये हैं। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि बहुत सी कौमें, बहुत से लोग यह चाहते थे कि यह कशीदगी जंग की सूरत अख्त्यार कर बैठे। बहुत से लोगों को इस बात का यकीन हो चुका था बल्कि बहुत से लोग इस बात की तैयारी कर चुके थे कि जंग हो कर रहेगी। लेकिन फिर एक बार इस मुल्क के वजीर आजम की पालिसी और इस हुकूमत की पालिसी काबिलेदाद है कि हम ने जंग के हालात को सुलह और मुहब्बत के हालात में तबदील कर दिया। हम ने उस नफरत को फिर एक बार मुहब्बत में तबदील कर दिया जोकि इस मुल्क की सरहदों के अन्दर फैलाई जा रही थी। हम चीन से मुसालिहत करेंगे लेकिन किसी कीमत पर नहीं। हम यकीनन जंग भी नहीं करेंगे चीन से बगैर किसी इश्तियाल के। हम नहीं चाहते कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किया जाय। इस वक्त हम चीनियों से गुफ्तशुनीद कर रहे हैं। हमारे कुछ लोग वहां गये थे और वहां से कुछ लोग यहां आये हैं और मुझ उम्मीद है कि वजीर आजम की मौजूदा पालिसी फिर एक बार हमें मौका देगी और फिर एक बार इस मामले को मुहब्बत से तय करने में मदद देगी।

जनाबवाला, मैं इस हुकूमत को उन ताल्लुकात पर जोकि उसने नजदीकी मुल्कों मसलन् अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया और दूसरे छोटे छोटे मुल्कों से कायम किये हैं और पैदा किये हैं मुबारकबाद देता हूं। यकीनन उन की दोस्ती ने हम को तकवियत दी है उन मुल्कों के मुकाबले पर जोकि दोस्ती की बुनियाद रखते हैं हथियारों पर या दौलत पर। हमारी दोस्ती की बुनियाद खलूस और मुहब्बत पर है और हम इस रास्ते पर चल कर अपने मुस्तकबिल को रौशन बना रहे हैं।

[श्री अ० मु० तारिक]

जनाबवाला, मैं इस तरफ भी अपनी हुकूमत की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में अब यह हकीकत है और हमारे नोटिस में यह बात आई है कि वहां पर फौजी अड्डे हैं। गैर मुल्की हुकूमतों ने वहां फौजी अड्डे बनाये हैं। हमें उस की तरफ तवज्जह करनी चाहिये जबकि खुद हमारी सरहदें खतरे में हैं, जब कि खुद हम पाकिस्तान से जंग लड़ चुके हैं और पाकिस्तान हर वक्त यह कोशिश कर रहा है कि हिन्दुस्तान से जंग की जाय। हम को उन फौजी अड्डों की तरफ से बेखबर नहीं होना चाहिये और अपनी फौजों को हिन्दुस्तान की सरहदों पर और मजबूत करना चाहिये।

कुछ लोगों ने यहां तजकिरा किया है और कुछ नुक्ताचीनी की है हमारी उस पालिसी की जोकि हमारे डेलीगेशन ने तिब्बत के बारे में अकवाम मुत्तहिदा में अपनाई है। लेकिन मैं अपने उन दोस्तों को बतलाना चाहूंगा कि वह एक पालिसी है जोकि इस हुकूमत की है और इस मुल्क के हर बाशिन्दे की है जोकि तिब्बत के बारे में और चीन के बारे में हमारे डेलीगेशन ने अकवाम मुतहिदा में अख़तियार की है। मैं समझता हूं कि वह एक सही पालिसी है और उस पर हमें कारबन्द रहना चाहिये। यह कहना कि हमारे डेलीगेशन ने वहां कोई खास काम नहीं किया है और गैरजानिबदार रह कर हमारे लिये बदनामी का बायस हुआ है, मैं समझता हूं कि ऐसा खयाल करना बिलकुल गलत है। मैं अपने डेलीगेशन के रवैये की पुरजोर ताईद करता हूं। मैं तो कहूंगा कि यह बुगतान है सिर्फ उन लोगों का जोकि यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान और चीन के आपसी ताल्लुकात खराब हो जायें।

इस के अलावा मैं वजीर खारिजा की तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि पिछले चन्द सालों से हमें यह मालूम हुआ है कि वजारत खारिजा में कुछ फाइलें गायब हुई हैं, कुछ राज इधर उधर हुए हैं। हमें इस की तरफ फौरी तौर पर तवज्जह देनी चाहिए। हमें वजारत खारिजा में देखना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो कि वहां हमारे वजीर आजम के दायें बायें तो जरूर घूमते हैं लेकिन उनसे इत्तिफाक नहीं करते हैं और उनकी पालिसी पर पूरे कारबन्द नहीं हैं। सब से बड़ा खतरा हमें उन लोगों से हो सकता है जो कि वहां हैं और वहां होते हुए भी हमारे वजीर आजम की मौजूदा पालिसी पर इत्तिफाक नहीं रखते और मैं अपनी हुकूमत की तवज्जह ऐसे लोगों की तरफ दिलाना चाहता हूं इन चन्द अल्फ़ाज़ के साथ मैं वजीर आजम की खारिजा पालिसी की ताईद करता हूं।

†श्री जयपाल सिंह (रांची): पश्चिम-रक्षित-अनुसूचित आदिम जातियां): वैदेशिक-कार्य मंत्री ने अपने भाषण में हमें बताया कि वैदेशिक कार्यों पर विवाद के समय हमें सामाल विषयों पर चर्चा के समान भाषण नहीं देना चाहिए और इसीलिए प्रोत्साहित होकर मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो बहुत दिनों से यहां कहना चाहता हूं। हम शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहते हैं परन्तु क्या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के द्वारा हमने सफलता प्राप्त की हैं। तिब्बत के मामले में हमने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त को अपनाया। परिणाम सामने हैं। निशस्त्रीकरण के बारे में हम बहुत कुछ कहते हैं। परन्तु क्या एक पक्ष के द्वारा निशस्त्रीकरण करने पर निशस्त्रीकरण हो सकता है। हमें इन मूलभूत सिद्धान्तों का विचार करना चाहिए।

इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें जो करना हो वही कहना चाहिए। हम कहते हैं कि गोरे और काले वर्ण में कोई भेद नहीं होता है परन्तु वैदेशिक कार्यों के बारे में परिचालित श्वेत पत्र देखने पर पता लगता है कि उसमें हमने "काला अफ्रीका" शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात् अफ्रीका को गोरे और काले में विभाजित किया है जब कि हम दोनों में कोई अन्तर नहीं समझते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधित्व को लीजिए। इस प्रतिनिधि मंडल में श्री कृष्ण मेनन का ही बोल बाला रहता है। राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधि के रहने पर भी श्री कृष्ण मेनन ऐसे वैकल्पिक प्रतिनिधि, जन सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करते हैं जो उनकी जी हुजूरी करें। मेरा यही कहना है कि प्रतिवर्ष केवल एक आदमी को ही वहां पर भेजा नहीं जाना चाहिये तथा उसको मनमानी करने के अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए।

मैं प्रधान मंत्री से केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह अवश्य इनका उत्तर देंगे। पहला तो यह है कि चीनी आक्रमण को रोकने के बारे में अब तक तो हमने कुछ किया ही नहीं है और क्या अभी भी धैर्य करके बैठे ही रहने का विचार है। दूसरे चिटगांव पहाड़ी इलाके को भारत में मिलाने के बारे में क्या किया जा रहा है क्योंकि वहां की जनता अधिकांशतः मुसलमान नहीं है।

†महाराजकुमार विजय आनन्द (विशाखापटनम) : मैं जानता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय भारत की सुरक्षा के बारे में जो भी संभव है सभी कार्य कर रहा है परन्तु फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

हाल में ही हमने पढ़ा था कि सिक्किम तथा भूटान का एक प्रतिनिधि मंडल भारत में आया था और उसने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि उन राज्यों में चुनाव आदि कराके लोकतंत्रीय पद्धति की सरकार स्थापित की जाये। मेरा सुझाव है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि इन राज्यों में कम से कम ५ वर्ष तक चुनाव हों क्योंकि यह सीमान्त राज्य हैं। चुनाव में कभी कभी जनता के पक्षों में आपसी मनमुटाव हो जाता है और आज की स्थिति देखते हुए इन राज्यों में ऐसा होना खतरनाक होगा। नैपाल के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी ऐसे ही मैत्रीपूर्ण संबंध उसके साथ रहेंगे।

हमें अब पाकिस्तान को स्पष्टतः बता देना चाहिए कि हम काश्मीर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि वह भारत का भाग बन चुका है। अन्यथा वह इसके बारे में ग़लत प्रचार करते रहेंगे।

बहुत से सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि हमें राष्ट्र मंडल छोड़ देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ब्रिटेन हमारा सबसे मित्र है और राष्ट्र मंडल में रहने से हमारा ही लाभ है। यदि हम राष्ट्र मंडल में नहीं होते तो पाकिस्तान में हमारे विरुद्ध और ज्यादा प्रचार हुआ होता।

चीन के बारे में मेरा यह विचार है कि वहां के निवासी बहुत खतरनाक होते हैं। और उनके साथ बातचीत के द्वारा कोई समस्या हल नहीं की जा सकती है। मेरा सुझाव है कि उनके आक्रमण को हमें सनिक कार्यवाही के द्वारा ही रोकना चाहिए।

मेरा यही कहना है कि सभी बातों के होते हुए भी हमें अपने नेताओं का आभारी होना चाहिए जिन्होंने इतनी योग्यता से देश की नींव दृढ़ करने की कोशिश की है।

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : आज सवेरे जब हमें समाचार मिला कि कांगो में हमारे देश-वासियों को स्वीकार कर लिया गया है तो सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़े ज़ोरदार शब्दों में अन-अन्तर्ग्रस्तता[1] की नीति की बड़ाई की और इस स्वीकृति को हमारी वैदेशिक नीति की सफलता बताई। परन्तु मैं उनका ध्यान एक और पहलू अर्थात् चीन के आक्रमण की ओर दिलाता हूं। हमारी

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Non-involvement.

[श्री महन्ती]

अन्त-अन्तर्ग्रस्तता की नीति के कारण ही आज चीन हमारा १२,००० वर्ग गज़ क्षेत्र पांच वर्ष से दबाये हुए है और मैं समझता हूं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि चीन द्वारा दबाए हुए इस भू-खण्ड को उनके चंगुल से किस प्रकार छुड़ाया जाये। ऐसा करने में यदि हमें अन्तर्ग्रस्तता की नीति भी अपनानी पड़ती है तो मेरे विचार से अस्थाई रूप में उस नीति को अपनाने में कोई हानि नहीं है।

मैं बताना चाहता हूं कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि आज चीन केवल दक्षिण पूर्व एशिया में ही नहीं अपितु पश्चिम एशिया, अफ्रीका और पूर्वी योरोप में अपना सिक्का जमाना चाहता है । ऐसा तभी संभव हो सकता है जब वह भारत के साथ कठोरता का बर्ताव करे जिससे छोटे छोटे देश भयभीत हो जायें।

आप देख ही रहे हैं कि इस देश ने नैपाल के साथ की गई मैत्री सन्धि का उल्लंघन किया। इंडोनेशिया के साथ झगड़ा मोल लिया! इसलिए अब हमें इस देश के साथ पंचशील के सिद्धान्तों के अनुसार बर्ताव करना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि बर्मा के साथ वह १९५५ से १९६० तक केवल ५६ वर्ग गज़ भू-खण्ड के लिए लड़ता रहा है जब कि हमारा हज़ारों वर्ग गज़ भू-खण्ड वह दबाए हुए है।

गत अप्रैल में जब दोनों प्रधान मंत्रियों की बात चीत हुई थी उस समय यह तय हुआ था कि दोनों देशों के अधिकारी वर्ग के दल सीमाओं के संबंध में बात चीत करेंगे। इन बातों का एक दौर समाप्त हो चुका है तथा दूसरे दौर के लिए चीनी अधिकारी भारत आये हुए हैं। मैं अपने प्रधान मंत्री की ग़लती समझता हूं कि उन्होंने अधिकारियों द्वारा इस प्रश्न पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि जो बात अर्थात् भारत की सीमा के विवाद हैं उनको विवाद का विषय बनाया।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि एक आधिकारी ने हमें बताया कि चीन-भारत की सीमा का मामला भारत-पाकिस्तान सीमा के मामले के समान है। कितनी भ्रांति उनके विचारों में है। भारत-पाकिस्तान तथा भारत-चीन सीमाओं की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ऐसी बात कह कर तो हम इस समस्या के महत्व को ही कम कर देना चाहते हैं। ऐसी बातें नहीं कहीं जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री ने हाल में ही घोषणा की थी कि चीनी आक्रमण होने पर हम उन्हें सफलतापूर्वक पीछे हटाने के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं जब कि उन्हें बताना चाहिए था। स्वेज़ की समस्या के समय उस समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री ईडन ने उससे सम्बन्धित सभी बातें हाउस आफ कामन्स को बता दी थी। इसलिए प्रधान मंत्री को भी सुरक्षा कार्यवाहियों को सभा में बताना चाहिए था।

संभव है कार्यवाहियों से उनका मतलब सीमा पर बनाई जाने वाली सड़कों की ओर हो परन्तु सड़कें बनाने के लिए केवल १५ करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो बहुत थोड़ी रक़म है। इसके अतिरिक्त इन सड़कों के बनाने के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र भी ्री तरह से हैं अथवा नहीं।

मैं इसका स्वागत करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं। यह तो ठीक है कि हम विभाजन के दंगों को भूल नहीं सकते परन्तु पुराने इतिहास और भौगोलिक स्थिति को भी नहीं भुलाया जा सकता है। इसलिए यह सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुछ समझौता होने जा रहा है। मैं प्रधान मंत्री के लिए सफलता की कामना करता हूं।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस श्वेत पत्र के जारी होने के बाद अफ्रीका के एक दर्जन से अधिक राज्य स्वतंत्र हो गये हैं और उपनिवेशवाद समाप्त हो रहा है। ये जो देश अपने यहां की जनता को दबाना चाहते हैं और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के अधिकार नहीं देना चाहते हैं उनको अफ्रीका में फैल रही इस भावना से सावधान हो जाना चाहिए।

†श्री दिनेश सिंह (बांदा) : गत बार जब हम ने इस सदन में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की थी, उससे अब समय काफी बदल चुका है। संसार में तब से लेकर अब तक काफी उतराव चढाव आये हैं। शिखिर सम्मेलन असफल हुआ, अफ्रीका के और कई देश स्वतन्त्र हुए और संसार युद्ध की दिशा में और आगे अग्रसर हुआ। दस वर्ष पूर्व अफ्रीका के केवल चार देश स्वतन्त्र थे, परन्तु अब २० देश स्वतन्त्र हो चुके हैं। केवल चार देश एसे हैं जो कि अभी विदेशी पंजों में हैं। संसार की समस्याओं पर इन घटनाओं का भारी प्रभाव हो रहा है। सभी देश स्वतन्त्र देशों की पंक्ति में खड़े होने के लिये लालायित हो उठे हैं। आज सभी देशों में तटस्थ रहने की नीति की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, परन्तु इस सदन में कुछ एसे महानुभाव अवश्य हैं जिन्हें इस नीति की सफलता में सन्देह है। विकट विरोधी परिस्थितियों में भारत अपनी इस नीति पर अटल रहा है। अब तो उसे सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है, अब भी यदि कुछ लोग इसका उपहास करें तो यह बड़ी भारी विडम्बना है।

कांगों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है। संसार का जनमत उसके साथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी सहायता कर रहा है। भारत सरकार की इस बारे में नीति भी ठीक है। उसकी आलोचना किया जाना उचित दिखाई नहीं देता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें उनकी सहायता करने को कहा है। हम ने उनकी सहायता के लिए वहां कुछ सेना भेज दी है। ऐसा करने में क्या बुराई है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। हम ने उनकी आन्तरिक नीति में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। और न हम किसी राष्ट्र के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। हमारा काम तो संयुक्त राष्ट्र के कार्य को ठीक ढंग से करना है।

अल्जीरिया के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। वहां की स्थिति भी बड़ी शोचनीय है और हमें वहां के लोगों की कुछ सहायता करने के बारे में विचार करना चाहिए। शायद हम उनकी अधिक सहायता न कर सके, परन्तु उनके लिए फ्रांस सरकार पर कुछ न कुछ दबाव तो हम डाल ही सकते हैं। जिस प्रकार कि हम ने इंडोनेशिया की स्वतन्त्रता के लिए किया है। अल्जीरिया के लोगों की सहायता करने का यही समुचित अवसर है।

गोआ के सम्बन्ध में हमारी कमज़ोर नीति की सर्वत्र चर्चा है। हम अपने शरीर के इस फोड़े को दूर नहीं कर सके। यह ठीक है कि हम कड़ी कार्यवाही न कर सकें परन्तु इस दिशा में कुछ एसे पग तो उठाये जाने चाहिए जिससे लोगों का नैतिक स्तर तो न गिरने पाये। तस्कर व्यापार को रोकना और सड़कें निर्माण करने के महत्वपूर्ण कार्यों को तो करना ही चाहिए। आशा है कि इन सब बातों पर विचार किया जायगा।

चीन के सम्बन्ध में हमारी नीति को कमज़ोर कहा जा रहा है। परन्तु हमें यह सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र में परिवहन तथा संचार साधनों का कितना अभाव है, अतः हम इस मामले में तुरन्त कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर सकते। परन्तु मेरा निवेदन है कि इस दिशा में जो कुछ सम्भव हो सकता है वह किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दिनेश सिंह]

श्री रंगा ने तिब्बत का प्रश्न प्रस्तुत किया है, उन्होंने कहा है कि तिब्बत भारत और चीन के बीच एक अन्तस्थ राज्य के रूप में रहना चाहिए। यह बात गलत है कि ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी और हम ने उसे चीन के हवाले कर दिया है। अतः उसे अन्तस्थ राज्य मानना सम्भव नहीं।

हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो कुछ तिब्बत में हुआ है वह बहुत ही दुःखदायी है। परन्तु हम ने तिब्बत के मामले में आत्मसमर्पण किया है यह बात बिलकुल गलत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बावजूद काफी मतभेदों के हम वैदेशिक नीति के बारे में बहुत सीमा तक एक मत हैं।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : सभापति जी, कम्यूनिस्ट पार्टी के डिप्टी लीडर, प्रोफ़ेसर हीरेन मुकर्जी ने, जिन को मैं बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूं . . . .

कुछ माननीय सदस्य : कब से ?

श्री वाजपेयी : उन की विद्वता के लिये, विचारों के लिये नहीं। उन्होंने अपने भाषण में हमारे प्रधान मंत्री जी को एक चुनौती दी है। मुझे विश्वास है कि उस का उत्तर दिया जायगा। केन्द्रीय सरकार के पास राज्य की सरकारों से और पहाड़ी जिलों से जरूर ऐसी खबरें आई होंगी, जिन से यह साबित किया जा सके कि कम्यूनिस्ट पार्टी उन जिलों में चीन के आक्रमण के सवाल पर ग़लत ढंग का प्रचार कर रही है। मैं अपने कम्यूनिस्ट दोस्तों का ध्यान इस सप्ताह के बम्बई के **ब्लिट्ज** की ओर दिलाना चाहता हूं। **ब्लिट्ज** पर कोई यह आरोप नहीं लगा सकता कि वह कम्यूनिस्ट विरोधी है। अगर उस पर कोई आरोप लगता है, तो वह यही है कि वह कम्यूनिस्टों की तरफ़ काफ़ी झुका हुआ है। लेकिन इस सप्ताह के ब्लिट्ज ने लिखा है :—

> "कि अपर गढवाल में दो गांव हैं '**वैनग्री**' और '**थैनयी**'। इनके बारे में कम्यूनिस्ट यह प्रचार करते फिरते हैं कि यह क्षेत्र चीन का है, क्योंकि इन गांवों के नाम चीनी नाम जैसे ही हैं। अन्य जिलों में स्थानीय कम्यूनिस्ट यह भी प्रचार कर रहे हैं कि भारत सरकार चीन के हमले का झूठा प्रचार करके लोगों का ध्यान देश की वास्तविक समस्याओं यानी बेकारी, कीमतों की वृद्धि आदि की ओर से हटाना चाहती है।

मेरा निवेदन है कि अगर यह खबर ग़लत है, तो कम्यूनिस्ट पार्टी के हमारे माननीय सदस्यों को इस अखबार पर मुकदमा चलाना चाहिये और उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर करना चाहिये। लेकिन इस तरह की खबरें और भी मिली हैं। मैं पिछले साल जब अलमोड़ा गया था, तो वहां के लोगों ने मुझे बताया कि कम्यूनिस्ट पार्टी से सम्बन्धित एक सांस्कृतिक संगठन है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में नाटक या अभिनय के द्वारा लोगों को आकृष्ट करता है और उस मण्डली ने वहां एक ऐसा नाटक किया, जिस में चीनी सेना को लिबरेशन आर्मी के रूप में भारत में आते हुए दिखाया गया था। मैं चाहूंगा कि कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता इन आरोपों का ठीक तरह से उत्तर दें। सवाल यहां **न्यू एज** का नहीं है, जिस का उल्लेख प्रधान मंत्री जी ने किया है। लखनऊ से **न्यू एज** का एक हिन्दी संस्करण निकलता है, जिस का नाम **जनयुग** है। उस पत्र ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक विज्ञापन को छापा था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब ये चीन की आक्रामक गतिविधियां

बढने लगीं तो प्रदेश के सभी हिन्दी अखबारों को एक विज्ञापन दिया । मैं उस विज्ञापन को आप को पढ कर सुनाता हूं :—

"उत्तर प्रदेश के निवासियों पर देश की उत्तरी सीमा की रक्षा का भार विशेष रूप से है । चीन की आक्रामक कार्रवाइयों का सामना हम पारस्परिक सहयोग और संगठित प्रयत्न से ही कर सकते हैं । प्रदेश की सरकार पूरे राज्य और विशेषतया सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक योजनायें चला रही है । इन योजनाओं को सफल बना कर आप स्वदेश प्रेम का परिचय देंगे और राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने में सहायक बनेंगे ।"

यह विज्ञापन सभी हिन्दी पत्रों में छपा और जो कम्यूनिस्ट पार्टी का हिन्दी का जनयुग है, उसने भी इस विज्ञापन को छापा । मगर थोड़े दिन के बाद जनयुग के सम्पादक ने अपने अखबार में एक माफीनामा छापा । माफीनामा इस प्रकार था कि हम ने यह जो विज्ञापन छापा है यह हमने बड़ी गलती की, हम ने बड़ा पाप किया और हमको चीन को आक्रामक नहीं कहना चाहिये और हम ने अपने पाठकों की भावनाओं को दुःख पहुंचाया है, हम ऐसा पाप फिर कभी नहीं करेंगे । हम को इस बार माफ किया जाये ।

फिर आखिर में उन्होने क्षमा मांगी और कहा कि हम ने जो छापा, गलती की । जब उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन में चीन की आक्रामक कार्रवाई का उल्लेख था और कम्यूनिस्ट पार्टी खुलेआम आज तक यह कह रही है कि चीन आक्रमणकारी नहीं है तो जो सरकारी विज्ञापन छापा, उस के लिए माफी मांगने की क्या जरूरत थी ? क्या यह बात यह नहीं बतलाती कि कम्यूनिस्ट पार्टी इस विवाद में देश के साथ नहीं है, राष्ट्र के साथ नहीं है ? उसके अन्दर मतभेद हो सकते हैं, मैं उसको समझ सकता हूं । लेकिन एक बार जब इस संसद ने और केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया कि चीन ने आक्रमण किया है तो मैं नहीं समझता कि देश में जो भी पार्टियां हैं या ग्रुप हैं उन्हें इस बात की छूट दी जा सकती है कि वे इसके ऊपर विवाद करें कि आक्रमण किया है या नहीं किया है । आक्रमण किया है या नहीं इसका फैसला सरकार करेगी और अगर एक बार यह फैसला हो गया कि आक्रमण किया है तो देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उसी के अनुसार चले । मगर कम्यूनिस्ट पार्टी, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, इस सवाल पर देशभक्ति का परिचय नहीं दे रही है और जब कभी हमारे प्रधान मंत्री कभी कभी—कभी कभी जो उनको खटकता है और जो सारे देश को खटकता है—उसका प्रकटीकरण करते हैं तो कम्यूनिस्ट नेता चुनौती देते हैं । चुनौती देते हैं कि आप साबित करिये । मैं उन से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि अगर चीन ने आक्रमण नहीं किया है तो क्या चीनी फौजें हिन्दुस्तान में गुड-विल मिशन के ऊपर आई हैं ? क्या १२,००० वर्ग मील भूमि भारत की भूमि नहीं है, जिस पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है ? इस सवाल पर अगर भावनाओं की दृष्टि से देश में बटवारा होता है, अगर जनता बांटी जाती है, तो यह देश अपनी स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है । कम्यूनिस्ट पार्टी को अपनी नीति बदलना चाहिये । आर्थिक सवालों पर उनका कोई भी मत हो सकता है और मार्क्स के घिसे पिटे हुए जीवन दर्शन के साथ वह चिपकी रहे, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है । मगर जब देश की स्वतंत्रता, देश की सुरक्षा में से चुनाव करना होगा, तो जो भारत के साथ खड़ा नहीं रहेगा, वह भारत में कैसे काम कर सकता है, इसका मुझे उत्तर चाहिये । मगर कम्यूनिस्ट पार्टी अपनी गलती मानने के बजाय चुनौती देती है और चुनौती देती है, आक्रामक को नहीं, बल्कि आक्रामक के पक्ष में चुनौती देती है । मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब कम्यूनिस्ट पार्टी को साफ शब्दों में कहा जाये कि वह अपनी नीति बदले और अगर उसने अपनी नीति नहीं बदली तो हम सीमावर्ती इलाकों में उसके कार्यकर्ताओं को नहीं जाने देंगे ।

[श्री वाजपेयी]

वहां पर गरीबी है, भुखमरी है। एक हजार वर्ष की परतंत्रता के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। हमारी सरकार ने भी इन पहाड़ी जिलों की तरफ जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था नहीं दिया है। अब वहां पर जा कर कोई कहे, आप गरीब हैं और हिमालय के उस पार चीन के साम्राज्य में दूध की नदियां बहती हैं तो मैं नहीं समझता कि यह कोई देशभक्ति का काम है। मगर यह किया जा रहा है और सरकार को इस के बारे में सावधान रहना चाहिये।

मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं कि इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असैम्बली की जो बैठक हो रही है, उसमें हमारी सरकार चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान दिलाने के लिए पहल नहीं करेगी। अभी तक ऐसा होता था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई भी बैठक हो, अगर हमारा प्रतिनिधिमंडल स्वर निकालता था तो वह यही स्वर निकालता था कि चीन को वहां स्थान मिले। हम समझते हैं कि चीन को स्थान मिलना चाहिये लेकिन हमारा और चीन का जो विवाद है उस दृष्टि से अगर चीन को स्थान दिलाने के लिए हम पहल न करें तो चीन के प्रति हमारा जो गुस्सा है वह थोड़ा सा प्रकट होता है और मैं समझता हूं कि यह ठीक कदम है।

लेकिन एक बात जो हमारी समझ में नहीं आती है, यह है कि अधिकारियों के स्तर पर जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत को कान्फिडेंशल क्यों रखा जा रहा है? श्री रंगा ने जो सवाल उठाया था उसका प्रधान मंत्री जी ने उत्तर दिया लेकिन उससे इस शंका का निवारण नहीं होता कि हम ने सारी सीमा को विवाद का विषय बना नहीं लिया है। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं कि जैसे बाराहोती के बारे में हमारा झगड़ा है तो फिर उत्तर प्रदेश की हमारी जितनी सीमा तिब्बत से लगती है उस सारी सीमा की जांच पड़ताल की जाये, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है . . . .

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप की बात बिल्कुल सही हैं, मैं स्वीकार करता हूं।

श्री वाजपेयी : मुझे खुशी है कि सारी सीमा की जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। मगर अभी तक एक ऐसी धारणा बनी थी और उसका निराकरण हो जाना चाहिये। इसका कारण यह है कि सारी सीमा को हम विवाद का विषय बनायेंगे तो यह हमारे लिये ठीक नहीं होगा। लेकिन असली समस्या यह है कि इन अधिकारियों को सितम्बर में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जाहिर है कि ये अधिकारी कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, इन्हें खाली रिपोर्ट करनी है। मैं जानना चाहता हूं अगर इन्होंने रिपोर्ट ऐसी कर दी कि हम कोई समझौता नहीं कर सके हैं, तब क्या होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : समझौते का सवाल ही नहीं है।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है अगर वे समझें कि वी हैव फेल्ड टु एग्री आन डाटा तब क्या होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि वे क्या कहेंगे। लेकिन उन से कहा गया है कि वे बतायें कैसे कागज हैं, कैसे डाकूमेंट्स हैं, इस के इधर से या उधर से। उस सब को वे सामने रखेंगे और जांच कर के बतायेंगे कि यह ठीक है या नहीं है। ठीक से मतलब यह है कि कागज गौर-तलब है, या नहीं है। इस किस्म की बात वे कहेंगे। वे थोड़े ही फैसला कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि व कोई समझौता नहीं कर सकते हैं चाहे जो भी उन के दिमाग में बात हो।

श्री वाजपेयी : वे समझौता नहीं कर सकते हैं, यह ठीक है । लेकिन अगर कागज-पत्रों और दस्तावेज़ों के बारे में भी मतभेद रहता है तो यह बातचीत किस लेवेल पर फिर से शुरू की जायगी ? अगर अधिकारी आपस में एक मत नहीं हो सकते, अगर उन के दस्तावेज, उन के कागज़पत्र बिल्कुल उलटी सीमाओं की रेखाओं को पुष्ट करते हैं तो फिर यह बातचीत हम कहां शुरू करेंगे और क्या इस का नतीजा यह नहीं होगा कि चीनी आक्रमण की समस्या लम्बी पड़ती चली जायगी और हम आक्रमण को भूल जायेंगे और सीमा सम्बन्धी कुछ छुटपुट विवादों को चर्चा का विषय बना कर उस में फंसे रहेंगे ? अब सभी यह बात मानते हैं कि भारत की भूमि को चीन ने अपने कब्ज़े में कर लिया है और उस पर वह अपना आक्रमण मज़बूत कर रहा है । सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि उस अधिकृत प्रदेश में सड़कें बनाई जा रही हैं, तिब्बत में मिलिटरी बिल्ड-अप हो रहा है । ऐसी सूरत में अगर यह समस्या बातचीत से हल नहीं हुई तो क्या हम ऐसी स्थिति के लिये अपने को तैयार कर रहे हैं कि भारत की भूमि जो चीन के जबरदस्ती कब्जे में है, उस को फिर से वापिस ला सकें ?

प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में अल्जीरिया का उल्लेख किया है । स्वाभाविक है जब एशिया के नये नये देश स्वाधीनता के प्रभात में प्रवेश कर रहे हैं और उन के जीवन के नये अध्याय का श्रीगणेश हो रहा है, हमारा ध्यान अल्जीरिया की तरफ जाय । लेकिन अल्जीरिया की तरफ हम अपना ध्यान ले जायें और हमारे पड़ोस में तिब्बत में ही मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहे, तिब्बत में नर संहार के तथा दूसरी तरह के गम्भीर आरोप लगाये जाते रहें और हमारी सरकार तिब्बत के सम्बन्ध में चुप्प रहने की नीति अपनाये और जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रश्न उठता हो तो इस प्रश्न पर विचार किया जाय यह तक कहने के लिये तैयार न हो तो फिर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बारे में हमारी जो घोषणायें हैं, वे कुछ अपना अर्थ खो देती हैं । एक ओर तो पश्चिमी साम्राज्यवाद पीछे जा रहा है, गुलाम देश स्वाधीन हो रहे हैं और इधर हमारे पड़ोस में एक नया साम्राज्यवाद सिर उठा रहा है । यह साम्राज्यवाद पहले साम्राज्यवाद से अधिक घातक है, क्योंकि यह स्वतंत्रता के आवरण में आता है । यह मनुष्य की मुक्ति का नारा लगाता है, यह पराधीनता के साथ एक आर्थिक दर्शन को ले कर चलता है । तो जहां हम पश्चिमी साम्राज्यवाद के विनाश के ऊपर प्रसन्न हैं और एशिया अफ्रीका के नये स्वाधीन होने वाले देशों का स्वागत करते हैं वहां तिब्बत की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिये । थाइलैंड और मलाया ने तिब्बत के सवाल को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने का फैसला किया है । होना तो यह चाहिये था कि भारत स्वयं उठाता पर अगर हम स्वयं उठा नहीं सकते तो कम से कम हमें उन का समर्थन तो करना चाहिये ।

जहां तक मानवाधिकारों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता, और चीन भी बंधा हुआ है मानवाधिकारों का पालन कराने के समझौते से । चीन ने बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया था और बांडुंग सम्मेलन में जेनेवा कन्वेंशन को स्वीकार किया गया था कि हम प्रत्येक देश में मानव अधिकारों का संरक्षण करेंगे और आज चीन में ही मानवाधिकारों को पैरों तले रौंदा जा रहा है । अगर उन का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठता है तो भारत सरकार को उस में पूरा भाग लेना चाहिये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

और उस में अपने नैतिक दायित्व को पूण करना चाहिये । अब कहा जा सकता है कि अगर तिब्बत का सवाल वहां उठाया गया तो तिब्बतियों का फायदा नहीं होगा । मैं समझता हूं कि तर्क करने की यह पद्धति गलत है । तिब्बतियों का फायदा किस में होगा, इस का फैसला तिब्बत अधिक कर सकता है, और तिब्बत का फायदा किस में होगा यह फैसला हम करने लगें तो हम में और चीन में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि चीन भी यह कहता है कि तिब्बत का फायदा इसी में रहेगा कि वह चीन के

[श्री वाजपेयी]

पेट में बैठा रहे । आवश्यकता इस बात की है कि तिब्बत का फायदा किस में होगा इस का फैसला तिब्बत वाले करें । और अगर वे चाहते हैं कि उन का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाय तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इस नैतिक दायित्व से बचना नहीं चाहिये ।

हमारे प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान जा रहे हैं । मैं उन के पाकिस्तान जाने के विरुद्ध नहीं हूं । लेकिन मैं यह चाहता था कि यह जो कैनाल वाटर ट्रिटी हो रही है, उस के बारे में इस सदन को कुछ थोड़ा और बताया जाता । अभी तक हमें जैसे अन्धेरे में रक्खा गया है, पर्दे के पीछे समझौते हो रहे हैं और आज प्रधान मंत्री ने भी इतना कहा कि शायद १० साल का इंटेरिम पीरियड होगा, उस में हमें पाकिस्तान को कितना रुपया देना पड़ेगा या हम पाकिस्तान को पानी कब तक देते रहेंगे, राजस्थान का रेगिस्तान कब तक प्यासा रहेगा, पानी के लिये पाकिस्तान से हमें जो रुपया मिलना है वह मिलेगा या नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा । मैं समझता हूं कि कोई भी ट्रिटी हो तो इस सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिये और पाकिस्तान से किन शर्तों पर समझौता किया जा रहा है, इस का हमें पता लगना चाहिये ।

यह भी कहा जाता है कि कश्मीर के ऊपर भी बातचीत होगी । मैं नहीं जानता कि कश्मीर के ऊपर क्या बातचीत होगी क्योंकि अगर कश्मीर के ऊपर कोई बात हो सकती है तो यही हो सकती है कि जो हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे पाकिस्तान कब खाली करके जा रहा है । कश्मीर की समस्या पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न समस्या है, और कश्मीर की कोई समस्या नहीं है । मैं उन सदस्यों से मतभेद रखता हूं जो कहते हैं कि चीन का हमला तो हमला है मगर पाकिस्तान का हमला हमला नहीं है । हमला हमला है, चाहे हमला करने वाला चीन हो या हमला करने वाला पाकिस्तान हो । और अगर पाकिस्तान से हमारी मित्रता है, वह होनी चाहिये, तो उस का आधार आक्रमण नहीं है, जब तक कश्मीर के एक तिहाई हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है तब तक तो मित्रता नहीं हो सकती । और अगर मित्रता नहीं हो सकती तो ज्वायेंट डिफेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता । हां मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं कि पाकिस्तान हमारे साथ नो वार डिक्लेरेशन करे । यह सुझाव हमारे प्रधान मंत्री जी ने पहले भी दिया था । यह सुझाव आज भी कायम है । भारत और पाकिस्तान इस बात की घोषणा करें कि सभी सवाल वे शांति से हल करेंगे, कश्मीर के सवाल पर भी लड़ाई नहीं करेंगे । अगर बातचीत से कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वह हमें मिल जाय तो मैं इस बातचीत का स्वागत करूंगा । लेकिन जो ज्वायेंट डिफेंस की चर्चा करते हैं उन से मैं एक बात कहना चाहता हूं । वे कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से हमारा ज्वायंट डिफेंस हो गया तो पाकिस्तान कश्मीर मोर्चे पर जो हमारी सेनायें लगी हैं वह खाली हो जायेंगी, और अगर वह खाली हो जायेंगी तो हम उन्हें चीन के मोर्चे पर लगा देंगे । मेरा निवेदन है कि जब तक सरकार की नीति यह है कि सेना को काम में नहीं लाना है तब तक चीन के खिलाफ सेनायें कितनी भी हो जायें, उन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और ज्वायेंट डिफेन्स से स्थिति नहीं बदलेगी । पहले सरकार की नीति बदलनी चाहिये कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम सेना का भी उपयोग करेंगे । लेकिन सरकार सेना का गोआ में उपयोग नहीं करती । अगर पाकिस्तान से कोई ज्वायेंट डिफेंस हो भी गया तब भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वह सम्भव नहीं है जब तक पाकिस्तान की विदेश नीति अलग है और हमारी विदेश नीति अलग है । हम झगड़ों में नहीं फंसना चाहते—और मैं समझता हूं कि यह नीति ठीक है और देश को इस नीति पर दृढ़ता से चलते रहना चाहिये । लेकिन इस नीति को बदलने की बात तभी होती है जब कुछ लोगों को यह लगता है कि आज की स्थिति में हम अपने देश की नहीं रक्षा कर सकते । जब अमरीका से पाकिस्तान ने गठबन्धन किया था तब भी यह आवाज उठी थी कि हमें सोवियट ग्रुप में मिल जाना चाहिये और आज जब चीन ने हमारी सीमा

का अतिक्रमण किया है तब भी यह आवाज उठ रही है कि हमें पाकिस्तान से मिल जाना चाहिये । मैं नहीं समझता कि यह कोई दृढ़ता की निशानी है । मगर इस से इस बात का पता जरूर लगता है कि अगर सरकार अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर सकती तो देश के जनमत को दोनों गुटों से अलग रहने की नीति पर कायम रखना मुश्किल होगा । धीरे धीरे यह आवाज उठेगी कि देश की रक्षा पहले है और उस की रक्षा के लिये हमें किसी गुट में मिल जाना चाहिये । प्रोफेसर रंगा और श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जैसे मनीषी अगर हमें दोनों गुटों से अलग रहने की नीति को छोड़ने की सलाह दे रहे हैं तो शायद उन के सामने चीनी आक्रमण का खतरा है। लेकिन चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये हम पाकिस्तान की सेनायें अपने देश में बुला लें, मैं इस का हिमायती नहीं हूं। प्रेजिडेंट अय्यूब कहते हैं कि भारत को हमारी जरूरत है, मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को भी हमारी जरूरत है क्योंकि अफगानिस्तान में जो घटनायें हो रही हैं वे पाकिस्तान के लिये भी खतरा है, और इस समय वातावरण है समझौते का । अगर समझौते में चीन के खिलाफ हमें डटना चाहिये तो पाकिस्तान के खिलाफ भी डटना चाहिये । बातचीत से अगर आक्रमण की समस्या हल हो जाय तो उस का स्वागत किया जायेगा । मगर किसी के आक्रमण का खतरा दिखला कर हम अपने देश की दोनों गुटों से अलग रहने की विदेश नीति को बदल दें, अपनी राष्ट्रीयता पर आघात करें, मैं इस से सहमत नहीं हूं । मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधान मंत्री जी की पाकिस्तान यात्रा सफल होगी, इस अर्थ में कि कश्मीर का जो एक तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वह हमें मिल जायेगा और सीमा पर जो तोड़ फोड़ की घटनायें हो रही हैं वह घटनायें बन्द हो जायेंगी । एक ओर तो पाकिस्तान मित्रता चाहता है, दूसरी ओर युद्ध विराम रेखा पर तोड़ फोड़ करता है । तोड़ फोड़ की क्या जरूरत है ? अब वे कहते हैं कि हमें जनमत संग्रह नहीं चाहते । तो क्या वे चाहते हैं कि आक्रमण हो सीमा पर ? अगर हम एक आक्रमण के सामने झुक जायें तो दूसरे आक्रमण का मुकाबला करने का हम में नैतिक साहस नहीं रहेगा । इसलिये दोनों आक्रमण अलग अलग हैं क्योंकि दोनों झंडे अलग अलग हैं, इस में हमारा विश्वास नहीं है ; और मेरा यह निवेदन है कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिये ।

†श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : अफ्रीकी-एशियाई देशों को ब्रिटेन को यह चेतावनी देनी चाहिये कि वह जोर्डन में हस्तक्षेप न करें । ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि यदि वहां ब्रिटिश सेनायें रहीं तो जोर्डन राष्ट्र मंडल में सम्मिलित नहीं रहेगा । अगर वहां ब्रिटिश सेनायें रहीं तो एशिया-अफ्रीकी राज्यों की स्थिति गड़बड़ हो जायेगी । । जोर्डन के सम्बन्ध में भारत तथा रूस को समान नीति निर्धारित करनी चाहिये । ब्रिटेन को यह स्पष्ट बता दिया जाना चाहिये कि यदि उस ने जोर्डन में अपना हस्तक्षेप बन्द न किया तो हम राष्ट्रमंडल छोड़ देंगे । मेरा सुझाव है कि किसी गुट बन्दी में विश्वास न रखने वाले देशों को एक सम्मेलन बुला कर यह प्रयत्न करना चाहिये कि प्रतिरक्षा और वैदेशिक कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया जाये । भारत को इस कार्य में आगे बढ़ कर काम शुरू करना चाहिये । संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्व सरकार का रूप देने की दिशा में पहले कदम के रूप में इन देशों की सरकारों को अपने वैदेशिक कार्य और प्रतिरक्षा विभाग संयुक्त राष्ट्र संघ के सुपुर्द कर देने चाहियें । यही एक साधन है अन्यथा सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न देशों का निःशस्त्रीकरण करना सम्भव नहीं है । सैनिक तानाशाही एवं वामपक्षी सत्ता को रोकने का यही एक ढंग है । लगभग सभी देशों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं ।

अफ्रीका में क्रान्तिकारी हलचल हो रही है । क्यूबा में भारी उथल पुथल हो रही है । इन परिवर्तनों से अमरीका की शक्ति कमजोर होगी । यदि इंग्लैंड, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी एक हो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

गये तो रूस और अमरीका दोनों की शक्ति पर इस का प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त तीनी राष्ट्रों के राजनीतिक विलय की गोपनीय ढंग से बातचीत चल रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद दो भागों में बट गया है एक तो चीनी साम्यवाद और दूसरा रूसी साम्यवाद। रूमानिया में अभी हाल में साम्यवादियों का सम्मेलन हुआ था जिस में इन दोनों वादों को दूर करने का प्रयत्न किया गया था। चीन से रूसी तथा रूस से चीनियों का निकलना इस बात का द्योतक है कि दोनों की विचारधाराओं में अन्तर है। युद्ध की कोई सम्भावना नही, क्योंकि इस से संसार में भारी तबाही आ जायेगी। चीन और रूस की सन्धि की भी कोई सम्भावना नहीं। अब तो चीन और रूस के हित परस्पर विरोधी हो रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद भी दो भागों में बट चुका है। एक रूस का साम्यवाद है और एक चीन का। यदि रूस और चीन एक दूसरे के निकट आये तो अमरीका रूस से समझौता करेगा जिस में रूस को लाभ रहेगा। चीन और अमेरिका में समझौता नहीं होगा। यदि होगा तो इस का परिणाम यह होगा कि रूस और अमरीका का ऐसा समझौता हो जायेगा जिस में अमरीका को लाभ होगा।

चीनियों के संकट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। रूस और चीन के बीच जो मतभेद हो गया है उसके विचार से सम्भव है कि यदि चीन ने और आगे आक्रमण किया तो रूस उस का विरोध करे। चीन भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। वैसे अपनी प्रतिरक्षा को सुधारने के लिये जो कुछ सम्भव है वह हम कर ही रहे हैं।

†श्री जगन्नाथ राव (कोरापट) : अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं का हमारे देश पर भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही है। देश की स्वतन्त्रता के आरम्भ से ही हमारे प्रधान मन्त्री जी ने जो किसी से गठजोड़ न करने की भारत की नीति की घोषणा की, उससे हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बिल्कुल अगलीपांत में चला गया है। यह नीति मूलतः ठोस है और समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री रंगा ने कहा है यह नीति उस समय तो ठीक है जब तक कि कोई देश हम पर हमला नहीं करता है लेकिन अब चूंकि हमारे देश पर भी हमला कर दिया गया है अतः अब हमें इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये लेकिन मेरा निवेदन है कि हमें इसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिये। चीन ने हमारे क्षेत्र में घुस पेठ किया, परन्तु हमने फिर भी चीन के साथ अपने मतभेदों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहा। हमें पूरी आशा है कि चीन को अवश्य अक्ल आयेगी और वह शान्ति से मामले को हल करने का यत्न करेगा। प्रधान मन्त्री ने ठीक कहा है कि हमारी नीति को बहुत गलत ढंग से समझा गया है। लेकिन यह नीति एक ठोस नीति है सैनिक सन्धियों से संसार की भलाई नहीं हो सकती। हम किसी भी समस्या पर राय बनाते समय न्याय और औचित्य की दृष्टि से ही निर्णय करते हैं। यही कारण है कि सभी देश हमें आदर की दृष्टि से देखते हुए परस्पर झगड़ों में हमारी राय लेना चाहते हैं।

यह सन्तोष की बात है कि इस बार का संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। १४ नये अफ्रीकी राष्ट्र स्वतन्त्र हुये हैं। अब तक ९६ अफ्रीकी देश स्वतन्त्र हो चुके हैं। अक्तूबर तक नाइजेरिया भी स्वतन्त्र हो जायेगा। अब तो यह स्पष्ट होता जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीको-एशियाई देशों का प्रभाव बढ़ जाये। कांगो में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से ही स्थिति पर काबू पा लिया गया है। मुझे पूरी आशा है कि कांगो का स्वतन्त्र अस्तित्व बना रहेगा। यह भी हर्ष की बात है कि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध सुधर रहे हैं। नहरी पानी सम्बन्धी चल रहे पुराने विवाद समझौता हो जाने और उस पर हस्ताक्षर हो जाने से एक पुराने चले आ रहे विवाद का अन्त हो जायेगा। हमारे प्रधान मन्त्री १६ सितम्बर को इसी उद्देश्य से पाकिस्तान जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आशा करनी चाहिये जिस प्रकार अफ़्रीका के अन्य राष्ट्र स्वतन्त्र हो रहे हैं, उसी प्रकार अफ़्रीका के पुर्तगाली देश और गोआ भी शीघ्र ही स्वतन्त्र हो जाने में सफल हो जायेंगे। समय पाकर अल्जीरिया की समस्या भी हल हो जायेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता का सवाल न उठाने का निर्णय कर सरकार ने बहुत ही उचित कार्य किया है।

मेरे माननीय मित्र श्री रंगा का कहना है कि चीन ने हमारे पड़ौसी देशों नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान इत्यादि से मैत्रीपूर्ण सन्धियां की हैं। अतः हमारी विदेश नीति असफल हो गयी है। यह गलत बात है हमारी नीति तो सब देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर आधारित है। नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान भारत के मित्र देश हैं। हम चाहते हैं कि सब देश एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, उनमें परस्पर मैत्री सन्धियां हो जाने से भारत को कोई हानि पहुंचने की सम्भावना नहीं है। उन्होंने तिब्बत का प्रश्न उठाया है। तिब्बत का मामला गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र में गया था और मतदान के समय भारत अनुपस्थित रहा। ऐसा करके भारत ने ठीक ही किया। आज हमारी नीति सारे विश्व में प्रकट हो रही है, यह शान्ति की नीति है और देशों को युद्ध की लपेट से बचाना हमेशा इसका लक्ष्य रहता है। अतः यह एक ऐसी नीति है जिसे सभी देशों को अनुसरण करना चाहिये। वैदेशिक नीति के बारे में मैंने एक संशोधन रखा है आशा है कि वह स्वीकृत किया जायेगा।

†श्री बा० चं० कामले (कोपरगांव) : अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में, मैं चार बातें सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारी वैदेशिक नीति बिगड़ती जा रही है। चीनियों के आक्रमण के फलस्वरूप देश की सुरक्षा का प्रश्न बड़े ज़ोर से सामने आ गया है। हमने संसार में नाम कमाया होगा परन्तु भारत की कोई समस्या अभी तक पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकी। हमारे वैदेशिक कार्यों के संचालन का ढंग दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसका उत्तरदायित्व किस पर है? इसका उत्तरदायित्व मेरे विचार में वैदेशिक कार्य मन्त्रालय पर है। प्रधान मन्त्री यह फैसला करने में समर्थ नहीं रहे हैं कि कौन हमारे मित्र और कौन हमारे शत्रु हैं। जिस चीन को हम निरन्तर अपना मित्र घोषित करते चले आये हैं, वही अब हमारा शत्रु बन गया है। अतः हमें इस बारे में निर्णय करना है कि यह सब किसका उत्तरदायित्व है।

मेरा प्रथम प्रश्न यह है कि यह स्थिति खराब क्यों हो रही है, और दूसरा यह कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। तीसरा प्रश्न यह है कि आखिर यह सब क्यों? चौथी बात यह है कि इस स्थिति से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। मेरा मत है कि हमारी नीति में कहीं दोष अवश्य है जिसे हम देखने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। जहां तक कि हम अपने जोश में संविधान की भी चिन्ता नहीं कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद ५१ में वैदेशिक कार्यों के संचालन के जो सिद्धान्त निर्धारित हैं, उसकी हमारी सरकार उपेक्षा करती रही है। करारों सम्बन्धी दायित्वों के निर्वाह के बारे में सरकार ने इस अनुच्छेद के उपबन्धों का ध्यान नहीं रखा है। तिब्बत के सम्बन्ध में अंग्रेजों से हमें जो सन्धि विषयक दायित्व विरासत में मिले थे, हमने उनका निर्वाह नहीं किया। हमने दलाईलामा को पीठ पीछे चीनियों से तिब्बत सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर कर दिये थे। मेरा मत है कि प्रधान मन्त्री जी ने गठजोड़ न करने और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के बड़े ही संकुचित अर्थ लगाये हैं। हमें इस नीति पर पुनः विचार करना चाहिये। पंचशील के सिद्धान्तों को आज खुले आम पददलित किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि यदि प्रधान मन्त्री अपनी नीति पर विचार करें तो उन्हें अवश्य अपनी कमजोरियां दिखाई दे जायेंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बा० चं० कामले]

अन्तिम प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार इस स्थिति का मुकाबला करें। हमें अपने देश की एकता और अखण्डता को कायम रखना है। अतः हमें अपनी संसदीय प्रणाली की रक्षा करनी है। दूसरा यदि हमें शान्तिपूर्ण ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना है तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से आग्रह करना चाहिये कि वह अपने अधिकारों को और भी सुदृढ़ बनायें। साथ ही हमें वैज्ञानिक अनुसन्धानों और विकास के द्वारा सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने वाले सामाजिक नियमों का निर्माण कर देश को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। साथ ही हमें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि वर्ग, जाति आदि सभी बातों को मिटा कर एक समान स्थिति बनाई जाय और ऐसा कर लेने पर ही यह सम्भव है कि भारत अपनी सुरक्षा कर सके और दूसरे कमजोर देशों को भी सहायता दे सके।

†श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : पिछले कुछ महीनों से विश्व में आधे दर्जन से भी अधिक ऐसी घटनायें हुई हैं जिन्होंने विश्व निःशस्त्रीकरण सम्मेलन, उच्च शिखर सम्मेलन तथा अन्य बातों पर प्रभाव प्रभाव डाला है। यू—२ विमान काण्ड समस्त विश्व को हिला देने वाला है और विश्व के इतिहास में अपने प्रकार की निराली घटना है। हमें अपनी वायु सीमा का अतिक्रमण करने वाले विमानों से भी सतर्क रहना चाहिये। हमें पुर्तगाली क्षेत्र गोआ पर उड़ने वाले विमानों का खास ध्यान रखना चाहिये। हमें यह भी व्यवस्था करनी चाहिये कि वे अथवा अन्य विमान या गुब्बारे भारतीय सीमा का अतिक्रमण न कर सकें। अगर हम इसकी परवाह न करेंगे तो हमारी स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जायगी। इस प्रकार के विमान उड़ाने से उस देश को जिस पर कि ये उड़ाये जाते हैं खतरा ही उत्पन्न होता है। इसलिये हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि हमारी वायु सीमा का कभी भी अतिक्रमण न हो।

हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम अपने राष्ट्र को मजबूत तो बना सकते हैं। हमें सदैव ही अपने देश को तैयार रखना चाहिये।

अपने देश के साम्यवादियों ने भी हमें बहुत निराश किया है। उसमें बहुत हो देशभक्त लोग हैं। लेकिन चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में उन्होंने जो नीति अपनाई है वह ठीक नहीं है। उन्होंने जो कार्य किया है वह ठीक नहीं है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के हितों को ध्यान में नहीं रखा है। भले ही उनके रूस तथा चीन के साथ कैसे ही सम्बन्ध रहे हों लेकिन अपनी मातृभूमि का सदैव ही ध्यान रखना चाहिये। चीन ने भारत के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हमें चीन से बहुत आशाएं थीं। चीन के प्रधान मन्त्री ने यदि यह कहा होता कि हमने भारत का जो भाग ले लिया है हम उसे लौटा देंगे तो हो सकता है कि जो गलती उन्होंने की है वह ठीक हो जाती। लेकिन अब तो भूल हो गई है मालूम नहीं कि इसे ठीक करने में कितना समय लगे। हम उनसे दोस्ती बनाये रखना चाहते हैं अतः हम रैफ्रीजिरेटर लाइन की बात करते हैं। प्रतिनिधि मण्डलों का दोनों देशों के बीच आदान प्रदान हो रहा है हो सकता है कि बातचीत के आधार पर कुछ अच्छा परिणाम निकल आये। अगर हमारे प्रधान मन्त्री वहां चीन जायें तो हो सकता है कि चीन अपनी भूल के बारे में सोचे और कुछ अच्छा परिणाम निकले। फिर भी चीन से कम से कम दोस्ती का नाम तो अभी तक कायम है ही और सम्भव है कि उस देश से जो हमारी बातचीत चल रही है वह सफल हो जाये।

गोआ के मामले में हमने देखा है कि अमरीका भी अपनी नीति बदल रहा है और वह हमारी सहायता कर रहा है। क्यूबा में जो कुछ हुआ है उससे यह प्रकट है कि अब शायद अमरीकी लोग यह समझ गये हैं कि गोआ का भारत के लिये कितना महत्व है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमें दक्षिण अमरीका के देशों में अपने दूतावासों को और भी बढाना चाहिये ताकि उन देशों से हम और भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर सकें और व्यापार की श्रीवृद्धि कर सकें। अधिकांशतः विकसित देशों ने दक्षिण अमरीका के साथ अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाये हैं और अपना काफी धन वहां के व्यापारों में लगाया है।

प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान यात्रा का मैं स्वागत करता हूं और आशा है कि उस देश से चल रहे हमारे सभी विवाद हल हो जायेंगे। हो सकता है कि प्रधान मन्त्री की इस यात्रा के दौरान में दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों के बीच काश्मीर का प्रश्न भी उठे। हम काश्मीर तथा चीन के मामले को भी बातचीत के आधार पर शीघ्र ही निपटाना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आशा है प्रधान मन्त्री कल उत्तर देंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : जी, हां।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, १ सितम्बर, १९६०/१० भाद्र, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[बुधवार, ३१ अगस्त, १९६० / ९ भाद्र, १८८२ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२८७५—९९
तारांकित प्रश्न संख्या		
९१६	भारत में रेल के डीजल इंजनों का निर्माण	२८७५—७७
९१८	जमाया हुआ तेल	२८७७—७९
९१९	टेलीप्रिंटर फैक्टरी	२८८०—८१
९२०	अमरीकी विकास ऋण निधि से रेलवे के लिए ऋण	२८८१—८२
९२१	मत्स्यपालन संस्था	२८८३—८५
९२२	पूर्वी पाकिस्तान से विशेष रेलगाड़ियां	२८८५—८८
९२५	सहकारी खेती	२८८८—९१
९२६	सहकारी खेती समितियां	२८९१—९३
९२८	बिहार के राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	२८९३—९४
९२९	रेलों में अपराध	२८९४—९५
९३०	सियालदह और सिलिगुड़ी के बीच यात्रा सुविधाएं	२८९५—९६
९३१	आहार पुष्टि	२८९६—९७
९३२	"प्राच्य देश भ्रमण वर्ष"	२८९७
९३३	दामोदर घाटी निगम का तिलैया जलाशय	२८९७—९८
९३५	हृदय रोग	२८९८—९९
९३७	लुधियाना—जालन्धर लाइन	२८९९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
७	रजिस्टर्ड पत्र का वितरण	२८९९—२९०३
८	उड़ीसा में बाढ़	२९०३—०४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९०४–५२

तारांकित
प्रश्न संख्या

९१७	सड़क परिवहन पदाधिकारियों के लिये प्रशिक्षण-व-अनुसंधान संस्था	२९०४
९२३	यूगोस्लाविया से जहाज़	२९०४
९२४	हिमाचल प्रदेश के लिये चीनी के अभ्यंश का नियत किया जाना .	२९०५
९२७	दिल्ली में घोसियों की बस्ती . .	२९०५–२९०६
९३४	पर्मानेन्ट वे इन्स्पेक्टर, सूरतगढ़ . .	२९०६
९३६	तेल वाहक जहाज़	२९०६–०७
९३८	सरकारी कर्मचारियों के लिए अस्वस्थता सर्वेक्षण .	२९०७–०८
९३९	लक्जरी अमरीकी कारों का आयात .	२९०८
९४०	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ३१ पर पुल .	२९०८–०९
९४१	जलपान–गृह . . .	२९०९
९४२	अम्बाला छावनी स्टेशन पर धोखेबाजी . .	२९०९–१०
९४३	नागार्जुन सागर परियोजना	२९१०
९४४	चकरौता के निकट विमान दुर्घटना . .	२९१०
९४५	दिल्ली के इर्विन अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगी . .	२९११
९४६	दिल्ली में हैजा	२९११
९४७	टेलीफोन एकस्चेन्ज . . .	२९११–१२
९४८	निजी विमान संचालक	२९१२
९४९	दिल्ली दुग्ध सम्भरण योजना	२९१२
९५०	मीट्रिक प्रणाली	२९१२–१३
९५१	गंगा–ब्रह्मपुत्र बैंसिन का सर्वेक्षण . . .	२९१४
९५२	प्रबंध में कर्मचारियों का सहयोग . .	२९१४
९५३	जाली मनीआर्डर . .	२९१४–१५
९५४	दिल्ली में क्षय रोगी	२९१५
९५५	पठानकोट-मुकेरियां लाइन पर यातायात का ठप हो जाना .	२९१५–१६
९५६	केन्द्रीय मशीनीकृत फार्म	२९१६
९५७	नाविकों के लिये राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड . .	२९१६
९५८	व्यास नदी पर बांध	२९१७
९५९	रेलों के लिये घटिया कोयले का संभरण . .	२९१७–१८
९६०	राजस्थान नहरी क्षेत्र का विकास . .	२९१८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

९६१	रबी उत्पादन आन्दोलन . . .	२९१८–१९
९६२	चावल लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध .	२९१९
९६३	राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड .	२९१९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१७८२	दिल्ली में लाहोरी गेट पर रेल का ऊपरी पुल .	२९२०
१७८३	रेलवे स्लीपर .	२९२०
१७८४	तारपीन और राल	२९२०–२१
१७८५	वेटिवेरिया जिज़ाइनायड्स . . .	२९२१
१७८६	रेलवे के इंजन, डिब्बे आदि .	२९२१–२२
१७८७	दिल्ली में टेलीफो : के कनेक्शन . .	२९२२
१७८८	उत्तर प्रदेश में रेलवे आउट एजेन्सियां .	२९२२–२३
१७८९	अ दमान वन विभाग .	२९२३
१७९०	राजस्थान नहर . .	२९२३
१७९१	उत्तर रेलवे के लोको वर्कशाप . .	२९२३–२४
१७९२	'टेस्ट ट्यूब बच्चे' . .	२९२४
१७९३	हिमाचल प्रदेश के लिये बिजली . .	२९२४
१७९४	लकड़ी के शहतीरों का बह जाना .	२९२४–२५
१७९५	जहाज मरम्मत की सुविधाएं .	२९२५
१७९६	सोनपुर–गंडक पुल पर दुर्घटना . .	२९२५
१७९७	खाद्य उत्पादन के संबंध में फोर्ड फाउन्डेशन दल .	२९२६
१७९८	कटक में संयुक्त खाद्य निदेशक का कार्यालय .	२९२६
१७९९	उड़ीसा में बहुदा नयी परियोजना .	२९२६
१८००	अधिक अन्न उपजाओ योजना . .	२९२६–२७
१८०१	भाटपाड़ा स्टेशन पर बिजली लगाना .	२९२७
१८०२	ह नाबाद–बारासेट लाइन . . .	२९२७
१८०३	आगरा–बम्बई राष्ट्रीय राजपथ . .	२९२७–२८
१८०४	दिल्ली में पौधों का संरक्षण . .	२९२८
१८०५	दिल्ली में नल कूप . . .	२९२८–२९

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८०६	नजफ़गढ़ झील योजना	२९२९
१८०७	दिल्ली के गांवों में बिजली लगाना .	२९२९
१८०८	दिल्ली में पशु चिकित्सालय .	२९३०
१८०९	बाल भवन रेलवे .	२९३०
१८१०	बन्ध्यीकरण . .	२९३०—३२
१८११	जल विद्युत् शक्ति .	२९३२
१८१३	आयुर्वेद विभाग . . .	२९३२
१८१४	उड़ीसा में बहुप्रयोजनीय आदिम जातीय खंड .	२९३२–३३
१८१५	रेलवे आउट–एजेंसियां .	२९३३
१८१६	रेलवे पर छुरेबाजी . .	२९३३
१८१७	बड़े बड़े पत्तनों पर लादा और उतारा गया माल	२९३४
१८१८	रेलवे पर संग्रहालय .	२९३४
१८१९	हिमाचल प्रदेश में फलों की खेती . . .	२९३४–३५
१८२०	हिमाचल प्रदेश में नगरपालिका, छोटा नगर और अधिसूचित क्षेत्र समितियां . . .	२९३५–३६
१८२१	हिमाचल प्रदेश में डाकघर . . .	२९३६–३७
१८२२	दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के रोगियों पर प्रस्तावित शुल्क .	२९३७
१८२३	ट्रैक्टरों का निर्माण .	२९३७–३८
१८२४	युवक किसानों को प्रशिक्षण . . .	२९३८
१८२५	अवकास प्राप्त वैज्ञानिकों की सेवाओं का उपयोग .	२९३८–३९
१८२६	"खरीफ़ आन्दोलन" . . .	२९३९
१८२७	मध्य रेलवे के पदाधिकारियों के कमरों का वातानुकूलन .	२९३९
१८२८	यात्री बसों के लिये परमिट .	२९३९–४०
१८२९	भिन्ड-पेन्नार रेगुलेटर	२९४०
१८३०	हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें . .	२९४०
१८३१	हिमाचल प्रदेश का वन विभाग . .	२९४०–४१
१८३२	विभागीय भोजन–व्यवस्था . .	२९४१
१८३३	दन्त-औषधि "एम्बेलिक"	२९४१
१८३४	छपरा कचहरी स्टेशन पर पानी के पाइप . .	२९४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१८३५	बिना टिकट यात्रा . . .	२९४२
१८३६	कटिहार पुल .	२९४२–४३
१८३७	गन्ने के रोग . .	२९४३
१८३८	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था . . .	२९४३
१८३९	छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) में चावल का खरीदा जाना . .	२९४४
१८४०	पटोहा में नया स्टेशन .	२९४४
१८४१	महानदी के जल का उपयोग . . .	२९४५
१८४२	दक्षिण रेलवे पर नैमित्तिक श्रमिक . .	२९४५
१८४३	त्रिपुरा में डाक्टर . . .	२९४५–४६
१८४४	बुदनी में ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र	२९४६
१८४५	श्रीनिवासपुरी (दिल्ली) में गाड़ी का हाल्ट . .	२९४७
१८४६	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था . .	२९४७
१८४७	परिवार नियोजन . .	२९४७–४९
१८४८	राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड . . .	२९४९
१८४९	भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग सेवा .	२९४९–५०
१८५०	श्री जानकी शुगर मिल, डोईवाला .	२९५०
१८५१	आन्ध्र प्रदेश में नई लाइनें .	२९५०
१८५२	ट्रंक टेलीफोन लाइन . . .	२९५०–५१
१८५३	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी लिमिटेड . .	२९५१
१८५४	अन्दमान को गैर-सरकारी विमान सेवा . .	२९५१–५२
१८५५	चीनी का वितरण के लिये दिया जाना . . .	२९५२
१८५६	पंजाब के गांवों का विद्युतीकरण . .	२९५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५३–५४

(१) उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

(२) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सुत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ५ दसवां सत्र, १९६० ।
(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८ नवां सत्र, १९५९ ।
(३) अनुपूरक विवरण संख्या १७ सातवां सत्र, १९५९ ।
(४) अनुपूरक विवरण संख्या २१ पांचवां सत्र, १९५८ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

(३) दिल्ली विकास अधिनियम, १९५७ की धारा २६ के अन्तर्गत ३० दिसम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५९ तक की अवधि के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्य की रिपोर्ट की एक प्रति ।

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(क) पंजाब मोटर गाड़ी नियम, १९४० में, हिमाचल प्रदेश पर लागू किये गये रूप में, कुछ संशोधन करने वाली हिमाचल प्रदेश प्रशासन के दिनांक ३० जुलाई, १९६० के गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एच(टी) १४—७८७-५८ ।

(ख) अन्देमान और निकोबार द्वीप समूह मोटर गाड़ी नियम, १९३९ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ५ जुलाई, १९६० के अन्देमान और निकोबार गज़ेट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १२७/६० ।

(५) निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(क) "होटल स्टेण्डर्ड्स और रेट स्ट्रक्चर कमेटी" का प्रतिवेदन ।

(ख) दिनांक २७ जुलाई, १९५९ का सरकारी संकल्प संख्या २—टी टी-२(१)/५८ जिसमें उक्त समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निर्णय दिये हुए हैं ।

सदस्य की दोष सिद्धि २९५४

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें न्यायाधीश, तीसरा ट्रिब्यूनल अलीपुर से दिनांक २९ अगस्त, १९६० का सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचित किया गया है कि श्री कन्सारी हाल्दार को २९ अगस्त, १९६० को अपराधी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड दिया गया ।

विधेयक-पारित २९५४

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ४) विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . . २९५५—८७

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने प्रस्ताव किया कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १ सितम्बर, १९६०/१० भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर और आगे चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1075(Ai) LSD—5-10-60—135